खण्ड-133, अंक-1
सोमवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1876
(29 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

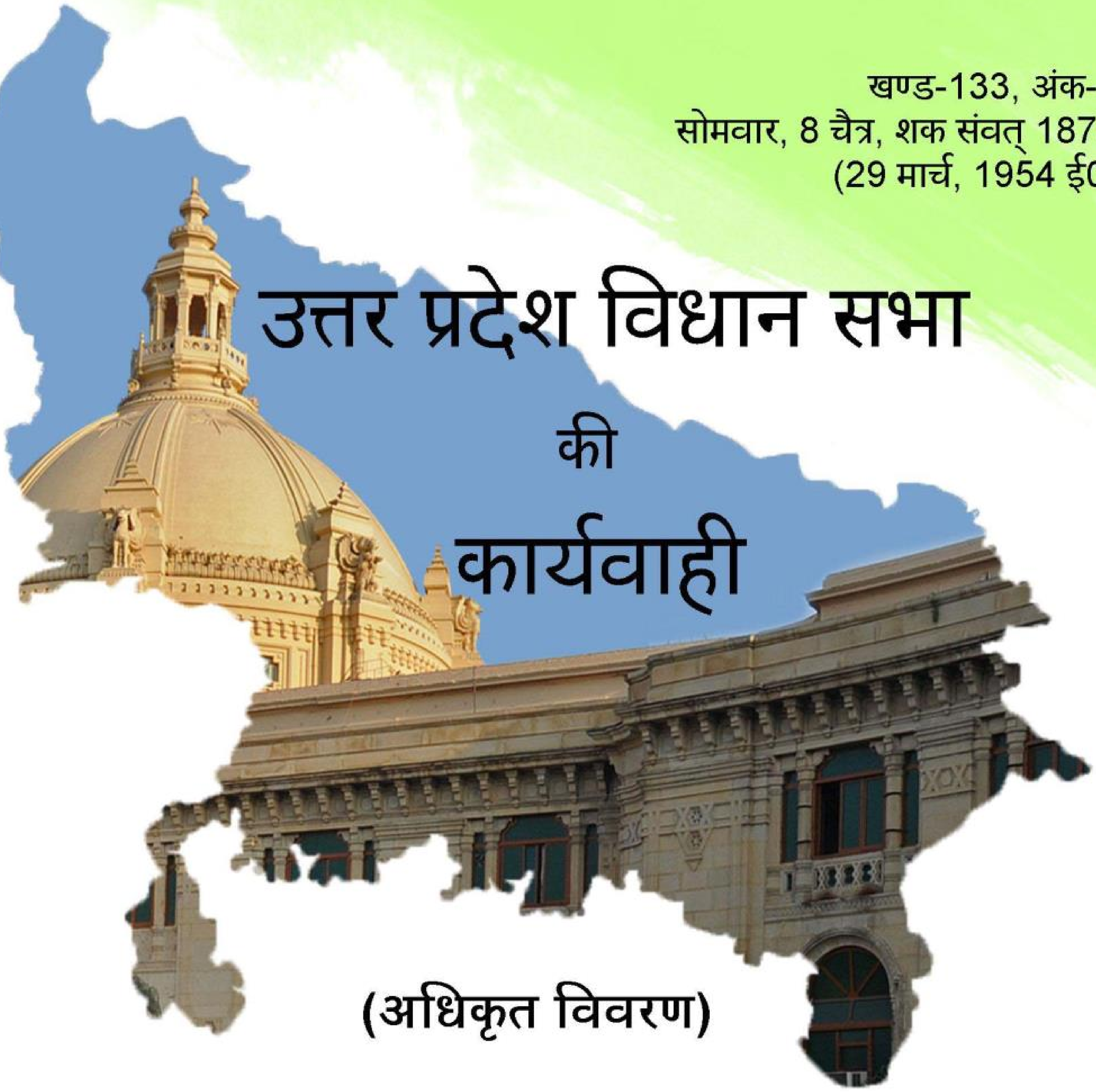

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 133 में 15 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, उपनाम छुन्नगुरु, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव , श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र , श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री

सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

दफा १८० के बेदखली के मुल्तबी किये गये मुकदमें

**१—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व जमींदारी के वह दफा १८० के बेदखली के मुकदमें जो जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत मुल्तवी कर दिये गये थे फिर दायर करने का आदेश सरकार से हो गया है? यदि हां, तो वह आदेश क्या है?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री गुप्तार सिंह—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के उत्तर क. उस जमीन से भी संबंध है जो किसानों का कब्जा पहले से था, सन् १३५७ फसली में जिनका नाम दर्ज था, वे बेदखल कर दिये गये ?

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—मैं बहुत साफ साफ तो नहीं समझ पाया हूं लेकिन इतना कह सकता हूं कि यहां से कानून बना और जो नियमावली बनी वही लागू है। गवर्नमेंट ने कोई एक्जीक्यूटिव आर्डर ऐसा कभी भी जारी नहीं किया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय राजस्व मंत्री को मालूम है कि प्रयाग हाई कोर्ट ने दफा १७५ और दफा १८० के सम्बन्ध में कोई रूलिंग दी है जिससे बेदखली के पुराने मुकदमे जारी किये जा सकेंगे?

श्री चरण सिंह—इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है और बोर्ड आफ रेवेन्यू ने भी इसी सिलसिले में एक फैसला दिया है और इन दोनों में अन्तर है। गवर्नमेंट इस पर अभी विचार कर रही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार कब तक कोई संशोधन सदन में लाने वाली है?

श्री चरण सिंह—इस सिलसिले में कोई संशोधन आवश्यक है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता और इसीलिये कोई समय निश्चित नहीं हुआ है।

श्री गुप्तार सिंह—क्या यह सही है कि रायबरेली में कुछ ऐसे किसानों को नोटिस दिया गया है अदालत की ओर से जिनकी पहले १८० दफा की बेदखली दायर थी और जो अब जमींदारी बिनाश कानून के अधीन मुल्तवी कर दिये गये हैं?

श्री चरण सिंह--जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था क़ानून के मातहत नियम ४ और ५ बेदखली के सिलसिले में बना है। माननीय मित्र का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

भूतपूर्व जमींदार मध्यवर्तियों की सीर व खुद काश्त की जमीनों पर मालगुजारी की दर

२--श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व जमींदार मध्यवर्तियों की सीर खुदकाश्त की जमीन पर जो मालगुजारी कायम की गई है वह मौरूसी दर के अनुसार है या उससे भिन्न ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--भूतपूर्व जमींदार मध्यवर्तियों की सीर और खुदकाश्त की जमीन पर जो मालगुजारी कायम की गयी है वह मौरूसी दर के अनुसार नहीं है ।

३--श्री बाबू नन्दन**--यदि दर भिन्न है, तो किस अनुपात से ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह मालगुजारी मौरूसी दर से लगायी हुयी मालगुजारी की लगभग आधी के करीब होती है ।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मालगुजारी की दर किस उसूल पर निर्धारित की गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मालगुजार भूतपूर्व मध्यवर्तियों की इस प्रकार निर्धारित की गयी है कि कुल जितना लैन्ड रेवेन्यू सेस और लोकल रेट है उसकी सीर खुदकाश्त और जितना बाग है उसकी जितनी कच्ची निकासी है उससे जरब देकर उसमें कुल खाता खेवट की कच्ची निकासी का भाग देने पर जो आयगा वह उसकी मालगुजारी होता है ।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कहीं कहीं सर्किल रट मौरूसी दर का तिहाई चौथाई भी होता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सर्किल रेट मौरूसी दर का तिहाई चौथाई नहीं है। सर्किल रेट के अनुसार ही मौरूसी दर लगायी जाती है ।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में हरिजनों को मकान बनवाने के लिये सहायता

*१--**श्री बाबू नन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितना रुपया बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सिर्फ हरिजनों के लिए मकान बनवाने के लिए दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनपुर जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कवल हरिजनों को मकान बनाने के लिए १,००० रु० की अहेतुक सहायता हरिजन सहायक विभाग द्वारा दी गयी । इसके अतिरिक्त १७,००० रु० तकावी तथा ऋण के रूप में तथा १०,००० रु० अहेतुक सहायता के रूप में अभाव विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसमें से ६,९६० रु० तथा ४७५ रु० क्रमशः केवल हरिजनों को दिया गया है ।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६,९६० तथा ४७५ रु० हरिजनों के लिए निर्धारित किया गया है या दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उत्तर में यही है कि दिया गया है लेकिन उनके लिये निर्धारित कर दिया गया है, यही उसका आशय है । कितना खर्च हो चुका है, अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहें तो आज तक का मैं नहीं बतला सकता लेकिन मेरे पास दिसम्बर, सन् १९५३ तक की रकम है कि ६,९६० रु० में से २६० रु० हरिजनों को दिये गये हैं थे और ४७५ रुपया मार्च तक दे दिये जायेंगे। अभी कितना दिया गया है, यह ठीक नहीं बताया जा सकता ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के कितने मकान किन किन गांवों में गिरे थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---३३ गांवों में हरिजनों के मकान गिरे हैं और उनकी तादाद १६२ है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया हरिजनों को दिया गया था वह कुल क्यों नहीं बांटा गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आवश्यकतानुसार बांटा गया और बांटा जा रहा है। जैसा जवाब में कहा गया, ३१ मार्च तक पता चलेगा कि कितना बांटा गया और कितना नहीं बांटा गया।

प्रादेशिक यातायात समिति इलाहाबाद के निश्चय के विरुद्ध प्राइवेट कैरियर के परमिटों का वितरण

*२---**श्री बाबू नन्दन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक यातायात समिति इलाहाबाद ने यह निश्चय किया था कि एक व्यक्ति के नाम से स्टेट पब्लिक कैरियर प्राइवेट कैरियर का एक ही परमिट दिया जायगा ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---जी हां।

*३---**श्री बाबूनन्दन**---यदि हां, तो उसके विरुद्ध किन किन लोगों को परमिट दिये गये और क्यों ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्री दूधनाथ पाठक व श्री उमाशंकर मिश्र को इस निश्चय के विरुद्ध परमिट आर० टी० ए० ने दिया।

श्री दूधनाथ पाठक के पास प्रादेशिक यातायात समिति इलाहाबाद का दिया हुआ एक स्टेज कैरिज का परमिट जौनपुर-पिलकछा रूट के लिये था और उन्होंने जौनपुर-समोद पुर के लिये दरख्वास्त दी थी। चूंकि इस रूट पर परमिट के लिये केवल उन्हीं की दरख्वास्त थी, इसलिये उन्हें परमिट दिया गया।

श्री उमाशंकर मिश्र का हिस्सा एक भारवाहन के परमिट में था जिसे प्रादेशिक यातायात समिति गोरखपुर ने दिया था और उन्हें जौनपुर-शाहगंज रूट के लिये परमिट प्रादेशिक यातायात समिति इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत हुआ था। उन्हें यह परमिट इसलिये दिया गया था कि उन्होंने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गोरखपुर को यह आवेदन पत्र दिया था कि राजनीतिक पीड़ित जन भार वाहन परमिट में उनका साझा है उससे उनका नाम पृथक कर दिया जाय।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कभी इस बात की शिकायत आयी थी कि एक आदमी के नाम दो परमिट दिये गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इस समय हमारे सामने वह शिकायत नहीं है लेकिन सम्भव है आई हो। उससे इस प्रश्न पर कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परमिट देने के पहले कोई इन्क्वायरी करायी जाती है ? यदि हां, तो किस आफ़िसर द्वारा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---किस सम्बन्ध में इन्क्वायरी से माननीय सदस्य का मतलब है ?

श्री बाबूनन्दन---जो मोटर गाड़ी के परमिट दिये जाते हैं उनके देने के पहले कोई इन्क्वायरी करायी जाती है ? यदि हां, तो किस आफ़िसर द्वारा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---अब इन्क्वायरी तो न मालूम किस तरह की हो, बाक़ी अगर परमिट है या नहीं इसकी इन्क्वायरी करने की जरूरत नहीं होती है। वे रेकार्ड्स हमारे आफ़िस में रहते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि परमिट देना और न देने का अधिकार वहां के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी को ही है और सरकार को नहीं है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह बिल्कुल सही बात है।

तराई-भावर राजकीय इस्टेट्स में भूमि का एलाटमेंट

*४--**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९४५-४६ से लेकर अब तक सालाना तराई-भावर राजकीय इस्टेट्स में कितनी भूमि कितने व्यक्तियों को एलाट की गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८ पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई शिकायत आयी है कि इस १ लाख ५ हजार एकड़ एलाटेड़ जमीन में से क़रीब ७० हजार एकड़ भूमि अभी तक इन एलाटीज ने आबाद नहीं की है ?

श्री चरण सिंह--यह बात सही है और उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि इसको तोड़ लो वरना एलाटमेंट कैंसिल कर दिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने आदमियों को नोटिस दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कितने आदमियों को नोटिस दिया गया है यह तो मालूम नहीं है लेकिन एरिया मालूम है।

श्री अध्यक्ष--ऐसी अवस्था में आपको नोटिस मांगना चाहिये था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी ऐसी भूमि का क्षेत्रफल बतला सकते हैं जो आबाद नहीं हुई हैं ?

श्री चरण सिंह--यह तो बतला दिया गया है कि १,०५,००० एकड़ भूमि में ७०,००० एकड़ भूमि नहीं तोड़ी गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या ऐसे आदमियों पर कार्यवाही हुई है जिन्होंने अब तक अलाटेड भूमि को नहीं जोता है ?

श्री चरण सिंह--मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया है कि वह इतने वक्त में जमीन को तोड़ लें वरना उनका अलाटमेंट कैंसिल कर दिया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो जमीन अलाट की गयी है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को किस हिसाब से और कितने रिफ्यूजीज पोलिटकल सफरर्स, बी० एस-सी० (एग्री०) और मिलटरी मैन हैं ?

श्री चरण सिंह--माननीय प्रश्नकर्ता का ख्याल है कि कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट के मुताल्लिक़ यह सवाल है। इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। यह गवर्नमेंट टी० बी० स्टेट्स हैं और उसमें पोलिटिकल सफरर्स और रिफ्यूजीज वगैरा ऐसे केटेगरीज के लोगों को जमीन नहीं दी जाती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार ने नियम बनाये हैं कि जिस व्यक्ति को जमीन दी जाती है उसको खड़े जंगल बेचने का अधिकार है ?

श्री चरण सिंह—पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार तराई-भावर के उन अलाटीज से जिनके पास और दूसरी जमीनें हैं उनसे जमीन वापस लेने के सवाल पर विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—जब यह जमीन दी गयी थी उस समय कोई आने को तैयार नहीं था। हम चाहते थे कि लोग आयें इसलिये जमीनों का बड़ा बड़ा रक़बा दिया गया है और २,३१५ आदमियों को जमीन दी गई जो ४५ एकड़ फी कस पड़ती है। अब जमीन वापस लेने का कोई सवाल नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिनको जमीन मिली है, उनको कालोनाइजेशन में जमीन दी गयी है ?

श्री चरण सिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन आदमियों के नाम जमीन अलाट की गयी थी, उनमें से कुछ छोड़कर चले गये हैं ?

श्री चरण सिंह—हो सकता है कि कुछ छोड़कर चले गये हों, लेकिन नोटिस सबको दिया गया है। कितने छोड़कर चले गये हैं, इसके लिए इत्तिला मंगानी पड़ेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जितने आदमियों को जमीन अलाट की गयी है, वह उसमें खेती करते हैं या सबलेट करते हैं ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन को जंगल के जरिये आबाद करने के लिए अलाट किया गया था, उस जंगल की आमदनी में से कुछ हिस्सा खास स्टेट ने भी लिया है ?

श्री अध्यक्ष—फिर से दोहरा दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ऐसी जमीन जो काश्तकारों को अलाट की गयी जंगल खड़े थे, उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को भी मिला ?

श्री चरण सिंह—मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि पहले जब जमीन शुरू में दी गयी थी जब जंगल खड़े थे, लेकिन अब फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दरख्त काटकर, जमीन दी जाती है तो आमदनी गवर्नमेंट को जाती है।

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

तराई-भावर गवर्नमेंट इस्टेट्स में भूमि अधिकार सम्बन्धी योजना

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई-भाबर गवर्नमेंट इस्टेट्स में भूमि अधिकार सम्बन्धी कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सम्प्रति ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस समय गवर्नमेंट स्टेट्स में भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कौन से कानून लागू हैं ?

श्री चरण सिंह—क्राउन ग्रान्ट्स ऐक्ट के मातहत रिवाइज्ड खास टर्म्स पर जो जमीनें हैं उनके मातहत जमीन दी जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि तराई-भाबर खास स्टेट में सन् १९३९ का यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू है ?

श्री अध्यक्ष—जो आपको मालूम है, उसके बारे में न पूछिये। अगर कोई जानकारी के लिए प्रश्न करना है, तो कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या खास स्टेट में अब भी बहुत से जमींदारी के गांव भी हैं ?

श्री चरण सिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

गोरखपुर रोडवेज रीजन के कसया स्टेशन पर शिकायती रजिस्टर में शिकायतें

*७—**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर रोडवेज रीजन के कसया स्टेशन पर पिछले ६ महीने के भीतर शिकायती रजिस्टर में किस प्रकार की शिकायतें लिखी गयीं, और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया गया ?

श्री चित्र नारायण शर्मा—कसया स्टेशन पर पिछले महीनों में ५ शिकायतें शिकायती रजिस्टर में लिखी गयी हैं। उनका विवरण इस प्रकार है :—

(१) ता० ६–८–५३ को बाबा राघव दास ने शिकायत लिखी। बाबा जी माथा कुंवर धर्मशाला तक बस से जाना चाहते थे, किन्तु बुकिंग क्लर्क ने बतलाया कि वहां के पुजारी के कहने पर ही जा सकती है।

(२) ता० ४–९–५३ को श्री राजेन्द्र किशोर शाही, वकील, देवरिया ने इस विषय में शिकायत लिखी कि कसिया में पूछ तांछ के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है, स्टेशन इन्चार्ज मौजूद थे, उनका उत्तर नम्रतायुक्त नहीं था।

(३) ता० ५–९–५३ को श्री सूरजबली पाण्डेय और श्री राममेश्वर प्रसाद एम० एल० ए० ने लिखा कि गाड़ियों की संख्या कम है और गाड़ियां बढ़ायी जानी चाहिए, तथा उनकी दशा सुधारनी चाहिए।

(४) १९–५–५३ को श्री काशी नाथ श्रीवास्तव सहायक अध्यापक बुद्धा इन्टर कालेज कुशीनगर ने रोशनी के प्रबन्ध के बारे में शिकायत लिखी।

(५) २२–११–५३ को श्री गेंदा सिंह, एम० एल० ए० ने लिखा कि गाड़ी विलम्ब से आयी, और न गाड़ी में रोशनी थी और न स्टेशन पर जिससे मुसाफिरों को कष्ट होता है।

इन शिकायतों पर जो कार्यवाही की गयी है, वह इस प्रकार है :—

(१) जो शिकायत ६–८–५३ को की गयी है, उसके बारे में जांच जारी है। सम्बन्धित अधिकारियों से जवाब लिया गया और उस पर पूछ तांछ हो रही है।

(२) ४–९–५३ को शिकायत पर भी जांच अभी जारी है। स्टेशन इन्चार्ज का जवाब लिया गया, और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

(३) तीसरी शिकायत पहली अक्तूबर, सन् १९५३ से दो गाड़ियां उक्त रूट पर बढ़ा दिये जाने व गाड़ियों की हालत सुधारे जाने से दूर हो गयीं।

(४) कसिया स्टेशन पर लालटेन है, मगर चूंकि उससे रोशनी नहीं होती है, इसलिए पेट्रोमैक्स का इन्तजाम किया जा रहा है।

(५) बसें नियत समय पर ही चलती हैं, लेकिन कभी कभी विशेष कारण से ही ऐसा नहीं हो पाता। सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत दी गयी कि वे बसों को नियत समय पर चलाया करें।

*८—श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि पिछले महीनों में स्टेशन के चौकीदार की मृत्यु सांप के काटने से हो गयी थी? यदि हां, तो उस नवयुवक चौकीदार के आश्रितों के भरण-पोषण के लिए क्या किया गया?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां।

चूंकि कानूनन आर्थिक सहायता चौकीदार के वारिसों को नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उसके भाई रामदास को उसकी मृत्यु होने पर चौकीदार नियुक्त कर दिया गया ताकि मृत चौकीदार के आश्रितों का भरण पोषण वह कर सके।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय परिवहन मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये शिकायतें सभी बहुत पुरानी हैं, और उन शिकायतों को रफा करने की कोशिश नहीं हुई है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जो उत्तर माननीय सदस्य को दिया गया है, उसमें दिया गया है कि क्या क्या कार्रवाई हुई है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय परिवहन मन्त्री जी को मालूम है कि किसी इन्क्वायरी में फाइनल स्टेज पर कोई जांच नहीं पहुंची?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अगर माननीय सदस्य ध्यान से देखेंगे, तो जहां तक रोशनी का ताल्लुक है, उसका प्रबन्ध कर दिया गया है, गाड़ियों की कमी थी, तो गाड़ियां बढ़ा दी गयी हैं और जो भी कमियां थीं, उनको सुधारने की कोशिश की गयी है। समय पर अगर नहीं चलती थीं, तो उनके लिए ताकीद की गयी है। इसमें और ज्यादा इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय परिवहन मन्त्री जी को मालूम है कि गाड़ियां कब से बढ़ायी गयीं हैं और रोशनी का कब से इन्तजाम हुआ है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसमें डेट नहीं लिखी हुई है, लेकिन यह सूचना है कि बढ़ा दी गयी हैं।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि चौकीदार के वारिस को ग्रैचुइटी दी जा सकती है या नहीं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उत्तर में दिया गया है कि कानून में नियम नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय परिवहन मन्त्री जी मेहरबानी करके उस चौकीदार के लिए, कानून में कोई गुंजाइश न होते हुए भी यह प्रबन्ध करेंगे कि उसके आश्रितों को कुछ सहायता मिल सके?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि इसी गरज से उसके भाई को स्थान दे दिया गया ताकि वह उसके परिवार का भरण पोषण कर सके।

आजमगढ़ से मधुबन जाने वाली बस नम्बर ११७४, ११७६ यू० यस० बी० के बिगड़ने की शिकायत

*९---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय यातायात मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ से मधुबन जाने वाली बस नम्बर ११७४, ११७६ यू० एस० बी० के बिगड़ने की शिकायत यात्रियों ने सरकार से कितनी बार की है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---बस नम्बर ११७४ और ११७६ यू० एस० बी० के बिगड़ने की शिकायत केवल एक बार हुई है।

*१०---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि बस नम्बर ११७४ और ११७६ ने अब तक कुल कितने मील की यात्रा की है और उसकी क्षमता कितनी यात्रा और करने की है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---बस नम्बर ११७४ ने २७-७-५३ तक १,१८,८३६ मील और बस नम्बर ११७६ ने २६-६-५३ तक ८९,६९२ मील की यात्रा की है। इन गाड़ियों के चलने की क्षमता अभी साठ सत्तर हजार मील और है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि आजमगढ़ वर्कशाप का फोरमैन इन गाड़ियों की ठीक से मरम्मत नहीं करता, जिससे कि ये गाड़ियां बीच ही में फेल हो जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह व्यक्तिगत सवाल है। इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं। कारखानें के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या कारण है कि गाड़ियां बिगड़ जाती हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---यह जिस गाड़ी की बाबत शिकायत हुई है, वह सिर्फ एक बार बिगड़ी है भीगने की वजह से और थोड़ी देर बाद ठीक हो गयी। दूसरी गाड़ी जिसकी बाबत शिकायत हुई है, वह भी सिर्फ एक बार खराब हुई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस बस की शिकायत, शिकायत रजिस्टर में की गयी, वह कितने दिनों के बाद ठीक की गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---शिकायत सिर्फ दो बसों की गयी है, जिनमें से एक भीगने की वजह से खराब हुई थी, और उसके थोड़ी देर बाद ही ठीक कर दी गयी। दूसरी भी एक बार खराब हुई थी, और वह भी ठीक कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष---वह समय चाहते हैं कि कितने समय में ठीक की गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---थोड़े समय बाद ठीक हो गयी थी। अब दो दिन में ठीक हुई या चार दिन में ठीक हुई, उसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो उसके लिए आपको नोटिस की जरूरत है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---अगर माननीय सदस्य तारीख जानना चाहते हों...।

श्री अध्यक्ष—मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस वक्त मेरे पास नहीं है, यह उत्तर उचित नहीं है। अगर आपके पास सूचना नहीं है, तो आपको उत्तर देना चाहिए कि नोटिस देने की आवश्यकता है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस प्रश्न के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह बात सही है कि गोरखपुर रीजन में बहुत पुरानी गाड़ियां हैं जिससे ज्यादातर शिकायत रहती है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सब जगह गाड़ियां तरतीब से दी गयी हैं और जहां जहां हैं, वहां वहां उनकी उम्र से पुरानी होती जा रही हैं, लेकिन गोरखपुर में खास तौर से पुरानी गाड़ियां दी गयी हों, ऐसा नहीं है।

सरकारी बसों का किराया कम करने का विचार

*११—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यातायात मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या सरकारी बसों का किराया कम करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—किराया कम करने का सवाल सरकार के सामने प्रायः सदैव रहता है। जिन जिन रूटों पर किराया कम हो सकता था, कम कर दिया जा चुका है, और पहली मार्च से यह आशा की गयी है कि रोडवेज के हर रूटों पर ८ पाई व १७ १/२ पाई प्रति मील के बजाय ७ १/२ पाई व ९ पाई प्रति मील लोअर व अपर क्लास का किराया लिया करेंगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो पहली अप्रैल से किराया कम करने की योजना सरकार के विचाराधीन है, उसको कार्यान्वित करने के बाद प्रदेश में कितने रुपये की कमी होगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सरकार को आशा है कि इससे आय में वृद्धि होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार इसकी भी कृपा करेगी कि सरकारी बसों में अपर क्लास की सीटें, कम की जायं, और लोअर क्लास की सीटें ज्यादा की जायं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सरकार आवश्यकता के मुताबिक यह निश्चय करती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इस किराये को कम करने की योजना में सिटी बस सर्विस के किराये में कमी करने की योजना भी शामिल है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि यह रोडवेज की बसें जो गांवों में जाया करती हैं उनमें अपर क्लास की सीटें बारह होती हैं, और लोवर क्लास की सीटें दस होती हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह ठीक नहीं कहा जा सकता। नौ भी होती हैं ६ भी होती हैं, और कहीं ११ भी होती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इस किराये को कम करने की योजना में सरकारी ट्रकों में किराया कम करने की योजना भी शामिल है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां, है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि कभी कभी गाड़ियों की कमी के कारण लोअर क्लास के लोगों से भी अपर क्लास का किराया लिया जाता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

प्रदेश के कुछ जिलों में गांव सभा के प्रधानों को लगान वसूल करने का अधिकार

*१२—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कुछ जिलों में गांव सभा के प्रधानों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

*१३—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—यदि हां, तो जौनपुर जिले में कितने और किस किस क्षेत्र में गांव सभा के प्रधानों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जौनपुर जिले में किसी भी गांव सभा को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मन्त्री महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन किन जिलों को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो गजट, २१ फरवरी, १९५३ को शाया हुआ है, उसमें माननीय सदस्य देख सकते हैं। कुल ३८३ गांवों को मालगुजारी वसूल करने का काम दिया गया है। ५ मई, १९५३ के गजट के अनुसार मथुरा जिले में जरउल गांव को भी यह काम दिया गया है। कुल २६ जिलों को दिया गया है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मन्त्री महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि मालगुजारी की वसूलयाबी के लिए गांव के प्रधानों को कुछ कमीशन दिया जाता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो गांव समाज मैनुअल में दिया गया है। सवा ६ फीसदी है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन जिलों को मालगुजारी वसूल करने की इजाजत दी गयी है, उन पंचायतों ने पूरा लगान वसूल कर दिया है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। पूरा नहीं वसूल किया गया है। गवर्नमेंट एजेंसी ने जो वसूलयाबी की है, उससे उनकी औसत कम है।

श्री परमेश्वरीराम (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की ग्राम सभाओं को लगान वसूल करने का हक क्यों नहीं दिया गया क्या वह अगले साल उन्हें वसूल करने का हक देंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिलाधीश ने कोई सिफारिश नहीं की। अगर अगले साल सिफारिश करेंगे, तो दिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे किस कि जिले की पंचायत ने पूरा लगान वसूल कर लिया है ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कमीशन लगान वसूली करने में मिलता है, वह किस मद में जमा किया जाता है ?

श्री चरण सिंह—वह गांव समाज को मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन जिलों में गांव सभाओं ने लगान वसूली का कार्य किया है, वहां उस स्कीम को और बढ़ाने का गवर्नमेंट विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। अभी नहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सच है कि जिन गांव सभाओं को लगान वसूली का काम दिया गया, उन्होंने बहुत सन्तोषजनक ढंग पर काम किया है ?

श्री चरण सिंह—कुछ ने बहुत सन्तोषजनक किया है, और कुछ ने नहीं। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि गांव समाज को भी अफसरान की मदद करनी पड़ी है, रुपया वसूल करने में। उन्होंने केवल अपने आप ही रुपया वसूल करके नहीं दे दिया है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन जिलों को गांव सभाओं को लगान वसूली के अधिकार दिये गये हैं, उनमें क्या विशेषता है ?

श्री चरण सिंह—जिलों को किसी को नहीं दिये गये। जिन जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने अपने यहां की पंचायतों के लिए लिखा तो कुछ पंचायतों को दे दिये गये।

श्री गेंदा सिंह—क्या गांव सभाओं को कोअर्सिव मेजर्स भी अख्तियार करने पड़े, और अगर करने पड़े, तो कितने कोअर्सिव मेजर्स अख्तियार करने पड़े ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई आदेश कलेक्टरों को भेजा था, नाम मंगाने के लिए या स्वयं उन्होंने भेज दिये थे ?

श्री चरण सिंह—गवर्नमेंट ने आदेश भेजे थे ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मन्त्री इलाहाबाद जिले की कुछ गांव पंचायतों के भी नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो आये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं।

नैनीताल में तहसील किच्छा के रमेशपुर ग्राम में पड़े हुये सरकारी ट्रैक्टर

*१४—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रमेशपुर ग्राम तहसील किच्छा नैनीताल में कितने ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं, क्यों पड़े हैं और उनका क्या दाम है ?

श्री चरण सिंह---रमेशपुर ग्राम तहसील, किच्छा में सरकार का कोई ट्रैक्टर नहीं है।

*१५---श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार उनको दूसरे कामों में लगाने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह---प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रमेशपुर ग्राम में ट्रैक्टर्स का कुछ सामान भी पड़ा हुआ है ?

श्री चरण सिंह---इसकी बाबत नहीं कह सकता। ट्रैक्टर की बाबत पूछा गया था, तो ट्रैक्टर्स कहीं नहीं पड़े हुए हैं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---जो ट्रैक्टर्स पड़े हुए थे, वे थोड़े दिन हुए उठा लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष---आप पूर्व जन्म की बात पूछ रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री नारायण दत्त तिवारी---रमेशपुर ग्राम में या उसके आसपास के क्षेत्र में पहले बहुत से ट्रैक्टर्स बेकार पड़े हुए थे ?

श्री अध्यक्ष---मैंने कहा कि मैं पुराने इतिहास की बात पूछने की इजाजत नहीं देता।

जिला देवरिया में सलेमपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ से क्षति

*१६---श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला देवरिया के सलेमपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ से कितने गांव बह गये, और कितनी क्षति खेती को पहुंची ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिला देवरिया की तहसील सलेमपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ से कोई गांव नहीं बहा। बाढ़ से इस क्षेत्र के ७८ गांवों में १२,८७४ एकड़ की फसल को रुपये में ८ से १६ आने की क्षति पहुंची।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सलेमपुर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में जो गांव है, वह बह गया था ?

श्री चरण सिंह---कोई भी गांव नहीं बहा था, इसलिए वह भी नहीं बहा होगा।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी की सेवा में देवरिया के विधान सभा के सदस्यों ने इसकी शिकायत की थी कि जिले से जो रिपोर्ट आयी है, वह गलत है ? और गांवों को ज्यादा नुकसान पहुंचा ?

श्री चरण सिंह---यों तो देवरिया जिले के माननीय सदस्य अक्सर मिलते रहते हैं। बाढ़ के सिलसिले में मुझे याद नहीं है कि कोई डेपुटेशन मुझसे मिला था या नहीं। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता किन्तु जहां तक मुझे याद पड़ता है, ऐसा कोई डेपुटेशन नहीं मिला कि रिपोर्ट गलत आयी है।

जिला नैनीताल की पट्टी पश्चिमी छखाता के ग्राम पीडे छोड़ में नदी की बाढ़

*१७---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला नैनीताल की पट्टी पश्चिमी छखाता के ग्राम पीडे छोड़ में गोला नदी की बाढ़ का पानी धंस गया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिला नैनीताल, पट्टी पश्चिमी छखाता के ग्राम पीडे छोड़ की आबादी के बीच में एक गली है, जिसके दोनों तरफ दीवालें हैं, और जो गांव वालों के रास्ते के काम आती है। गांव की इस गली में इस वर्ष वर्षा अधिक होने से कुछ पानी आ गया था।

*१८--**श्री खुशीराम**--क्या सरकार ऐसी परिस्थिति में इस ग्राम के २२ मवासा किसानों को इस नदी की मेंड बांधने के लिए कुछ सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस वर्ष पानी आने का कारण औसत से अधिक वर्षा का होना है, परन्तु हानि कुछ भी नहीं हुई, और न भविष्य में ही कोई विशेष खतरा मालूम होता है। इन परिस्थितियों में सहायता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह किस अनुमान से कहा जाता है कि भविष्य में वहां पर कोई खतरा नहीं है ?

श्री चरणसिंह--अक्ल के बल पर कहा जाता है।

श्री खुशीराम--श्रीमन्, मैंने नहीं सुना।

श्री चरणसिंह--जितने भी आदमी अनुमान लगाता है वह सब अपने पिछले अनुभव के आधार पर लगाता है, और बुद्धि से लगाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि गांव के बीच में कैसे यह पानी आया। यह किसी नदी का पानी था या गड्ढे का पानी था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो जवाब में बतला दिया गया कि अधिक पानी वर्षा का था।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह मौके की जांच किस अधिकारी के द्वारा की गयी ?

श्री चरणसिंह--माल विभाग के अधिकारियों द्वारा यह जांच करायी गयी, और उनसे ही यह रिपोर्ट मिली। मौके पर कौन गया था, पटवारी गया था या कानूनगो गया था, इसकी इत्तिला नहीं है।

प्रदेश की बंजर भूमि को भूदान यज्ञ में दान करने का निश्चय

*१९--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार ने प्रान्त की सभी बंजर भूमि भूदान यज्ञ में दान देने का निश्चय कर लिया है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसका विवरण मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा वाक्य नहीं उठता।

हिन्द प्राविंशल फ्लाइंग क्लब को वार्षिक सहायता

*२०--**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्द प्राविंशल फ्लाइंग क्लब को सरकार से कितनी वार्षिक सहायता मिलती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--सरकार ने ५ लाख २८ हजार रुपये की सहायता क्लब को ५३-५४ में देने का निश्चय किया है। वार्षिक सहायता की कोई रकम निश्चित नहीं है। यह क्लब की जरूरियात के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है।

नोट--तारांकित प्रश्न १९ से २१ तक श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

*२१—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने वजीफे हर साल सरकार ने देने का निश्चय किया है, तथा कितने फ्लाइंग कैडेट्स को अभी तक निःशुल्क शिक्षा दी गयी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—फ्लाइंग कैडेट्स को वजीफा सरकार नहीं देती है, और न तो सरकार से इसका कोई सम्बन्ध है। हिन्द फ्लाइंग क्लब ने अलबत्ता छात्रवृत्ति देने की योजना १९५१ में आरम्भ की थी, जिसके अनुसार आधे शुल्क पर प्राइवेट पायलट का (ए) लाइसेंस प्रदान करती है। १९५१ में १३५ व्यक्ति इस स्कीम के अन्तर्गत ट्रेनिंग के लिए चुने गये, परन्तु उनमें से ३६ ही लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हुए। १९५२ में ३३ व्यक्तियों को इस स्कीम के अन्तर्गत चुना गया और उनमें से १९ को शिक्षा दी जा रही है। इसमें से कुछ लोगों ने लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है।

पंजाब की क्रिमिनल जाति रायसिखों को तराई और कालोनाइजेशन में जमीनों का वितरण

*२२—श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि रायसिख पंजाब की क्रिमिनल जाति के लोगों को तराई और कालोनाइजेशन में जमीनें दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वे मालगुजारी तथा सिंचाई आदि नहीं दे रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

राय सिखों ने, तराई-भाबर क्षेत्र में जो जमीन उनको दी गयी है, उसका लगान बराबर अदा किया है, लेकिन उपनिवेशन क्षेत्र में उनके जिम्मे ७,८३४ रु० मालगुजारी बाकी है, जिसकी वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उनके जिम्मे सिंचाई कर बाकी नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ये लोग कितनी संख्या में आये हैं ?

श्री चरण सिंह—सही संख्या तो मालूम नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि इन लोगों ने जबरदस्ती भूमि पर कब्जा कर लिया है ?

श्री चरण सिंह—कुछ ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और कुछ को जमीन एलाट की गयी थी। लेकिन कालोनाइजेशन क्षेत्र में जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, उनसे छुड़ा ली गयी है, और तराई-भाबर एस्टेट्स में, जिन्होंने किया था, उनके बारे में जो ऐक्ट पिछले साल विधान मण्डल ने पास किया है, उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या यह सही है कि ये लोग दूसरों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और आस पास चोरियों और डकैतियों में सम्मिलित होते हैं, और यदि यह सही है तो सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—जो भी जुर्म करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। पुलिस वगैरह इसी लिए है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उन लोगों से ली जाने वाली मालगुजारी और सिंचाई की दरें क्या हैं ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास एसी शिकायतें आयी हैं कि कालोनाइजेशन में मालगुजारी और सिंचाई की दरें ज्यादा हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां। कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं, लेकिन रायसिख लोगों के इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—इन शिकायतों पर सरकार ने क्या किया है ?

श्री चरण सिंह—कार्यवाही की है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी को मालूम है कि रायसिख जाति जिसे क्रिमिनल कह कर पुकारा जा रहा है, वे बहुत मेहनती हैं और जमीन जोतने और अन्न उपजाने में बहुत सफल सिद्ध हुए हैं ?

श्री चरण सिंह—मैंने अपनी जबान से क्रिमिनल शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। इस लिए यह सवाल मुझ से नहीं पूछा जा सकता। दूसरी बात यह है कि जो लोग क्रिमिनल होते हैं, वे आम तौर पर होशियार और मेहनती होते हैं।

*२३–२४—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये। [

*२५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—[हटा दिया गया।]

पूर्वी जिले के किसानों को तकावी पर सूद की छूट

*२६—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार पूर्वीय जिलों के किसानों की फसल की खराब हालत को ध्यान में रखते हुए उनको तकावी पर सूद की छूट देने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह—यदि पूरब के किसी जिले में तकावी रूल्स (१९४२) के नियम २२८ क अनुसार ऋण के छूट देने की आवश्यकता होगी, तो वह दी जायगी, तकावी की छूट देने पर उसके ब्याज की छूट स्वतः हो जाती है।

*२७—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—प्रश्न २६ के उत्तर से यह प्रश्न पदा नहीं होता।

*२८–३०—श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३१–३३—श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—[स्थानान्तरित किये गये।]

*३४–३५—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—[१२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३६–३७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—(जिला जौनपुर)—१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३८–३९—श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*४०—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*४१-४२—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

राज्य के कृषि विभाग के असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पुनः पुनः बम्बई जाने का कारण

*४३—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस राज्य के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी, कृषि विभाग, सरकारी काम से बम्बई भेजे गये थे? यदि हां, तो वह कितनी बार इस सम्बन्ध में बम्बई जा चुके हैं और किस विशेष कार्य के लिए?

श्री चरण सिंह—जी हां।

सितम्बर सन् १९५२ से अब तक चार बार "कांक्वेस्ट आफ तराई" (Conquest of Tarai) नामक पुस्तक की छपाई, प्रकाशन व बिक्री के प्रबन्ध, तथा "ऐग्रीकल्चरल ऐण्ड एकानोमिक ऐटलस (Agricultural and Economic Atlas) के वास्ते उचित सामग्री एकत्रित करने के लिए।

*४४—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—[८ अप्रैल, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

१९, २० फरवरी, १९५४ की वर्षा से रबी की फसल को क्षति

*४५—श्री रामसभग वर्मा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १९, २० फरवरी, १९५४ की बारिश से रबी की फसल को काफी क्षति हुई है?

श्री चरण सिंह—जनवरी, फरवरी, १९५४ में वर्षा तथा ओले पड़ने के कारण २९ जिलों में रबी की फसल को हानि पहुंची है इन में से ११ जिलों में अधिक हानि हुई है।

*४६—श्री रामसुभग वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल कितने आने की क्षति हुई है, और किन किन जिलों में?

श्री चरण सिंह—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९ पर।)

*४७—श्री रामसुभग वर्मा (अनुपस्थित)—सरकार ऐसे क्षति-ग्रस्त जिलों को क्या सहायता करने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह—जिलों के क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों में नियमानुसार लगान की छूट, तकावी, तथा अहेतुक सहायता के विवरण, टेस्ट वर्क्स खोलने तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली को स्थगित करने की कार्यवाही की जा रही है।

*४८-४९—श्री बलवन्त सिंह—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*५०—श्री बलवन्त सिंह—[१२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]

जनवरी, १९५४ में झांसी जिले में पाले व ओलों से फसल को क्षति

*५१—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि गत जनवरी मास में झांसी जिले में पाले व ओलों से फसल को क्षति पहुंची है? यदि हां, तो किस किस तहसील में कितनी कितनी हानि हुई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, झांसी जिले में गत जनवरी, व फरवरी, में ओलों तथा पालों से फसल को जो क्षति पहुंची उसका ब्योरा इस प्रकार है:—

नाम तहसील	तादाद ग्राम जिन में क्षति पहुंची	नुकसान की मात्रा आनों में
महरोनी	३०	./२/. से ./१६/. तक
मऊ	१७३	./६/. से ./१४/. तक
गरौठा	१२०	./६/. से ./१०/. तक
झांसी	८४	./२/. से ./१४/. तक
मोठ	४९	./२/. तक
.. ..	४५६	

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र की जनता के सहायतार्थ सरकार क्या कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—चारे के लिए बन विभाग से कम कीमत पर चारे का इन्तजाम किया गया है। मऊ और गरौठा में जो नहर का काम चल रहा है, उस पर भी लोगों को काम मिलेगा। इसके अलावा लैन्ड रेवेन्यू, कैनाल और तकावी के डयूज को मुल्तवी कर दिया गया है, तथा गवर्नमेंट सीड स्टोर्स के डयूज को भी मुल्तवी कर दिया गया है।

श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन गांवों में १६ आ० फसल नष्ट हो गयी है, वहां पर ट्रैक्टर की इस साल की जुताई माफ की जायगी ?

श्री चरण सिंह—ट्रैक्टर की जुताई की वसूलयामी मुल्तवी कर दी गयी है।

श्री गज्जू राम—क्या सरकार लगान, आबपाशी, तथा कांस के चार्जेज माफ करेगी ?

श्री चरण सिंह—मालगुजारी माफ हो जायगी, तथा कांस निष्कासन के चार्जेज माफ नहीं होंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ओलों का प्रभाव कितनी भूमि पर पड़ा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१७,२०२ एकड़ पर।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्रैक्टर्स की फीस का जो इन्स्टालमेंट था, उसको बढ़ा दिया जायगा ?

श्री चरण सिंह—ट्रैक्टर्स की फीस का जो इन्स्टालमेंट वाजिब था उसको अभी तो मुल्तवी कर दिया गया है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन क्षेत्रों में ओले पड़े हैं उन क्षेत्रों में जो नहर के रेट्स बढ़े हैं वे माफ किये जायेंगे ?

श्री चरण सिंह—फिलहाल मुल्तवी कर दिये गये हैं।

*५२-५३—श्री जोरावर वर्मा—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५४-५५—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[१२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

*५६—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[१२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५८-५९—श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)—[२६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६०—श्री रामजी लाल सहायक—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजियाबाद में एस० डी० एम० तथा अन्य मैजिस्ट्रेटों की अदालतों के लिये भवन का अनुपयुक्त प्रबन्ध

*६१—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गाजियाबाद मेरठ में एस० डी० एम० तथा अन्य मैजिस्ट्रेटों की अदालतों के लिए कोई उपयुक्त स्थान का प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही कोई नया भवन इनके लिए बनवाने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरण सिंह—गाजियाबाद में एस० डी० एम० तथा अन्य मैजिस्ट्रेटों की अदालतों के लिए मुन्सफी की इमारत में प्रबन्ध है, परन्तु यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं है । अतः सरकार इन अदालतों के लिये एक नया भवन बनाने की योजना पर विचार कर रही है ।

*६२—श्री तेजा सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद की वर्तमान तहसील को गिराकर नया भवन बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह—जी हां ।

*६३-६४—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—[२६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

कलेक्टरी कचहरी बलिया में भर्ती किये गये हरिजनों की संख्या

*६५—श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी कचहरी बलिया में सन् १९५० ई० से सन् १९५३ तक कितने क्लर्क और चपरासियों की भर्ती की गयी है और उसमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५० ई० म जिला बलिया की कलेक्टरी में दो (२) पेड अप्रेंटिसों और बारह (१२) चपरासियान की भरती हुयी । पेड अप्रेंटिसों में कोई हरिजन नहीं था । १२ चपरासियों में एक (१) हरिजन की भरती की गयी थी ।

श्री रामरतन प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी जिलाधीश को इस प्रकार क आदेश भेजने का विचार रखते हैं कि आगे होने वाले स्थानों पर हरिजनों की ही भर्ती की जाय ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जहां तक पेड अपरेंटिसों का सवाल है ९ स्थान हैं, सन् १९४९ में एक हरिजन पेड अपरेंटिस रख लिया गया था। इसलिये ९ स्थानों में से एक स्थान पर एक हरिजन हो गया है। अब चपरासियों की ५० जगहें हैं। उनके लिये जिलाधीश ने स्वयं इस बात को सदा कहा है कि भविष्य में जब कोई जगह खाली होगी तो संख्या के हिसाब से हरिजनों को ही रक्खा जायगा।

श्री परमेश्वरी राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चपरासियों की दरख्वास्तों में हरिजनों की कितनी दरख्वास्तें थीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*३६—श्री रामरतन प्रसाद—[१९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर में ओलों से फसल को हानि

*६७—श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील बिलासपुर जिला रामपुर में १५ फरवरी, सन् ५४ को ओले पड़े हैं, जिनसे फसल को हानि हुयी है ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*६८—श्री कल्याण राय—क्या सरकार इस क्षेत्र के कृषकों की सहायता के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह—जिन गांवों में आठ आने या इससे अधिक हानि हुयी है वहां की मालगुजारी व तकावी की वसूली फिलहाल स्थगित कर दी गयी है। मालगुजारी के छूट के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है। २५,००० रुपया तकावी बांटी जा रही है और जरूरतमंद लोगों को अहेतुक सहायता तथा फूस और लकड़ी देने की भी व्यवस्था की जा रही है।

*६९-७०—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—[२६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*७१—श्री धनुषधारी पाण्डेय—[१५ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७२—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—[८ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गांव सभा के अधीन परती भूमि का जिलाधीश द्वारा वितरण

*७३—श्री रामदास आर्य—क्या सरकार गांव सभा के अधीन परती भूमि को गांव सभा द्वारा वितरण न करा कर जिलाधीश द्वारा कराने को सोच रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐसी बंजर जमीनों के ऊपर अनधिकार लोगों ने कब्जा कर लिया है।

श्री चरण सिंह—जी हां, कहीं कहीं कर लिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—तो उसका क्या प्रबन्ध सरकार ने किया है ?

श्री चरण सिंह---जैसा मैंने माननीय मित्र के सामने मुजफ्फरनगर में इस बात को कहा था कि नियम ११५ बन गया है और जिलाधीशों को आदेश दे दिया गया है, उसके मुताबिक लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी को काम करना है तथा समस्त गांव समाज को भी लिख कर भेज दिया गया है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गांव समाज की परती जमीन में से ही जूनियर हाई स्कूलों की कृषि की शिक्षा के लिये जमीनों को पट्टे पर दे दिया गया है जो जमींदारी उन्मूलन की धारा १९८ के विरुद्ध है?

श्री चरण सिंह---दफा १९८ के विरुद्ध कहीं कोई कार्यवाही हुई है और गवर्नमेंट के हुक्म से हुयी है, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है कि कहीं हुयी है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गांव की परती जमीनों में से ही अधिकांश जूनियर हाई स्कूलों में कृषि की शिक्षा के लिये दस-दस या पांच-पांच एकड़ भूमि दी गयी है?

श्री चरण सिंह---अधिकांश या ज्यादातर ऐसी जमीनें दी गयी हैं, ऐसा गवर्नमेंट को कोई इल्म नहीं है। वैसे दफा ११७ के मातहत गवर्नमेंट पब्लिक परपज के लिये परती जमीन को जो गांव समाज को दिया है रिज्यूम करके स्कूल को दे सकती है। दफा १९८ के विरुद्ध कोई जमीन दी गयी है, ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय माल मंत्री जी प्रदेश के सारे जिलों में इस प्रकार की कोई जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री चरण सिंह---मैं इसकी आवश्यकता फिलहाल तो समझता नहीं हूं क्योंकि कोई शिकायत ही नहीं आयी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---भूमि प्रबंधक कमेटी की अकर्मण्यता को देखते हुए परती जमीन के प्रबन्ध को क्या माननीय मंत्री जी जिलाधीशों को देने का विचार करेंगे?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, हरगिज नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१---**श्री गुप्तार सिंह**---[१२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

लैन्सडौन तहसील के पूर्वी भाग में बीज गोदाम

२---**श्री राम प्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लैन्सडौन तहसील के पूर्वीय भाग में कितने बीज गोदाम हैं? यदि नहीं हैं, तो क्या सरकार वहां बीज गोदाम खोलने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह---लैन्सडौन तहसील के कोटद्वार में कृषि विभाग का उन्नत बीज गोदाम है पर तहसील के पूर्वीय भाग में कोई बीज गोदाम नहीं है और न खोलने का सरकार विचार रखती है।

३-४---**श्री राम प्रसाद नौटियाल**---[२६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

५-७---**श्री चन्द्र सिंह रावत** (जिला गढ़वाल)---[८ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

‡स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

एजेंडे में छपा है उसमें मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन करना चाहता हूं कि यह एक प्रवर समिति के बजाय ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रिफर (निर्दिष्ट) किया जाय जिस में दोनों हाउसेज के मेम्बर्स हों । इस संशोधन का अर्थ यह है कि इस हाउस में अगर इसी की सेलेक्ट कमेटी को यह बिल भेजा जाय और उसकी रिपोर्ट पर यहां विचार होने के बाद जब कौंसिल में जाये तो यह हो सकता है कि वहां भी यह इच्छा हो कि इसकी अच्छी तरह से छानबीन करने के लिये एक सेलेक्ट कमेटी को रिफर किया जाय । इस समय को बचाने के लिये यह मुनासिब होगा कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रिफर किया जाय ताकि दोनों हाउस के मेम्बरों को अच्छी तरह से गहराई तक देखने का मौका मिल सके और समय कम लगे ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—प्वाइंट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का जो उद्देश्य और कारण है उसमें लिखा हुआ है :

"The whole matter was accordingly got examined by a committee consisting of members of both the Houses of the State Legislature."

क्या माननीय मंत्री जी उस कमेटी की प्रोसीडिंग्स को इस सदन को देने की कृपा करेंगे जिसके आधार पर यह बिल लाया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—वह अभी बटवारे के लिये मैंने लेजिस्लेटिव विभाग को भेज दी है और इस वक्त चूंकि सदन बैठ चुका था और डिस्टरबेंस होता उसको बचाने के लिये लंच के समय में यहां बांट दी जायगी और लोगों को मिल जायगी ।

श्री अध्यक्ष—वह मिल जायगी ।

श्री मोहन लाल गौतम—इसलिए मैं इस सदन का शुरू में अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा और जो जो बातें बहस के दौरान में उठेंगी उन पर बाद में उत्तर के समय ज्यादा समय लेने की चेष्टा करूंगा फिर उन मुख्य-मुख्य संशोधनों को जो इस बिल में हैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं ।

यह बिल गांव सभाओं, पंचायतों और पंचायती अदालतों के संगठन और कार्यक्रम इत्यादि को दोबारा विचार करने के उपरान्त संशोधनों से सम्बन्ध रखता है । गांव सभाओं के संगठन के सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये गये हैं, कुछ पंचायतों के संगठन से भी न्याय पंचायतों के संगठन से भी संबंधित हैं । यह छोटे-छोटे संशोधन तो १९५१ और १९५२ में हुए थे लेकिन अच्छी तरह से उनको देखभाल करके और करीब चार, साढ़े चार साल तक उनको देखभाल करके यह संशोधित बिल इस सम्बन्ध में पहली बात है और यह पहला अवसर है जब पंचायत राज्य ऐक्ट अच्छी तरह से ओवरहाल किया जा रहा है । इस पंचायत राज्य ऐक्ट के बारे में बहुत दिनों से बहुत सी शिकायतें भी आयीं और लोगों को बहुत तकलीफें भी सुनायी दीं । इसलिए सरकार ने इस बिल पर विचार करने के लिये एक कमेटी बैठायी जिसमें इस और

---

*११ मार्च, १९५४ को कार्यवाही में छपा है ।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन लाल गौतम]

उस दोनों सदनों के मेम्बर उसके मेम्बर थे और जिसमें प्रयत्न यह किया गया था कि कमेटी छोटी रखी जाय लेकिन फिर भी सभी दलों के सदस्यों को उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। जैसा अभी उपाध्याय जी ने पूछा उस कमेटी ने जो कुछ विचार मुख्यतः दिये उन्हीं के आधार पर यह बिल पेश किया जा रहा है। वह रिपोर्ट अभी इस सदन के सभी सदस्यों को थोड़ी देर में मिल जायगी और मुझे आशा है कि वह उन तमाम बातों को सफाई के साथ बतलाने में सहायक होगी, जिनके लिये संशोधन इस बिल में पेश हैं। जो-जो संशोधन इस बिल में हैं उनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं—

एक तो गांव सभाओं का जो पहले संघटन था उसमें कुछ चेनजेज हुये। पहले कुछ लोगों को गांव सभाओं की सदस्यता से वंचित रखा जाता था जैसे दिवालिया, कोढ़ी और मुलाजिम अब उसको बदल दिया गया है और जो अधिकार प्यूपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के मुताबिक सब को वोट देने के हैं उन्हीं के अनुसार गांव सभाओं में भी सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। यूं तो गांव सभा के सदस्य को दो अधिकार हैं, एक तो राय देने का और इसके साथ ही साथ दूसरा अधिकार यह है कि वह गांव सभा का मेम्बर हो जाता है, चूंकि गांव सभा एक कारपोरेट बाडी है यानी गांव सभा बजट भी पास करती है और टैक्स भी लगाती है और अपना कार्यक्रम भी निर्धारित करती है। इस माने में वह एक कारपोरेट बाडी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसको भी आप गांव सभा का वोटर बनायेंगे उसको आप यह सब अधिकार देते हैं और अगर इन अधिकारों से आप वंचित रखना चाहते हैं कि वह दिवालिया है, कोढ़ी है या मुलाजिम है तो आप उसको राय देने के अधिकार से भी वंचित रखते हैं। इसलिए हरएक व्यक्ति को जिसको कि पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार हो, असेम्बली में वोट देने का अधिकार हो, लेकिन जिसको गांव सभा में वोट देने का अधिकार न हो, यह कुछ ठीक नहीं जंचता।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय मंत्री जी कृपा करके माइक्रोफोन के सामने बोलें तो साफ सुनाई दे।

श्री मोहन लाल गौतम—इसलिये गांव सभाओं को वोट देने का अधिकार उन सब लोगों को है जोकि इस देश के निवासी हैं और किसी वजह से डिस्क्वालीफाई न हुये हों, ऐसे सब लोगों को जब आप गांव सभा में वोट देने का अधिकार देते हैं तो उसी समय वह गांव सभा के मेम्बर भी हो जाते हैं। इसलिये पहले गांव सभा के मेम्बर होने को जो कोई भी डिस्क्वालीफिकेशन थीं वह अब नहीं रहीं।

इसके साथ ही साथ सभापति के बारे में भी दो एक पाबंदियां लगादी गयी हैं। एक यह कि अब गांव सभा का सभापति कम से कम ३० साल की अवस्था का हो और दूसरे यह कि वह कुछ पढ़ना-लिखना जानता हो। शिकायतें यह आईं कि सेक्रेटरी ने गांव सभा में टैक्स की लिस्ट बना ली और प्रेसीडेण्ट साहब ने उस पर अंगूठा लगा दिया। जब दरियाफ्त किया गया तो प्रेसीडेण्ट साहब ने कहा कि हमसे सेक्रेटरी साहब ने कहा था इसलिये हमने अंगूठा लगा दिया। इसलिये एक्जीक्यूटिव एथारिटी टैक्स लगाने की जिम्मेदारी जिसको दें जो कि गांव में भलाई और बुराई करने का जिम्मेदार हो, वह हेड हो उस एक्जीक्यूटिव एथारिटी का और अगर वह किसी भी फैसले को, किसी भी निर्णय को जिसकी बाबत में वह कुछ न जान सके और उस पर अंगूठा लगा दे, यह उचित नहीं मालूम होता है। गांव सभाओं की जो शिकायतें हैं उनमें एक बड़ी शिकायत यह है कि जो गांव की सभाओं में टैक्स लगाये गये उन में कुछ बेकायदगियां हुईं। पहली बात तो यही कही जाती है कि सेक्रेटरी एक लिस्ट बना लेते हैं और प्रेसीडेण्ट उस पर दस्तखत कर देते हैं और बगैर गांव सभाओं की कोई बैठक हुये ही टैक्स लगा दिया जाता है। एक प्रकार की शिकायत यह थी। इसको दूर करने के लिये एक बात यह की गयी कि सेक्रेटरियों के यहां से वेतन दिया जाने लगा। वह रक़म करीब

५०, ६० लाख के बीच में है। इसलिये अब जब कि सेक्रेटरियों की तनख्वाह मिलेगी तो सेक्रेटरियों को यह जरूरत नहीं होगी कि जबरदस्ती कोई टैक्स लगावें और वसूल करें ताकि उनकी तनख्वाह मिल सके। एक तो जो यह वजह हो सकती थी उसे दूर करने की हमने कोशिश की और दूसरे अगर यह शिकायत हो कि सभापति बगैर जाने बूझे कागज पर अंगूठा लगा देते हैं जिसका अर्थ यह होता है कि मजबूरन गांव वालों से टैक्स वसूल किया जाता है तो इसको दूर करने के लिये यह जरूरी है कि गांव सभाओं के सभापति पढ़े-लिखे हों ताकि जिस कागज पर वह दस्तखत करें उसे समझ लें।

दूसरी चीज यह है कि ३० साल की उम्र रखी गयी है ताकि तजुर्बेकार और दुनियां में कुछ रहा आदमी ही सभापति बनाया जाय। इससे भी शिकायतें खत्म हो जायंगी। इसलिये कुछ अनुभव की आवश्यकता समझ कर ऐसे सभापति की उम्र कम से कम ३० साल कर दी गयी है। इस तरह की शर्तें कुछ और जगह भी आप को विधान में मिलेंगी, उसको मैं दोहराने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन यह जरूरी है कि इस तरह की आवश्यकता समझी जाती है कि कहीं-कहीं उम्र की शर्त लगा कर के कुछ लोगों को रखा जाता है या यह कहें कि कुछ तजुर्बेकार आदमियों को उस स्थान पर लाने की कोशिश की जाती है। इस तरह की विधान में भी कुछ चीजें आप को मिलेंगी और उसी के अनुसार यह भी कम से कम तीस साल की उम्र कर दी गयी है।

अभी तक यह था कि सभापति को किसी भी मीटिंग में दो-तिहाई वोटों से हटाया जा सकता था। उसमें बड़ी मुश्किल यह होती थी कि सभापति अपने आप को सीक्योर फील नहीं करता था। जब भी आप किसी को अथारिटी दें, उसमें यह भी जरूरी है कि उसमें कुछ इग्जिकिटिव रक्षा हो। लेकिन रक्षा के यह माने नहीं हैं कि उसको हटाया ही न जा सके चाहे सारे गांव सभा के लोग उसके खिलाफ हों। यह मुनासिब भी बात नहीं होगी और काम भी नहीं चलेगा, इसलिये वह दो-तिहाई की शर्त कि दो-तिहाई से गांव सभा के सभापति को हटाया जा सकता है वह तो रही, लेकिन यह कर दिया गया है कि उस मामले को हर एक मीटिंग में नहीं ले सकते हैं बल्कि उसके लिये एक विशेष मीटिंग बुलाई जाय और १५ दिन की नोटिस दी जाय। ख्याल यह था कि अगर कभी किसी मीटिंग में जो प्रेसाइडिंग अथारिटी उस मीटिंग में हो उससे लोग किसी वजह से नाराज हो जायं और उसको दो-तिहाई वोट से हटाने की कोशिश करें, तो यह मुनासिब नहीं होगा। उस सभापति को दो अथारिटीज हैं। अध्यक्ष महोदय, गुस्ताखी माफ हो, एक तो वह आपकी तरह जब सभा बैठती है तब बजट पास कराता है और दूसरे वह प्रधान मंत्री की तरह एक्जीक्यूटिव एथारिटी का हेड है जो कि उन तमाम फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है, टैक्स वसूल कराता है, खर्च करता है। इस तरह उसकी दो अथारिटीज हैं और किसी मीटिंग में गांव सभा वाले नाराज हो कर अगर दो-तिहाई वोटों से उसको हटाना चाहें तो आज के कायदे में उसको हटा सकते थे, लेकिन अब उसके लिये एक स्पेशल मीटिंग बुलानी होगी और १५ दिन की नोटिस देनी होगी। इससे उसकी कुछ रक्षा होगी। अब लोग उसको हटाने में शांतिपूर्वक विचार करेंगे और १५ दिन का ऐसा मौका होगा कि हर आदमी शांतिपूर्वक विचार कर सकेगा कि सभापति को हटाया जाय या न हटाया जाय।

इस वक्त हमारे कायदे कानून में एलेक्शन पेटीशनों का कोई प्राविजन नहीं है। अब इसके लिये प्राविजन रखा गया है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो तो उसके लिये कोई इन्तजाम हो जाय। हालांकि ज्यादा एलेक्शन पेटीशन्स को इनकेज करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उससे गांव की लाइफ खराब होगी, लेकिन फिर भी एलेक्शन्स जब होंगे तो थोड़ा सा इंतजाम आप को करना पड़ेगा और इसीलिये इसमें एलेक्शन पेटीशन का प्राविजन रखा गया है। अब तक इस कानून में यह था कि माइनारिटीज की ही रक्षा होगी। कभी-कभी यह भ्रम हो जाता है कि माइनारिटी के माने मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है। इस पंचायत राज कानून में माइनारिटी हिन्दू भी हो सकते हैं और मुसलमान भी हो सकते हैं। जिस गांव में ज्यादा मुसलमान हैं उसमें माइनारिटी हिन्दुओं की और जिस गांव में ज्यादा हिन्दू हैं उसमें माइनारिटी

[श्री मोहन लाल गौतम]

मुसलमानों की होगी। इस कानून के अन्दर माइनारिटी के मतलब देश या प्रदेश की माइनारिटी से नहीं है। अब विधान में इस तरह की माइनारिटी का प्राविजन नहीं है। इसलिये यह संशोधन हुआ है कि इस प्रकार की माइनारिटी का प्राविजन गांव पंचायत के इलेक्शन में न रखा जाय। यह जरूर है कि हरिजनों के लिये कांस्टीट्यूशन में भी प्राविजन है और इस हाउस में भी है इसलिये उसको अभी गांव सभा से हटाना मुनासिब नहीं समझा गया। इसलिये हरिजनों की रक्षा है और दूसरी माइनारिटीज के लिये अब नहीं रखा गया है।

अभी तक सब से बड़ी दिक्कत गांव सभा की या सभी लोकल बाडीज की मैं कहूं यह है कि उनके पास अपने काम के लिये रुपया नहीं है। जो उनकी आमदनी के जरिये हैं वे बहुत लिमिटेड हैं इसलिये वे काम अपना पूरा नहीं कर सकतीं और जब काम पूरा नहीं कर सकतीं तो उनकी शिकायतें की जाती हैं। अंग्रेजी जमाने में तो यह ठीक था कि हिन्दुस्तानी नालायक हैं, लोकल बाडीज का भी इन्तजाम नहीं कर सकते तो देश का इन्तजाम कैसे करेंगे, लेकिन यह अब उल्टा हो रहा है और वह यह है कि देश का इन्तजाम काफी अच्छा है, प्रदेश का इन्तजाम काफ़ी अच्छा है लेकिन लोकल बाडीज का इंतजाम जैसे पहले था वैसा ही है या उससे खराब है, इस पर बहस हो सकती है, और उसकी मुख्य वजह यह है कि उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है और लोगों की मांगे ज्यादा हैं, अब हर एक सुविधा के लिये मांग है और उसको न देना असंतोष को फैलाना है। इसलिये गांव सभाओं को कुछ दिशाओं में टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। कुछ जमींदारी एबालिशन की वजह से भी आवश्यक संशोधन इसमें हैं। इसके अलावा जो टैक्स लगाने का अधिकार है उसमें एक दिक्कत यह है कि हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, हम ग़रीब हैं इसमें दो राय नहीं हैं, और टैक्स लगाने की भी एक हद होती है जिस हद तक टैक्स लगाया जा सकता है, इस लम्बी बहस में तो इस वक्त मैं नहीं पड़ूंगा कि कितना टैक्स उन पर लगाना चाहिये और कितना लगा हुआ है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि और उससे इस सदन के किसी भी सदस्य को मतभेद करने का शायद अधिकार न हो कि टैक्स इन काइंड, यानी श्रमदान के रूप में अगर गांव सभा वाले मांग करें और यह कहें कि अपनी भलाई के लिये हम सब मिल कर मेहनत से कुछ काम करें तो यह ताक़त गांव सभा में है और गांव सभा के मेम्बरों के पास स्त्रियों को छोड़ दिया जाय या न छोड़ा जाय, इस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन स्त्रियों के अलावा पुरुषों पर और वह भी एक उम्र तक ५५ साल या ६० साल, जो भी किसी का विचार हो, गांव सभा के मेम्बरों को यह ताक़त है कि वे अपने आप श्रम दे कर गांवों में सुविधाएं दे सकते हैं, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। इसमें मतभेद हो सकता है कि उस श्रमदान का किस तरह से उपयोग किया जाय लेकिन इससे कोई मतभेद नहीं कर सकेगा कि अपने आप को सुविधा देने के लिये गांव वालों से यह कहा जाय कि साल में २४ दिन हर एक व्यक्ति उसमें काम करे। इसलिये उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिये और जो गांव सभाओं को यह दिक्कत है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनको कुछ हद तक दूर करने के लिये यह प्राविजन किया गया है। और मेरा खयाल यह है कि जिस तरह से इस प्रदेश में श्रमदान से काफी काम हो रहा है और हुआ है उसको ध्यान में रखते हुये इसको इकट्ठा करने के लिये यह प्राविजन बहुत ही अच्छा है। इससे गांव वाले बहुत लाभ उठायेंगे। हमारे सामने.....

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—स्पीकर महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्राविजन के विषय में माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि उसमें यह दफा २९ है, जो विषय है उसके अन्तर्गत जितने अमेंडमेंट दिये गये हैं श्रमदान के बारे में, उसको मैं इसलिये आप के सामने रखना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है और कास्टीट्यूशन के आर्टिकिल्स २३ और २४ दोनों को ही ले लीजिये.....

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो आप उस समय उठा सकते हैं जब कि धारा विचार के लिये आये। अभी तो प्रश्न यह है कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाय।

श्री जयपाल सिंह--मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जो धारा कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है क्या उसके सम्बन्ध में हाउस को अधिकार है कि उस पर विचार करे और इनैक्टमेंट करे।

श्री अध्यक्ष--वही तो मैं कह रहा था कि आप पूरे विधेयक को अवैधानिक नहीं कह रहे हैं। इसलिये जिस वक्त धारा का प्रश्न आये उस वक्त आप यह प्रश्न उठा सकते हैं कि यह अवैधानिक है लिहाजा यह निकाल दी जाय। आप पूरे विधेयक को अवैधानिक नहीं कह रहे हैं। इसलिये इस समय प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन लाल गौतम--अब तक जो टैक्सेज लगाये जाते रहे थे वे गांव सभाओं के तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि जब उसको माफ करने की जरूरत महसूस होती थी। लेकिन जब टैक्स एक बार लग गया और उसको माफ करने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो न सरकार और न गांव सभा ही उसको माफ कर सकती थी। इससे कई बार कठिनाई होती थी और दिक्कतें पेश आती थीं। इसलिये यह भी प्राविजन रखा गया है कि जो टैक्सेज लगाये जायं उनके सम्बन्ध में आवश्यकता समझी जाय तो उनको रेमिट किया जा सके।

यह तो मोटी मोटी बातें मैंने सदन के सामने गांव सभा और गांव पंचायतों के बारे में रखी हैं। इसका दूसरा हिस्सा पंचायती अदालतों के सम्बन्ध में है। इसका संशोधन यह है कि इसका नाम पंचायती अदालत से हटा कर न्याय पंचायत रखा जाय। इसमें ऐसी बात है कि न्याय करने के लिये यह पंचायत है न कि अदालतें। इसमें भी एवीडेंस वगैरह आयें इसकी जरूरत नहीं है और जहां तक पंचायती अदालत काम कर रही हैं वह स्पोट जस्टिस का आइडिया था। इसलिये इनका नाम न्याय पंचायत रखा गया है क्योंकि अदालत का नाम था इसलिये बड़ी बहस हुआ करती थी और उसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। बड़े बड़े जजों-वकीलों और पब्लिक मैन ने इस बहस में हिस्सा लिया है और लोगों की इस संबंध में दो राय हैं लिहाजा यह संशोधन है कि पंचायती अदालत से इसका नाम न्याय पंचायत कर दिया जाय।

इसके बारे में बड़ा भारी क्रिटिसिज्म यह है कि अदालत इलेक्टेड न हो इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने और न्यायधीशों ने हिस्सा लिया और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सभी सदस्यों को यह मालूम होगा कि हमारे सब से बड़े न्यायधीश श्री पातंजलि शास्त्री जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया थे उनकी राय थी कि यह जुडिश्यरी एलेक्टेड नहीं होनी चाहिये। यह चीज ऐसी है जिसको आसानी से नजरअंदाज कर देना मुनासिब नहीं होगा। हमारा अपना तजुर्बा यह कहता है कि इन न्याय पंचायतों ने काफी अच्छा काम किया। मैं पिछले बजट के समय कुछ आंकड़े भी इसके सम्बन्ध में पेश कर चुका हूं। और जब मैंने पेश किया कि पौने तेरह साल के क़रीब मुक़दमें उन्होंने फैसल किये जो रिवीजन मंजूर हुये उनकी संख्या १.७ परसेंट थी, इसका अर्थ यह था कि ९८.३ परसेंट जो फैसले बहाल रहे जो न्याय पंचायतों ने किये। तो इससे यह नतीजा निकाला गया कि इन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि एक संस्था गांव सभा वालों को थी, उसको अपने मुक़दमें फैसले करने का अधिकार दिया और जो आंकड़े हमारे पास हैं उनसे हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि यह इतना ज्यादा खराब काम कर रही है कि जिससे उन्हें तोड़ देना चाहिये। जब इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि वे तोड़ दी जानी चाहिये तब हमारे लिये यह मुनासिब नहीं है कि जो शिकायतें इसके बारे में हों उन पर विचार करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। तब, जब न्याय पंचायतों को अच्छा काम हम देखते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि न्याय पंचायतें रहें, यह तब भी देखना है कि अगर उनके कांस्टीट्यूशन के बारे में वैलिड क्रिटिसिज्म है, अगर कोई ऐसी बात है जिसको आप भी सही समझ सकते हैं तो उस पर ग़ौर करने की जरूरत है।

हमारा ख्याल यह है कि एलेक्शन से कुछ खराबियां आती हैं और कहीं कहीं ऐसे लोग एलेक्ट हो गये हैं जिनके कि बारे में शिकायतें हैं। क्योंकि यह इतनी बड़ी संस्था है, ८,४१९ न्याय पंचायतें हैं और उनमें १५ से लेकर २५ तक आदमी हैं। तो इस प्रकार लाखों आदमी जहां हों और वह लाखों आदमी मासेज में से आपने लिये हों, और वह ऐसे हों जिनको पहले कोई

[श्री मोहनलाल गौतम]

अधिकार इस प्रकार का न मिला हो और उनको ऐसे अधिकार देकर इतना काम उनसे लेना चाहें तो ऐसा होना स्वाभाविक है कि कोई ग़लत आदमी ऐसी पंचायतों में आ गये हों। शिकायतें हैं कि रुपया लेकर गड़बड़ी करते हैं, असर में आकर गड़बड़ी करते हैं। एलेक्शन की वजह से भी उनके दिमाग़ में ऐसा असर रहता है कि जिन्होंने वोट दिये हों उनका पक्षपात करें और जिन्होंने न दिये हों उनके विरुद्ध कार्य करें, इस तरह की शिकायतें हैं। तो मैं आपके द्वारा इस सदन के मेम्बरों से कहूंगा कि इस सदन के सामने यह प्रश्न है कि हमने नया तजुर्बा किया, उसके काम को देख कर इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि उसको आमूल नष्ट कर दिया जाय, तब इस बात पर विचार करना होगा कि उनके संगठन को, कम्पोजीशन को कैसे ठीक किया जाय जिससे उसमें वह ख़राबियां न रहें जो कि इस वक्त हैं। इसलिये इस नतीजे पर मजबूरन पहुंचना पड़ता है कि न्याय पंचायतें रहें और उनमें ऐसे लोग हों जिन पर गांव वालों का पूरा विश्वास हो।

बाहर से नामजद करने की अगर बात कही जाय और बिलकुल सभी लोग नामजद कर दिये जायं तो वह न्याय पंचायतें नहीं रहेंगी, आनरेरी मजिस्ट्रेट की शक्ल हो जायगी, चाहे आप उनकी संख्या कितनी ही बढ़ा दें, एक गांव में एक-एक कर दीजिये। उनकी नियुक्ति और रिमूवल में गांव वालों का हाथ नहीं होगा। इसलिये उनको पंचायत कहना मुनासिब नहीं होगा। तो जिस अधिकार को गांव वालों ने अच्छी तरह से बरता है उसको छीन लेना मुनासिब नहीं है। इसलिये इन न्याय पंचायतों में एलेक्शन यानी जनता की राय भी उनसे ली जाय यह आवश्यक है। एक ओर तो आपको यह देखना है कि ऐसे पंच चुने जायं जिन पर जनता का विश्वास हो यानी उनके लिये जनता को राय देने का अधिकार हो और राय देने का अधिकार और विश्वास प्राप्त करने का अधिकार चुनाव के जरिये से ही हो सकता है, दूसरी ओर यह है कि चुनाव से जो ख़राबियां आती हैं जिनकी वजह से ठीक न्याय नहीं मिलता और जिसकी वजह से कहीं कहीं त्राहि त्राहि मची हुई है, चाहे वह दो परसेंट ही क्यों न हो, अगर दो लाख आदमियों में से जो इस वक्त न्याय पंचायतों के सदस्य हैं, एक परसेंट भी अगर ऐसे हों तो दो हजार हो जाते हैं, दो हजार पंच अगर अन्याय करने लगें और उनकी मिसालें इन सदन के सदस्यों के पास आने लगें और इस सदन में आने लगें तो एक तूफान मच जायगा, इसलिये चाहे कितने ही थोड़े आदमी उसमें ख़राबी करते हों, इस चुनाव से कुछ न कुछ ख़राबियां हैं जिनको कि दूर करना हमारा और आप सबका कर्त्तव्य है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, दोनों चीजों का समन्वय किया गया है, सिन्थेसिस की गई है। एलेक्शन भी होगा, अर्थात् कोई भी न्याय पंचायत का पंच ऐसा नहीं हो सकता जिसे कि गांव पंचायत का विश्वास प्राप्त न हो और दूसरा यह है कि केवल इसीलिये कि वह चुने गये हैं, वह अन्याय न करने लगें क्योंकि कोई ऐसा आदमी अपने डंडे के बल पर वोट लेना चाहता है या अपने पैसे के ज़ोर से वोट लेना चाहता है, या किसी भी तरह से वोट लेना चाहता है, वह अगर चुनकर आता है और वहां बैठकर पंच या सरपंच होकर फैसले करता है और उसके बाद अन्याय करने लगता है, तो इस चीज को रोकने के लिये उसमें नामिनेशन का भी एलीमेंट रखा गया है। इन दोनों चीजों का समन्वय किया गया है। तो अब न्याय पंचायतें इस तरह की होंगी।

गांव सभाओं के बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि गांव सभा और गांव समाज के सवाल को हल करने के लिये इस तरफ हम क़दम बढ़ा रहे हैं कि २५० से कम आबादी के गांव पड़ोस के गांव में मिला दिये जायं और इस तरह से पहाड़ के इलाके को छोड़कर जो गांवों की तादाद इस समय ९७ या ९८ हजार के क़रीब है वह कम हो कर अब लगभग ६० हजार के हो जायेंगे। तो इन सब गांवों को जो कि रेवेन्यू विलेजेज हो जायंगे, उनमें हर एक में गांव सभा बनाई जाय, इस तरह कुछ विचार है। ऐसी गांव सभायें कितनी रहेंगी, यह हमारा अन्तिम निर्णय नहीं है लेकिन हमारा विचार है कि यह जो न्याय पंचायतें हैं इनकी संख्या ८४ हजार मान कर चला जाय। तो ८४ हजार अगर पंचायतें हैं और पहाड़ी हिस्से को छोड़ कर मैदान के इलाके में ६० हजार अगर गांव हैं और उनमें गांव सभायें बना दें और पहाड़ी इलाक़े में भी क़रीब १२, १३ हजार गांव हैं, उनमें भी कुछ ऐसा ही करें तो ६०, ६५ हजार या ७० हजार के लगभग गांव सभायें बन सकती हैं।

यह भी एक विचारने की बात है कि इतनी गांव सभायें बनायी जायं और आठ हजार ही न्याय पंचायतें रहें, तब सात आठ नौ दस तक एक एक न्याय पंचायत के अन्दर गांव सभायें हो सकती हैं। यह डिपेंड करेगा उनके क्षेत्र पर। लेकिन यह अगर मान लें कि सात आठ नौ दस तक गांव सभायें एक न्याय पंचायत के मातहत हो सकती हैं, तो अब दो प्रश्न पैदा होते हैं। एक यह कि गांव सभा के कितने गांव पंच हों। गांव पंच कितने हों, यह सवाल पैदा होगा। अगर कम रखे जायं, तो यह डर है कि उसमें ज्यादा एलेक्शन हो जायगा। हर एक ग्रूप यह कोशिश करेगा कि हम भी पंचायत में हों। इसलिए ज्यादा रखने में कुछ सहूलियत हो सकती है और चुनाव की खराबियां कम आयेंगी। क्योंकि देखा यह गया है कि गांव पंचायतें या अदालती पंचायतें, जो कि बगैर चुनाव के हुई हैं, वहां का काम ज्यादा अच्छा है बनिस्बत वहां के काम के जहां कि पंचायतें और न्याय पंचायतें चुनाव से हुई हैं। तो चुनाव से गांव सभाओं को बचाने के लिये अगर पंचायतों की संख्या ज्यादा रखी जाय, तो शायद उसमें सहूलियत होगी। लेकिन जब पंचायत के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तो कोरम पूरा नहीं होता है और काम नहीं हो पाता। इसके लिए यह हो सकता है कि कोरम घटा दिया जाय ताकि काम होता रहे। तो अब यह तय करना होगा कि गांव पंचायत के कितने सदस्य होंगे। पन्द्रह हों, बीस हों, पच्चीस हों—अभी तो ३१ से ५१ तक की संख्या है। लेकिन इसको घटाना शायद आप मुनासिब समझें। मान लीजिये कि ३१ हैं उनको कम करना है या नहीं, कम करना है, उस बहस में मैं अभी नहीं पड़ रहा हूं और जैसा कि मैंने निवेदन किया एक न्याय पंचायत में सात से दस तक गांव सभाएं हैं। अब न्याय पंचायत के कितने सदस्य हों यह दूसरी बात तय करनी होगी। आम तौर से १५ से २५ तक हैं और सात से लेकर दस गांव सभाएं हैं। एक मोटे रूप में दो आदमी अगर गांव सभा के न्याय पंचायत में आ सकते हैं, और यह मान लीजिये कि ३१ गांव पंचायत के मेम्बर हैं, अभी मैं उनकी संख्या को घटाने पर बहस नहीं करता, तो जब सदस्य चुने जायेंगे, तो ३३ आदमी चुने जायेंगे। जब ३३ आदमी चुन दिये गये तो उसमें से किसी को भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अगर नामिनेट कर दे, तो वह न्याय पंचायत में चले जायेंगे, और बाकी गांव पंचायत के मेम्बर हो जायेंगे, यानी गांव सभा एक पैनेल एलेक्ट करेगी और उस पैनेल में दो इलिमेंट्स होंगे। एक न्याय पंचायत के सदस्यों का और एक गांव पंचायत का। प्रेस्क्राइब्ड ओथारिटी न्याय पंचायत की उतनी संख्या जिसको मैं दो मान लेता हूं, जब उसमें से दो न्याय पंचायत में नामिनेट कर देंगी, तो बाकी जो रह जायेंगे वह गांव पंचायत के मेम्बर हो जायेंगे। इस तरह से गांव सभा का विश्वास प्राप्त कर चुके हैं, और इसमें अगर गांव सभा अनडेजायरेबिल एलिमेंट्स को दूर रखना चाहती है, तो उसको पूरा अधिकार है। और जो नामिनेशन में खराबियां आ सकती हैं कि किसी गलत आदमी को जिसकी थाने में या तहसील में पहुंच हो, जो किसी राजनीतिक दल के प्रभाव से पहुंच जाय, और जिसके ऊपर गांव वालों को विश्वास न हो, उसको वह सोशल कोढ़ी समझते हों, उस आदमी को नामजद कर दिया जाय—यह खराबी दूर हो जायगी। यानी वह सब आदमी जो न्याय पंचायत में चुने जायेंगे, उन सबको गांव सभा चुनेगी और उनको गांव सभा का विश्वास प्राप्त होगा, लेकिन चुनाव की जो खराबियां हैं, जिनको एक बड़ा भारी सेक्शन पतंजलि शास्त्री से लेकर कह रहा है कि एलेक्टेड जूडीशियरी में खराबियां हैं, उनको दूर करने के लिए यह बीच का रास्ता है। दोनों की संख्या मिलाकर चुना जायगा और उसमें से प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी जितनी संख्या होगी उसमें चुन देगा। इस बिल में पांच है। वह मिनिमिट है। नाट मोर दैन फाइव होनी चाहिए।

सहायक सरपंच बनाने की भी व्यवस्था की गयी है कि जब सरपंच न हो, तो किसके पास मुकदमा दायर किया जाय, जो उसे आफिशियेट कर सके। उसके लिए सहायक सरपंच की व्यवस्था की गयी है।

इसमें कुछ दफाएं आई० पी० सी० की निकाल दी गयीं हैं और कुछ जोड़ दी गयी हैं। जो सेक्शन निकाले गये हैं, वह ये हैं :—२७९, २८६, ३३६ और ३५६। ये दफाएं जिनको

[श्री मोहन लाल गौतम]

पंचायतें तय कर सकती थीं, उनको हटा दिया गया है, यह समझ कर कि ये काफी संगीन जुर्म हैं और चूंकि गांव सभा को जुर्माने का अधिकार है इसलिए इन संगीन जुर्मों को अगर वहां रखा जायगा तो बहुत से लोग थोड़ा सा जुर्माना देकर बच जायेंगे और इस तरह से यह टेंडेंसी ज्यादा हो जायगी कि गांव में लोग इस तरह से गलत काम करें। कुछ और धारायें इसमें रख दी गयी हैं, जैसे ४३१—मिस्चीफ आन पब्लिक रोड, १३—पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट और कैटिल ट्रेसपास—इस तरह के मामले गांव सभायें तय कर सकें। इस तरह से थोड़ी सी दफायें निकाल कर और थोड़ी सी जोड़ कर गांव पंचायत ऐक्ट को संशोधित किया गया है। रिवीजन के प्रोसीजर में भी कुछ परिवर्तन किया है। इस तरह से मोटी मोटी बातें अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने रख दीं। मैं सिर्फ एक ही शब्द और कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह एक इतना बड़ा तजुर्बा है जिसके नतीजे को हमें अभी देखना है। इतनी अधिक संख्या में ये संस्थायें हैं। ३६ हजार से अधिक गांव सभायें और साढ़े आठ हजार के करीब न्याय पंचायतें हैं। मैं एक ही निवेदन सदस्यों से करूंगा कि अपने अपने संकुचित अनुभवों को ख्याल में रखकर कि हमारी कांस्टीटचुएन्सीज में ये खराबियां हैं और लोग यह कहते हैं, वह कहते हैं और सारे सूबे में जो कार्य हो रहा है, उस पर पूरी तरह से दृष्टि न डाल कर केवल उनके नुकायस और खराबियां लेकर जनरेलाइज करना—यह सही तस्वीर न होगी। इसमें यह मानना पड़ेगा कि इतने बड़े तजुर्बे में खराबियां हैं, उन खराबियों को दूर करने की जरूरत है, लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इतने बड़े तजुर्बे को अच्छी कामयाबी मिली है, वह बहुत प्रशंसनीय है और इस तरह से इस कामयाबी को देखते हुए जो गांव वालों ने लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा लिया है, और जिस तरह से उन्होंने काम करके दिखाया है—उसको देखते हुए इन संस्थाओं में जो भी खराबियां हैं, उनको दूर करने का ही अभिप्राय इस संशोधन का है, न कि उनको जड़ से मिटाने का। जड़ से मिटा देने की बात कहना तस्वीर का बहुत छोटा रुख देखना होगा। मिटाने की बात समझ में नहीं आती और खराबियां नहीं हैं ऐसा कहना भी गलत है। दो हजार या चार हजार आदमियों की खराबी देखकर १०, १५ लाख आदमियों को बुरा कह दिया जाय या भला कह दिया जाय यह शायद सही न होगा। इस दृष्टि से विचार किया जाय कि संस्थायें हैं। इस प्रदेश ने बड़ा भारी प्रयोग किया है और उस प्रयोग को लेकर सारे देश में प्रयोग किया जा रहा है। संविधान में भी इसके लिए स्थान है। संविधान के इस प्राविजन को देखकर हमको यह मानना पड़ेगा कि ये संस्थायें चलनी चाहिए और उनके द्वारा कार्य होना चाहिए। जब यह बात हम मान लेते हैं तो कि ये संस्थायें रहें, उनमें जो जो खराबियां हों, उनके लिए जो भी संशोधन इस सदन के सदस्य पेश करेंगे मैं उन पर बहुत गहराई से विचार करने का प्रयत्न करूंगा और जहां तक होगा, उनको मानने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए यह प्रस्ताव है। इस सदन में शायद इतना समय न हो। इस तरह से जैसे एक सिलेक्ट कमेटी में विचार किया जाता है, उस पर एक एक शब्द, एक एक धारा पर विचार करने की आवश्यकता होती है, उसके लिये मेरा प्रस्ताव यह है कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय और जैसा शुरू में कहा था, पहले इस हाउस में बहस हो, फिर दूसरे हाउस में जाय, और पहले ही इस बात की शिकायत है कि पंचायतों के इलेक्शन्स पोस्टपोन किये गये हैं और इस कारण अपने खिलाफ आवाज न उठाने देने के लिये मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इसे ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गौर से माननीय मन्त्री जी, स्वायत्त शासन विभाग, को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जैसा यह विषय गम्भीर है, इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस समय इसको सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में केवल भेज देने मात्र से ही काम हल होने वाला नहीं है। श्रीमन्, मैं तो यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवेदन करूंगा कि यदि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन लेने के लिये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाय और इसके बाद . . .

श्री अध्यक्ष--आप कोई संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण--जी हां, मैं उसको दे दूंगा। तो श्रीमन्, यह जो मकसद इसके उद्देश्य और कारण में है, यह हो सकता है। मैं तो आज माननीय मन्त्री जी को सुनने के बाद केवल एक श्लोक पढ़कर बैठ जाना चाहता था और सदन से यह निवेदन करूंगा कि यह सदन खुद इस श्लोक पर विचार करे। यदि किसी विषय पर शतबुद्धि से विचार हो और एक बुद्धि से विचार न हो तो इस सदन के जितने माननीय सदस्य हैं, वह सब इसी नतीजे पर पहुंचेंगे, जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं। वह श्लोक यह है कि--

"शतबुद्धिः शिरस्योऽयं, लम्बते च सहस्रधीः।
एकबुद्धिरहं भद्रे ? कोणामि विमले जले ।।"

यदि एक बुद्धि से कोई काम हो तो वह ठीक हो सकता है। लेकिन माननीय मन्त्री जी तो शतबुद्धि अपने सिर पर लिये हुए हैं, और मालूम होता है कि हजारों बुद्धि लटकाये हुए चलते हैं। श्रीमन्, मैं इसके शाब्दिक अर्थ नहीं करता जो इसका अर्थ निकलता है, वही यहां पर कर रहा हूं। हमारे माननीय मन्त्री जी सहस्र बुद्धि को लटकाये हुए चलते हैं। अगर एक बुद्धि से वह काम करते, तो सारे प्रान्त में अमनचैन कायम रहता और माननीय मन्त्री जी जिस मकसद को प्राप्त करने की बात कह रहे हैं, वह भी प्राप्त हो जाता। आप जिसको माइन्ड कहते हैं यह एक दार्शनिक . . .

श्री मोहन लाल गौतम--क्या आप यह चाहते हैं कि मैं ४३१ बुद्धियों की सलाह न लेकर अपनी बुद्धि से काम कर लिया करूं ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह खामोशी के साथ सुनने की बात है।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, आपने हमारी काफी सहायता की और माननीय मन्त्री जी को समझा दिया। मैं यह निवेदन कर रहा था और इसी श्लोक को पढ़कर मुझे ख्याल आया कि जब पूज्य आचार्य नरेन्द्रदेव जी कांग्रेस छोड़ रहे थे, तो बहुत से लोगों ने उनसे सवाल किया था, उस समय उन्होंने इस श्लोक का हवाला दिया था कि इन लोगों के साथ इतनी बुद्धि हैं। इसलिए हम तो एक बुद्धि के हैं। हमारे अन्दर पांच माइन्ड वाले या हजार बुद्धि वाले नहीं हैं। मैं शतबुद्धि या हजार बुद्धिवाले माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है, और जिसको वह सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं उसकी विवेचना करें और उस सारे की विवेचना करके कोई नतीजा निकालें, तो फिर मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं। जिस विषय को माननीय मन्त्री जी ने आखिर में लिया मैं उसी को सबसे पहले लेना चाहता हूं यानी न्याय पंचायतों का संगठन। इस सम्बन्ध में जब मैं इसके उद्देश्य और कारण पढ़ रहा था, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि "विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया और इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन उसी के अनुसार हैं।" इसलिए, श्रीमन्, अब हमको यह जरूरत पड़ जाती है कि जो उस समय समिति विधान मण्डल के जरिये से बनायी गयी थी, उस समिति ने क्या सिफारिश की थी . . .

श्री अध्यक्ष--विधान मण्डल ने नहीं बनायी थी, वह सरकार ने दोनों सदनों के सदस्यों की बनायी थी।

श्री राजनारायण--सो विधान मण्डल के दोनों सदनों की जो रिपोर्ट है उसको मैं पढ़ रहा हूं। मैंने कुछ जोड़ा नहीं है। . . . . . .

श्री अध्यक्ष—यह अनुवाद ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण—इसीलिए इस अनुवाद को लेकर हमें बड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन जब माननीय मन्त्री जी ने कहा तो हमने सोचा कि शायद हम उपस्थित न रहे हों। मगर आपको धन्यवाद है कि आपने हमारी शंका दूर करदी है।

इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने जिस कमेटी की बात की उस सम्बन्ध में इलेक्शन आफ पंचायती अदालत के बारे में जो खेर कमेटी पहले बनी हुई थी, उसने कुछ सुझाव दिये थे।

श्री अध्यक्ष—यह कमेटी उसमें नहीं है। कोई सरकारी कमेटी बनी और वह सरकार ने दोनों सदनों के सदस्यों और कुछ सेक्रेटरीज, जो यहां के सचिव हैं, उनकी कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आपके सामने पेश होगी। अभी आपके पास पहुंची नहीं है। यह खेर कमेटी पुरानी है, सन् ३८ की।

श्री राजनारायण—जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, उसकी विशेष अनुकम्पा से हमारे पास वही रिपोर्ट है जिसे माननीय मन्त्री जी हमें बाद में देंगे। उसमें यह रेफरेंस दिया गया है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं :—

"Kher Committee suggested nomination by a committee of three, consisting of D. M., Chairman, District Poard and Chairman, Panagra Committee, out of members of Gaon Panchayat elected by Gaon Sabha."

यानी अदालती पंचायतें कैसे बनें, इसके लिए खेर कमेटी का यह सुझाव है। मगर यह सारांश खेर कमेटी की मंशा को ठीक रूप में नहीं बताता है, क्योंकि आगे खेर कमेटी स्वतः कहती है।

"Kher Committee, however, expressed serious objection to nomination, but agreed to above as a via media to appease the Muslim minority then opposed to elective system."

एक तरफ तो माननीय मन्त्री जी यह कहते हैं कि माइनारीटी का मतलब उनका मुसलमानों से नहीं है। माइनारीटी में हिन्दू भी हो सकते हैं। मगर खेर कमेटी का यह मंशा है कि नामीनेशन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से खेर कमेटी ने कहा इसी तरह हमारे माननीय डाक्टर काटजू ने भी कहा कि अगर इलेक्शन के आधार पर जनता द्वारा चुने हुए जजज गांव के बनें, तो वह ज्यादा अच्छे होंगे बनिस्बत नामीनेशन सिस्टम के। माननीय काटजू ने कहा है कि :—

"According to Dr. Katju, judges of villages broadbased on majority even if unsatisfactory are better than nominated ones. In time it will force the public to be more alert and careful in election which will be conducive to the growth of local democracy."

इतना अच्छा सिद्धान्त इसमें प्रतिपादित है, श्रीमन्। श्रीमन् मैं आपके जरिये से मन्त्री जी को यहां तक बताने के लिये प्रस्तुत हूं कि यदि हमारे विचारों के समर्थन में माननीय काटजू और खेर कमेटी भी नहीं रहे होते तो आज जो प्रजातंत्र प्रणाली के हमारे परिपक्व विचार हैं वे इसी प्रकार होते। इन लोगों का नाम तो हम इसलिए लेते हैं कि ये सम्मानित पुरुष और कमेटी भी हमारे विचारों के साथ हैं, वे भी उस चीज को काफी जोर देकर कहना चाहते हैं जो आज सदन में हम कहने वाले हैं। श्रीमन्, मैं समझ नहीं पाया कि माननीय मन्त्री जी प्रति बार सदन में आदरणीय पतंजलि जी का नाम लेते हैं, लेकिन यहां पर हमें उनकी कोई ऐसी वाणी प्रस्तुत नहीं मिली जिस वाणी को देख कर हम यह समझते कि पतंजलि जी माननीय काटजू और खेर कमेटी के विरुद्ध हैं और यदि ऐसा होता भी तो हम अपनी राय से जो इस बारे में है, एक इंच भी हटने को तैयार नहीं हैं।

इसके पश्चात् श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी इस बारे में विचार प्रकट किये गये हैं। उसके छोटे बड़े वाक्यों और उसको अनुवाद न कह कर उसको हिन्दी में कहता जाऊंगा ताकि हमारे सम्मानित सदस्यों को उसमें कोई एतराज न हो। उसमें कहा गया है—

"Nominated Punchas will lead to wild criticism against Government to dangerous extent, and will make public spirited men unpopular."

आगे चलकर कहते हैं कि यदि नामिनेशन सिस्टम ही अख्तियार किया गया तो उत्साही लोग जो न्याय अदालतों में बैठेंगे, अप्रिय हो जायेंगे, और सरकार की काफी टीका टिप्पणी होगी। उस टीका टिप्पणी से सरकार वंचित नहीं रह सकती।

इसके बाद ही आगे यह कहा गया है—

"The best system will be to widen the franchise to cover the whole punchayati Adalat circle as one constituency with the members of the Gaon Panchyat elected by the Gaon Sabha as the electors. Thus electors will elect different sets of candidates for different Gaon Sahbas comprised in the circle to form the requisite panel which will have thus 5 punchas."

इस तरह से श्रीमन्, हम देखते हैं कि माननीय मन्त्री जी की खिदमत में, हम अपना निवेदन और अपने साथ-साथ जो सम्मानित सदस्यों के सजेशन्स हैं, उनको रख पाये हैं और हम चाहते हैं माननीय मन्त्री जी इसको व्यापक गौरव देंगे। माननीय मन्त्री जी ने समिति के बारे में कहा, जिसके बारे में आपने भी कहा कि वह उन्होंने बनायी थी। उस कमेटी ने क्या कहा है, उसको भी मैं सदन के सम्मुख रख रहा हूं, ताकि आदरणीय सदन को यह ज्ञात हो जाय कि जैसा कि उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि यह बिल उस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, ऐसा नहीं है। वह कमेटी जो सरकार की ही बनायी हुई थी, उस कमेटी की भावना को भी इस विधेयक में अच्छी तरह से प्रकट नहीं किया गया। मैं कुछ उद्धरण उस कमेटी की रिपोर्ट से पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या आपके पास उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जैसा कि मैंने बताया वह लाइब्रेरी से हासिल कर ली है।

श्री अध्यक्ष—वह पुरानी रिपोर्ट तो नहीं है।

श्री मोहन लाल गौतम—अगर यह साईक्लोस्टाइल्ड रिपोर्ट है, तो यही है।

श्री राजनारायण—

"It was argued with considerable emphasis that if this process was adopted the Gaon Sabha may lose the incentive to select the best possible men to act as members of the Nyaya panchayat."

श्रीमन्, यहां पर साफ-साफ इस कमेटी में यह बहस हुई और काफी जोर देकर, काफी बलके साथ इस बात को वहां पर रखा गया, हमारे सम्मानित सदस्यों ने रखा कि अगर सदस्यों से, ग्राम गांव सभाओं से यह अधिकार छीन लिया जायगा, न्याय पंचायत के सदस्यों को चुनने का तो ये जो गांव सभाओं के बालिग लोग हैं, उनके अन्दर जो एक प्रेरणा है न्याय पाने की और उस दृष्टि से पाने की कि उन्हीं के द्वारा चुनी हुई पंचायतें न्याय करें, यह प्रेरणा मर जायगी, यह प्रेरणा कुंठित हो जायगी। हो सकता है कि शायद इस पर दो तीन दिनों तक वाद-विवाद हो। मैं चाहूंगा कि तब तक इस सदन के सम्मानित सदस्य इस रिपोर्ट को पा जायेंगे, तो वे

[श्री राजनारायण]

जरा गम्भीरता के साथ इसका अध्ययन करेंगे, और मेरा विश्वास है कि उसके बाद वे भी उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हुआ हूं। श्रीमन्, अगर हम इसको आगे पढ़ें, तो हर तरीके से जितनी इसकी बातें आती हैं, उससे हमारे दृष्टिकोण की पुष्टि होती है और हमारे दृष्टिकोण का पता नहीं माननीय मन्त्री जी ने कैसे एक दूसरा ही व्यू ले लिया और एक दूसरा ही दृष्टिकोण सदन के सामने प्रस्तुत किया और यहां तक कहा कि इस तरह की सिफारिशें कमेटी ने की हैं और उसी के आधार पर यह सब किया जा रहा है। उस कमेटी ने कौन सी सिफारिशें की हैं? अगर उसकी सिफारिश भी है, तो भी मैं चाहूंगा कि सदन उसको रिजेक्ट करे। क्योंकि जो नामिनेटेड सिस्टम है, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निहायत अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे अदालती पंचों को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये नामिनेट करें तो क्या गांव पंचायत राज जिस उद्देश्य को लेकर इस उत्तर प्रदेश में अवतीर्ण हुआ था उस-उद्देश्य को बिलकुल आमूल नष्ट करना नहीं होगा? उस उद्देश्य को बिलकुल जहन्नुम में नहीं फेंक देना होगा? एक काम जिसको कि हम आज उचित कहते हैं उसी काम को अनुचित कह कर, इधर-उधर येनकेन प्रकारेण उसमें कहीं-कहीं तर्क वितर्क ढूंढ ढाढ़ कर लाने की कोशिश की जा तो है, और पहले अच्छे हुए काम को बिलकुल बरबाद और चौपट करने की कोशिश होती है। मैं जानना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी भावना क्यों आया? श्रीमन्, मैं समझता था कि ६, ७ वर्ष तक जनतांत्रिक प्रणाली में काम कर चुकने के बाद इस आदरणीय सदन का एक मिनट भी ऐसी बातों में नष्ट कराने की कृपा सरकार की ओर से न होगी। मगर हम क्या कहें, इस सरकार के बारे में और क्या कहें माननीय मन्त्री जी के बारे में? एक अजीब गति है, ऐसी विकृत गति है कि इसी उल्टी गति को बिलकुल सुल्टा समझ कर आज सारे प्रान्त की जनता को जो आकांक्षायें हैं, जो उसकी प्रेरणाएं हैं, जो उसकी भावनायें हैं, उस पर हर तरफ से ऐसा प्रहार और आक्रमण कर रहे हैं कि सारी की सारी शक्ति माननीय मन्त्री जी के हाथों में सन्निहित है। श्रीमन्, न्याय पंचायत बड़ा अच्छा नाम रखा गया है। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्ही पंचायती अदालतों के जरिये हमें न्याय मिलेगा। फिर इसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए। मगर इस मौके पर श्रीमन्, मैं सकुच शब्द का प्रयोग करता हूं और उस सकुच को अपने दिल में लिये हुए इस न्याय पंचायत में नामिनेट करना मैं एक आपत्ति की बात समझता हूं। किसी माने में भी न्याय पंचायत के नाम पर हमें प्रसन्नता कम नहीं होगी। बहुत बड़ी प्रसन्नता हमारी है। मगर हमारी सकुच है कि कहीं न्याय शब्द के साथ अन्याय न हो और लोग अन्याय को ही न्याय न समझने लगें। हमारे पास गत वर्ष की हमारी डायरी मौजूद है और मैं वह दिखला सकता हूं, मुझे इसी उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलाधीशों से बातचीत करने का मौका मिला है जो ईमानदार रहे हैं और जिनकी ईमानदारी के हम कायल हैं लेकिन वह भी इस तरह के जो फैसले होंगे, उन शर्तनामों पर वह हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वहां के न्याय को हम समझते हैं। वहां तो अदालतें निर्णय देती हैं, चाहे वह न्याय हो या न हो। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह अदालती पंचायत की जगह न्याय पंचायत रखना चाहते हैं तो रख दें, लेकिन क्या माननीय मन्त्री जी सदन को यह आश्वासन भी देंगे कि उनकी इन न्याय पंचायतों के फैसले क्या न्यायपूर्ण भी होंगे? कारण यह है कि क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसको वह छोटा न करें और शब्दों के साथ खेल न करें। हमारे इस उत्तर प्रदेश में सरकार की जो गतिविधि है और सरकार की जो प्रणाली है, वह शब्दों के साथ खेल करने में बहुत अग्रसर रही है और बेजोड़ है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन न्याय पंचायतों को जिस तरह से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और जिस तरह की वह योजना ला रहे हैं, क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि क्या इन न्याय पंचायतों द्वारा किया हुआ न्याय, न्याय होगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनका नाम आप अदालती पंचायत की जगह न्याय पंचायत कर रहे हैं, उनके द्वारा न्याय करना बहुत मुश्किल हो जायगा। वह फैसला दे सकती हैं लेकिन वह जजमेंट मेजारिटी केसेज में बहुमत संख्या में बड़ा भारी अन्याय ही होगा, जिस तरीके से आप यह नामिनेटेड सिस्टम ला रहे हैं। न्याय शब्द

से तो हम सहमत हो सकते हैं लेकिन वह आब्जेक्टिव सिचुएशन या वस्तुस्थिति तो पैदा होनी चाहिए, वह तो पैदा है नहीं, सिर्फ सब्जेक्टिव तरीके से काम हो जाय यह तो आज दुनिया में कोई भी तार्किक या बुद्धिमान मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। जब यह आब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों परिस्थिति पैदा होंगी, तभी काम बन सकता है वर्ना केवल भाव प्रदर्शन से काम चलने वाला नहीं है। आप मेरे निवेदन पर जरा विचार करें। आज सारे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, परेशान है और आज की अपनी अवस्था से इतना ऊब गयी है कि इन पंचायतों द्वारा निर्णय कराने का मकसद ही महत्वहीन हो गया है।

श्रीमन्, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मुख माननीय मुख्य मन्त्री जी ने रखी थी, वह हमारी मेज पर भी वितरित हुई है। यह विषय दूसरा हो रहा है, परन्तु माननीय मन्त्री जी कांग्रेस कमेटी को जो रिपोर्ट प्रस्तुत करें, वह सरकारी विभाग द्वारा तैयार की जाय या नहीं, इस विषय पर आगे मौका होगा, तो निवेदन करूंगा परन्तु मैं इस को जनतन्त्र प्रणाली के विपरीत मानता हूं . . .

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित है कि ऐसी रिपोर्ट जो कांग्रेस कमेटी को देने के लिये प्रकाशित की जाय, वह यहां टेबिल पर रखी जाय।

श्री अध्यक्ष—इस पर इस समय विचार नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यह आपकी सूचना के लिये है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैं आपसे इसका एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह तो दूसरा प्रश्न है कि इसको कांग्रेस कमेटी के पास पेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर टेबुल पर रखा गया है, तो यह मान लेना चाहिए कि यह रिपोर्ट आपके प्रयोग के लिये है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने तो इस समय केवल सुझाव दिया है, कोई रूलिंग तो आपने दी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैंने यह रूलिंग दी है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल रहे थे, उन्होंने प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया इसलिए मैं यह समझा कि शायद यह ख्याल हो कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए मैंने यह रूलिंग दी है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—प्वाइन्ट आफ आर्डर पर मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उसका समय यह नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इतना तो आपकी खिदमत में अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि मैं श्री गेंदा सिंह जी के प्वाइन्ट आफ आर्डर से सहमत हूं।

तो मैं श्रीमन्, यह चाहता हूं कि जो सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा यह रिपोर्ट हमारे यहां प्रसारित हुई है, उसमें भी मुख्य मन्त्री जी ने पंचायती अदालतों ने जो कार्य किया, उसकी सराहना की। माननीय मन्त्री स्वशासन विभाग ने इस सदन में जब जब मौका मिला, मौके को बेमौके में परिणत करके और बेमौके को मौके में परिणत करके बराबर पंचायती अदालतों की सराहना करते रहे हैं। हमने श्रीमन्, जब जब उसमें कुछ दोष इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बतलाये, तब तब उनके दिल को ठेस ही पहुंचती थी। माननीय मन्त्री जी

[श्री राजनारायण]

कभी भी इस बात को नहीं चाहते थे कि अदालती पंचायतें जिस ढंग पर कार्य कर रही हैं, उसका विरोध कोई सदस्य करे। जो पंचायतें ९ लाख फैसले कर चुकीं और बहुत अच्छे तरीके से कर चुकीं और जिनमें करीब सवा ६ फीसदी या इससे भी कम पर माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं अपीलें हुईं, और अपीलों में भी पंचायती अदालतों ने जो निर्णय किये थे, उन्हीं को प्रतिष्ठित किया गया तो उस उत्तम ढंग से काम करने की कल्पना में आज यह नामिनेटेड सिस्टम के जरिये से तब्दीली करने की परिस्थिति कहां से पैदा हो गयी, यह प्रश्न मेरे दिमाग में जब से मन्त्री महोदय को सुन रहा हूं, उठ रहा है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय न्याय पंचायत के संगठन पर सदन में विचार हो रहा था। न्याय पंचायत जो पहले पंचायत राज ऐक्ट के मुताबिक अदालती पंचायत के नाम से हम सब जानते थे, अदालती पंचायतें किस तरह से बनती थीं, अगर यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट को देखा जाय तो आसानी से बात समझ में आ सकती है। गांव सभा से अदालत पंचायत के लिये पंच चुने जाते थे। तीन गांव सभाओं या ५ गांव सभाओं पर एक अदालती पंचायत का सर्किल होता था। अगर तीन गांव सभाओं में एक अदालती पंचायत की सर्किल होती थी तो उसमें १५ मेम्बर होते थे और अगर ५ गांव सभाओं में मिल करके एक अदालती पंचायत की सर्किल बनती थी तो उसमें २५ मेम्बर होते थे और फिर वह २५ मेम्बर अपना सरपंच चुनते थे। मगर अब इस विधेयक में अदालतें न्याय पंचायत के रूप में जो परिणत होकर संघटित होंगी उनमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो गांव सभा कार्यसमिति गांव पंचायत के रूप में बनने वाली है और जितना उसका निर्धारित कोटा होगा उसके अतिरिक्त ५ मेम्बर चुनेगा। यानी गांव सभा प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी निश्चित संख्या तय करेगी और उसके मुताबिक गांव सभा एक कार्यसमिति चुनेगी और वह कार्यसमिति गांव पंचायत के नाम से पुकारी जायगी। जितनी उसकी संख्या निर्धारित होगी उसके अतिरिक्त ५ को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामिनेट करेगा जैसा कि इस प्रस्तुत विधेयक में रक्खा गया है। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैसे उनको नामिनेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वह कौन सी कसौटी है, वह कौन सा तराजू है जिस पर रखकर वह उन जजेज को तय करेगा या उन न्याय करने वाले लोगों को चुनेगा, नामिनेट करेगा, जिससे सही माने में आम जनता को न्याय मिल सकता है, यह एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। मुझे खुशी है कि जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सम्मानित सदस्यों के हाथों में पहुंच गयी होगी। अगर उसमें देखें तो उसमें भी इस बात को काफी विशद व्याख्या की गयी है और काफी हर तरह से उसमें शक और शुबहे प्रकट किये गये हैं और यह बात बताई गयी है कि इस तरह से अगर न्याय पंचायतों के सदस्यों का नामांकन होगा तो उससे न्याय मिलने में बहुत बड़ा डर है। तो मैं श्रीमन् जानना चाहूंगा माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग] से कि वह डर जनता के दिल से कैसे दूर होगा और जिलाधीश के द्वारा नामजद किये हुए सदस्य कौन होंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, जिससे हाउस का ज्यादा समय न खराब हो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं बल्कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी करेगी। ग़लतफहमी यह हो गयी है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा, इससे हाउस का समय व्यर्थ जायगा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस चीज को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी करेगी, इसलिये अगर उसी पर आर्ग्यूमेंटस दिये जायं तो हाउस का कुछ समय बच जायगा।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग ने कुछ स्पष्टीकरण किया। वह बिना आपकी इजाजत लिये हुए बोलने लगे, वह उचित है या नहीं, यह मैं उन्हीं की सद्बुद्धि पर छोड़ता हूं। अगर मैं इस तरह की बातें देखने लगूं तो कोई काम नहीं चल सकता है।

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । मैंने प्वाइंट आफ आर्डर न कह करके उनकी शान में ज्यादा बट्टा लगाने की कोशिश नहीं की । ग़लत बेसिस पर यह कहा जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामिनेट करेगा, इसलिये मैंने यह कहा कि अगर आर्ग्यूमेंट इस बात पर दिया जाय कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामिनेट करेगी तो वह रेलीवेंट होगा । इस लिये मेरा यह प्वाइंट आफ आर्डर है कि वह ग़लत प्वाइंट था ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि मैं नहीं समझा कि माननीय मंत्री जी का प्वाइंट आफ आर्डर क्या बना । आपका कुछ आदेश नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी खड़े हुए थे और उन्होंने मेरी इजाजत मांगी थी मैंने स्पष्टीकरण समझ करके इजाजत दे दी थी ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी—इस सदन का समय, मैं चाहता था सही माने में बचे मगर किस-किस दफ़ा के लिये कौन-कौन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है, इसके कई विभाग हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग इसको पढ़ने की चेष्टा जरूर किये होंगे । अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, अगर इस पर अभी निश्चित नहीं किया गया कि वह डी० एम० होगा या डाइरेक्टर पंचायत राज होगा या एस० डी० एम० होगा तो यह तो और भी वैसी चीज है ।

श्री गेंदा सिंह—मैं एक प्वाइट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । जो माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी लिखा हुआ है । मगर खंड ४३ को देखा जाय तो बिल में डी० एम० लिखा हुआ है ।

श्री मोहनलाल गौतम—"डी० एम० भी" लिखा हुआ है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं माननीय गेंदा सिंह जी का बड़ा आभारी हूं क्योंकि उस सेक्शन पर तो मैं आ ही रहा हूं और उसको माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करते कि वह अपनी सद्बुद्धि को सद्बुद्धि के रूप में परिणत करें । तो मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर सदन में किसी सम्मानित सदस्य का ध्यान वस्तुस्थिति से हटाना चाहेंगे तो इस तरह के प्वाइंट से नहीं हटा सकेंगे । इसलिये उनका दुष्प्रयास होगा । तो दुष्प्रयास में न पड़ें । सद्बुद्धि से जो बातें इस सदन में कही जाती हैं जरा उनको ग्रहण करने की अनुकम्पा करें । तो श्रीमन्, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि जहां पर न्याय पंचायत है तो उसके सरपंच का भी चुनाव है । उसके सरपंच के चुनाव के लिये माननीय मंत्री जी ही अपनी कुशाग्र बुद्धि से समझ सकते हैं कि अदालती पंचायत के सरपंच के लिये क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिये और एक गांव सभा के सभापति के लिये क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिये । मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आखिर जो यह विभेद है इस विभेद को वे समझें और देखें कि न्याय पंचायत के सरपंच के लिये क्या खास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिये और वह इस विधेयक में इस वक्त क्यों प्रस्तुत नहीं की गई । माननीय मन्त्री जी ने फरमाया अपने दौराने तकरीर में कि ३० वर्ष का और पढ़ा लिखा होना गांव सभा के सभापति के लिये माननीय मंत्री जी की बुद्धि में जरूरी है । ठीक है माना जाय या नहीं, मैं अभी इसके विवेचन में नहीं पड़ना चाहता जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होगा उस समय इसकी गहराई में अच्छे तरीके से हम विचार करेंगे मगर मैं इस समय माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता था कि एक ओर तो माननीय मंत्री जी गांव सभा के सभापति के लिये खास क्वालिफ़िकेशन, खास कंडीशन, खास शर्त रखना चाहते हैं कि उसकी अवस्था ३० वर्ष की हो और वह रेकर्ड्स रख सकने की क्षमता रखता हो मगर अदालती पंचायत के सरपंच के लिये इस तरह से सफ़ाई के साथ कोई व्यवस्था क्यों नहीं रखी गई । ऐसी व्यवस्था के साथ में मैं हूं या नहीं इस सवाल को मैं अभी सदन में रखना नहीं चाहता हूं मगर मैं जानना चाहता हूं कि न्याय पंचायत के सरपंच के लिये

[श्री राजनारायण]

ऐसी बातें क्यों नहीं रखी गयीं इसमें क्या भेद है, इसमें कौन सी ऐसी हिडेन चीज है जिसको माननीय मंत्री जी आज सदन के सामने प्रस्तुत करने से हिचकिचाते हैं ।

श्रीमन्, इसी तरीके से इस विधेयक में एक बड़ा इम्पार्टेंट क्लाज कम्पलसरी लेबर का है जिसको कि माननीय मंत्री जी श्रमदान कहते हैं और जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के समय काफ़ी अच्छी तरह से अपने अनुसार वर्णन किया । यह श्रमदान क्या है ? श्रीमन्, श्रमदादन को अगर देखा जाय और इसके पृष्ठ के १४ (३७) को देखा जाय तो यह बात आती है कि--

"A Gaon Sabha may by a resolution passed by a majority of two thirds of the members present and voting, declare with reference to any work of public utility undertaken in the circle of the Gaon Sabha that every male member who is not more than 60 years of age shall, unless he" is physically disabled, perform physical labour in the execution of the works.

श्रीमन्, कल्पना और भाव जो इसमें व्यक्त किये गये हैं उस भाव से इस सदन के सम्मानित सदस्य बहुत दूर तक सहमत होंगे मगर मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से और मंत्री जी से कि सरकार के दिमाग में क्या बात है । इसको सफाई के साथ आना चाहिये । एक गांव सभा में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो वोटर होंगे, जो बालिग होंगे और जो २४ घंटों में लगातार १६-१८ घंटे लेबर करते हैं, श्रम करते हैं और मेहनत करते हैं, क्या वह इस लेबर में आयेंगे या नहीं, क्या उनसे यह काम लिया जायगा या नहीं, इसकी सफाई होनी चाहिये थी । बहुत से ऐसे लोग जो हरिजन कह कर पुकारे जाते हैं और जिनके लिये सरकार समय-समय पर बहुत उदारता के भाव प्रकट किया करती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज कितने हरिजन हैं जो श्रम करके, लेबर करके और मेहनत करके रोजी नहीं चलाते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वोटर्स हैं, सम्पन्न हैं वह श्रम नहीं करते हैं । क्या उनके पास इसका कोई विभेद है या वही कि अंधेर नगरी अंधेर राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा । जो लोग २४ घंटों में १६-१८ घंटे लगातार काम करते हैं और काम करने के बाद एक डेढ़ रुपया मजदूरी पाते हैं, उनको क्या इस काम में लगाया जायगा या नहीं, क्या उनसे भी इसी तरीके से "फ़ोर डेज कम्पलसरी लेबर इन ए मंथ' ली जायगी या नहीं, क्या वह भी काम करने के लिये मजबूर होंगे । अगर वह इस विधेयक के जरिये काम करने के लिये मजबूर होते हैं १६-१८ घंटे काम करने के बावजूद तो मैं समझता हूं कि वह सरकार के लिये चुनौती होगी कि सरकार ऐसा अन्याय न करे, जबर्दस्ती न करे, सरकार ऐसी कोई धारा उपस्थित न करे, कोई ऐसा क्लाज न जोड़े जिसके जरिये जो जितनी मेहनत करता है, जितना श्रम करता है अपना पेट पालने के लिये उसको और परेशान किया जाय ।

श्रीमन्, जहां तक श्रमदान का सवाल है मैं तो निवेदन करूंगा कि श्रमदान की महिमा गाने वाले जो विनोबा जी के पास पहुंचने के लिये लालायित रहते हैं या लालायित न रहते हों तो प्रवंचना और प्रलाप तो रहता है, वह विनोबा जी के बुद्धिदान के लिये जो उन्होंने कहा है, वह बुद्धिदान और लेने का जो कार्य है उसको भी सोचें तो कल्याणकारी हो सकता है । मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे सुविधा सम्पन्न लोग जो गांवों में रहते हैं उनसे महीने में ४ दिन मेहनत नहीं बल्कि महीने में २० दिन काम लेने का कानून क्यों नहीं बनाते, उनसे काम क्यों नहीं लेते । उनसे मंत्री जी काम लें । लेकिन ऐसे लोगों से जो रुपया दो रुपया रोज मजदूरी पाते हैं उनसे अगर महीने में चार दिन काम लेंगे तो वह विचारे खाना कहां से खायेंगे, वह भूखे रहेंगे, उनकी कमाई कहां से आयगी और वह अपने बाल बच्चों को कैसे खिलायेंगे और कैसे कल्याणकारी राज्य कि कल्पना करते हुए आगे बढ़ने के लिये लालायित रहेंगे ।

माननीय मंत्री जी स्वायत्त शासन विभाग ने यह अधिकार तो अपने आपसे ले ही लिया है कि अगर हमारे भाषण में कहीं उनकी सम्मति के मुताबिक दोष होगा, जो कि उस विधेयक में नहीं है तो वह फौरन खड़े होकर टोकेंगे और मैं श्रीमन्, उनकी आसानी के लिये अपनी ओर से

इतना कर दूंगा कि जब वह खड़े होंगे तो मैं बैठकर सुनने के लिये तैयार हूंगा। जब हम कुछ बोलते हों तो स्वायत्त शासन विभाग को हम अपनी ओर से सारी सुविधाएं देने के लिये तैयार हैं कि वह कंट्रेडिक्ट कर दें। मगर वह बैठे हुए हैं, वह इसके महत्व को खूब समझ रहे हैं।

अब श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, इस पंचायत राज्य ऐक्ट जो कि १५ अगस्त, १९४९ से व्यवहार में आ रहा है, इतने समय तक व्यवहार में आने के बाद जो इसमें संशोधन हो रहा है जरा उस संशोधन की गुरुताई को समझें, महत्व को समझें और इस तरह से लायें कि जो इसमें सही मानों में दोष हो, त्रुटि हो, खामी हो वह दूर हो, दूर ही न हों बल्कि सरकार के हाथ और मजबूत हों। और श्रीमन, मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील करूंगा, निहायत अदब के साथ कि जो यह विधेयक है यह केवल राजनीतिक दल की दृष्टि से न देखें। अपने उत्तर प्रदेश में जितनी जनता है, जो सारा समाज है उस समाज के जीवन से यह संबंधित है। अगर जिस तरह से पंचायत राज है और जिस तरीके से जिलाधीश के द्वारा या जिलाधीश की जगह पर जैसा कि माननीय मंत्री जी स्वायत्त शासन विभाग ने अभी कहा कि वह प्रेस्क्राइब्ड ओथारिटी किसी दूसरे को रखें, और मैं समझता हूं कि जो प्रेस्क्राइब्ड ओथारिटी सरकार करेगी, माननीय मंत्री को उसके रूप में नहीं लेती, वरना उसके लिये वह अपने को सब से उपयुक्त समझते हैं। स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में गत वर्ष जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोलते हुए कहा था कि आई० जी० और डायरेक्टर्स को तोड़ दीजिये, जितने मंत्री और डिप्टी मंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं उनको चार-चार, छः-छः जिले दिये जायं और उनको सारे डिपार्टमेंट्स का हेड बना दिया जाए। इससे यह डबुल ओथारिटी नहीं रहेगी, और यह जो डुप्लीकेशन और रेड-टेपिज्म होता है वह सब का सब समाप्त हो जायगा। तो शायद माननीय मंत्री जी डाइरेक्ट तरीके से न हों, लेकिन अगर इन डायरेक्टली देखा जाय तो कहीं का भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहीं की भी प्रेस्क्राइब्ड ओथारिटी क्या ऐसे लोगों को उस गांव पंचायत में से छांट कर न्याय पंचायत के लिये चुन सकती है जिस पर माननीय मंत्री जी की कृपा न हो? हरगिज नहीं, कदापि नहीं, इसलिये न्याय होगा, न्याय होगा, केवल इतना ही कहने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। जनता न्याय पायेगी, जब तक इसका विश्वास जनता में नहीं होगा तब तक आज जनता के दिल से वह भय नहीं दूर हो सकता जिस भय को लेकर के आज जनता परेशान है।

अब मैं श्रीमन्, आगे जल्दी-जल्दी चलना चाहता हूं। इसके बाद कहा गया कि प्रदेश का इन्तजाम अच्छा है, मगर लोकल बाडीज का इन्तजाम फंड की कमी की वजह से वैसा नहीं है, यह मंत्री जी के मुखारविन्द से निकला है शब्द, और इस शब्द को सुन कर थोड़ी सी हमारी परेशानी जरूर बढ़नी चाहिये। मगर जबकि माननीय मंत्री जी के जज्बात को इस सदन में सुनते-सुनते दो साल व्यतीत हो गये तो परेशानी बढ़ने का भी कोई अर्थ नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश का इन्तजाम अच्छा है, मगर लोकल बाडीज का इन्तजाम फंड की कमी की वजह से अच्छा नहीं, क्या एक वाक्य में जो दो भाव हैं ये परस्पर विरोधी नहीं हैं? जिस प्रदेश के अन्तर्गत जिस प्रदेश के अन्दर जो प्रदेश नकल करता है लोकल बाडीज की, अगर लोकल बाडीज का इन्तजाम अच्छा नहीं है तो प्रदेश का कैसे अच्छा कहा जा सकता है, यह एक मौलिक सवाल है, और इस तरीके से माननीय मंत्री जी को जरा गहराई से इस पर विचार करना चाहिये कि वह कह क्या रहे हैं। श्रीमन्, लोकल बाडीज का प्रबन्ध अगर अच्छा होगा, गांव पंचायतों का प्रबंध अगर अच्छा होगा, तभी जाकर के प्रांत का प्रबन्ध अच्छा हो सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव पंचायतों का प्रबन्ध ढीला हो, अच्छा न हो, अराजकता से भरा हुआ हो, उसमें दोष हो, उसमें भाई भतीजा वाद का बोलबाला हो, उसमें फेवरिटिज्म हो, तो प्रान्त का प्रशासन अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव पंचायतों के प्रबन्ध के अच्छा न होते हुए भी प्रांत के प्रशासन को वह अच्छा कैसे कह गये, इस बातको मैं उन्हींसे जब वह फिर इस सदन में बोलेंगे तो समझने की कोशिश करूंगा। सभापतियों के हटाये जाने के बारे में माननीय

[श्री राजनारायण]

मंत्री जी ने जो बात कही, ठीक है। अगर सभापतियों के हटाये जाने में कोई टेक्निकैलिटी हो या सात दिन, चार दिन या १५ दिन की जैसा कि इस विधेयक में रखा गया है, नोटिस दे करके स्पेशल मीटिंग काल करके, उसको हटाया जाय तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। इस तरह से यदि व्यवस्था करें तो हो सकता है कि जो तात्कालिक विषय प्रस्तुत करके सभापति को हटाये जाने की चर्चा होती रहती थी उससे कुछ वह बच जाय।

मगर टैक्स का लगाना यह एक इम्पार्टेंट बात है, जो कि माननीय मंत्री जी ने इसमें रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और जब मैं यह निवेदन करूंगा तो उनसे इस बात की इच्छा रखते हुए निवेदन करूंगा कि इसको वह निवेदन ही समझेंगे, इसमें अपने ऊपर व्यंग या अटैक न समझेंगे और श्रीमन्, जैसा कि इस सदन में बार-बार अक्सर कहा जाता है कि जब कभी भी माननीय श्री मोहनलाल गौतम खड़े होते हैं तो विरोधी पार्टी उनकी बहुत ज्यादा आलोचना करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, जहां तक इसका सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें न तो किसी माननीय मंत्री से राग है और न किसी से द्वेष है। जो भी आज कांग्रेस पार्टी की योजना को, उसकी पालिसी को मानते हैं, वह हमारे लिये सब एक ढंग के हैं। यों यह दूसरी बात है कि कोई माननीय मंत्री किसी से हंसकर के बात करता है और कोई किसी पर व्यंग कसता है। लेकिन मैं इस सदन को अपने इस भाव से अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे यहां किसी भी मंत्री के लिये न तो राग है और न द्वेष है, इक्वल स्टेटस सबका है। मगर इस सरकार के सदस्यों ने इस प्रकार की रिस्पांसिबिलिटी को माननीय मंत्री जी के सिपुर्द किया है, इनके मजबूत कंधों पर लादा है जो कि हजार बुद्धि को लटकाये हुए फिरते हैं, उसके लिये हम क्या करें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस टैक्स को जनता अपनी अच्छाई के लिये, अपनी भलाई के लिये, अपनी उन्नति और तरक्की के लिये लगायेगी, उस टैक्स को जो कि पहले पंचायत राज ऐक्ट में नहीं था, मूल बजट ऐक्ट में नहीं था, रेवेन्यू की तरह से क्यों वसूल किया जायगा? क्या इसका औचित्य है? इसका औचित्य केवल यही है और आगे चलकर के तो श्रीमन्, यहां तक कह दिया गया है कि:— "Provided that where a Gaon Panchayat fails to pass such a resolution within the said period of three months the prescribed authority shall authorise the recovery of the arrears of taxes as arrears of land revenue." और इसके बाद जहां पर कि कोई छूट होगी, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिस पर टैक्स न लगा हो, उस व्यक्ति पर टैक्स लगाने का सम्पूर्ण अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को इस विधेयक के जरिये से दे रहे हैं। वह लिखेगी गांव पंचायत को गांव पंचायत अगर नहीं लगाती है तो वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी खुद टैक्स लगा सकती है। तो माननीय मंत्री जी का जो एक उदार भाव है, उस उदार भाव से और यह जो काले कानून के जरिये यहां किया जा रहा है, एक साम्राज्यवादी हुकूमत के जमाने की धारा रखी जा रही है, इन दोनों में मेल नहीं खाता, ये दोनों एक दूसरे से असंगत हैं और श्रीमन्, मैं इस सदन के समय को बचाने के लिये ही यह कहना चाहता हूं कि आगे सदन के सम्मानित सदस्य कहीं यह न कहें कि इस हुकूमत से अंग्रेजी हुकूमत को हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि इस सदन में बार-बार कहा जाता है, अंग्रेजी हुकूमत को हटाने में हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी से अपोजीशन पार्टी के किसी ने ज्यादा नहीं तो कम भी काम नहीं किया है। उस हुकूमत ने भी ऐसे कानून नहीं बनाये जैसे यह सरकार कानून बना रही है, जो सरकार अपने को प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर चलने वाली सरकार कहती है। वह इस पर जरा और सम्मति ले और विचार करें। जो सामाजिक विज्ञान के वेत्ता हैं, जो सामाजिक गुत्थियों को सुलझाने वाले लोग हैं उनकी भी सम्मति लें। केवल इसी सदन में बैठ कर जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं उन्हीं की एक कमेटी बना कर उन्हीं की राय में कुछ हेरफेर करके माननीय मंत्री जी अगर उस काम को कराना चाहेंगे तो इससे जनता का सही माने में कल्याणकारी राज्य नजदीक आ जायगा, वह आने वाला-

नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो इस सम्मानित सदन में नहीं आये हैं उनकी सम्मति जो आज प्रान्त का सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है उसमें एकबद्धता नहीं है, उसमें एकबद्धता लाने के लिए किस तरह से पंचायतों का संघटन किया जाय, क्या क्वालीफिकेशंस होनी चाहिए इस पर जो बड़े-बड़े दार्शनिक हैं, मनोविज्ञान के समझने वाले हैं उनकी सम्मति लेनी चाहिए। इसीलिए हमने संशोधन किया है कि विधेयक को जनमत लेने के लिये वितरित किया जाय। और अगर लोग अपनी राय स्वतः न भेजते हों तो माननीय मंत्री जी की जानकारी में जो ऐसे लोग हैं जो कि सामाजिक कंस्ट्रक्शन के बारे मे ज्ञान रखते हों उनको वह स्वयं लिखें। और मैं भी एक लिस्ट माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश कर करता हूं। उसकी राय लेकर माननीय मंत्री जी के सर्वांगीण विधेयक पेश करें जिससे जनता सही माने में न्याय पाने की भावना को रखते हुए न्याय मिल सके।

श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि टैक्स का जो प्राविजन है यह बिलकुल गलत है। अगर कमेटी की रिपोर्ट जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है इतना तो कम से कम माननीय मंत्री जी को भी मानना चाहिए और यह भी माननीय मंत्री जी को मानना चाहिए कि जो मुसीबतें हैं वह हम स्वतः लेते हैं। जो गुत्थियां सुलझ जाती हैं उनको हमीं उलझाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी को नहीं समझना चाहिये कि हम पर कोई उदारता करते हैं या हम देश के स्वतंत्रता-संग्राम में किसी से पीछे रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेजी जमाने के क़ानून से गया गुजरा क़ानून इस जमाने में बनता है तो प्रसंगवश उदाहरणार्थ इस सदन में इस बात को रखा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत जो एक साम्राज्यशाही हुकूमत थी जिसने अपनी खूनी पंजे में इस देश को सदियों तक फंसाये रखा उस हुकूमत ने भी ऐसे क़ानून नहीं बनाये जैसे यह सरकार क़ानून बना रही है। जो सरकार अपने को प्रजातांत्रिक प्रणाली पर चलने वाली सरकार कहती है, वह इस पर जरा और सम्मति लें और विचार करें। जो सामाजिक विज्ञान के वेत्ता हैं, जो सामाजिक गुत्थियों को सुलझाने वाले लोग हैं उनकी भी सम्मति लें। केवल इसी सदन में बैठ कर जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं उन्हीं की एक कमेटी बना कर उन्हीं की राय में कुछ हेरफेर करके माननीय मंत्री जी अगर उस काम को कराना चाहेंगे तो इससे जनता का सही मानी में कल्याण नहीं हो सकता और जो माननीय मंत्री जी समझते हैं कि इससे कल्याणकारी राज्य नजदीक आ जायगा वह आने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो इस सम्मानित सदन में नहीं आये हैं उनकी सम्मति जो आज प्रांत का सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है उसमें एक बद्धता नहीं है, उसमें एक बद्धता लाने के लिए किस तरह से पंचायतों का संघटन किया जाय, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इस पर जो बड़े-बड़े दार्शनिक हैं, मनोविज्ञान के समझने वाले हैं उनकी सम्मति लेनी चाहिए। इसी लिए हमने संशोधन किया है कि विधेयक को जनमत लेने के लिए वितरित किया जाय और अगर लोग अपनी राय स्वतः न भेजते हों तो माननीय मंत्री जी की जानकारी में जो ऐसे लोग हैं जो कि सामाजिक कंस्ट्रक्शन के बारे में ज्ञान रखते हों उनको वह स्वयं लिखें और मैं भी एक लिस्ट माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश कर सकता हूं। उनकी राय लेकर माननीय मंत्री जी एक सर्वांगीण विधेयक पेश करें जिससे जनता को सही माने में न्याय पाने की भावना को रखते हुए न्याय मिल सके।

श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि टैक्स का जो प्राविजन है यह बिलकुल गलत है। अगर कमेटी की रिपोर्ट जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें भी जो विभिन्न विचार धारायें व्यक्त की गयी हैं उनको ठीक तौर से समझने की कोशिश की जाय तो उसमें भी बहुत सी बातें मिलती हैं जिसमें कहा गया है कि गांव पंचायतें सीधे टैक्स न लगावें। टैक्स का डुप्लीकेशन न हो। एक ही टैक्स को गांव पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अलग-अलग न लगाये। जो टैक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगाये उसीमें से गांव पंचायत को आधा दे दिया जाय। वहां पर भी ऐसे-ऐसे सुझाव

[श्री राजनारायण]

आये हैं। और इस सम्बन्ध में इस सदन में हमें जब जब मौका मिलता गया है हम सुझाव देते गये हैं कि टैक्स लगाने की एजेंसी एक हो वरना पता नहीं लग पाता कि एक आदमी के ऊपर कितने तरह के और कितने टैक्स लगते हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट को अगर पढ़ा जाय तो इसमें इस बात का काफी जिक्र किया गया है कि जनता के ऊपर जो टैक्स लगता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य है, इसलिए वह टैक्स लगाने का क़ानून सीधा होना चाहिये लेकिन माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि जो पंचायत राज्य विधेयक संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है इसमें क़ानून सीधा हो रहा है। इसमें जो बारीकियां, पेचीदगियां, काम्पलीकेशंस थे उनको सीधा करने का प्रयत्न किया गया है? अगर ऐसी मनोवृत्ति थी तो माननीय मंत्री जी ने विधेयक की धाराओं में उसे क्यों नहीं व्यक्त किया। मैं समझता हूं कि जो पंचायत राज्य संशोधन विधेयक प्रस्तुत है इसके जरिये कहां पर काम्पलीकेसी खत्म हुयी, कहां पर न्याय सस्ता हुआ, जल्दी हुआ। ऐसी कोई बात तो समझ में नहीं आती। हां अन्याय जल्दी मिल सकता है। उस अन्याय को मिलने के लिये सारे के सारे प्राविजन्स का इन्तजाम माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक में कर दिया है जिससे सारे सूबे में जनता कंपित, भयभीत और त्रस्त होगी।

इतना समय लेने के बाद में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर इस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो उसमें एक बात देखने को मिली। वह यह कि पंचायत राज ऐक्ट की धाराओं में जहां अनमेल था, जहां कोई असंगति थी उसका असंगति को दूर करने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने रिपोर्ट में लिखा है कि रेवेन्यु मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी की राय लेने के लिये समिति के कार्यक्रम को स्थगित भी किया गया लेकिन जिस तिथि के लिये स्थगित किया गया, उस तिथि को भीमाननीय राजस्व मंत्री अपनी राय देने के लिये मिल नहीं पाये। चाहे गांव समाज हो, चाहे कोई पुलिस ऐक्ट हो या कुछ और हो लेकिन सारे का सारा मामला जिनसे संबंधित है वहां एक मात्र प्रश्न यही उठता है कि मनुष्य की मनुष्यता हिफाजत से है या नहीं। यह सवाल गांव पंचायत राज्य के सामने आना चाहिये था। अगर मानव की मानवता मनुष्य की मनुष्यता, इंसान की इंसानियत महफूज नहीं तो कोई भी पंचायत राज्य संशोधन विधेयक हो उससे जनता का कल्याण नहीं हो सकता। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि जिस तरीके से यह पंचायत राज्य विधेयक संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है इससे मनुष्यता सुरक्षित नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी वह बहुत साधारण सी बात है। माल विभाग भी इसके ऊपर क़ानून बनायेगा। चाहे बेदखली का मामला हो, चाहे सिंचाई के रेट का मामला हो, कोई भी मामला जनता से सीधे सीधे सम्बन्ध रखता है। जो यह न्याय पंचायत है इस न्याय पंचायत में जो ये बेदखली से उठने वाले झगड़े हैं जो गरीब जनता से संबंधित हैं जिनको लेकर देवरिया में, आजमगढ़, बनारस और पश्चिमी जिलों में भी एक बार क्रांति की चिनगारी भड़क उठी थी उस चिनगारी को शांत करने के लिये क्या मसविदा पेश किया। क्यों नहीं माननीय मंत्री जी केबिनेट के सामने तमाम आदरणीय मंत्रियों को बुला कर जिस जिस विभाग से संबंधित जो भी ग्राम जीवन से संबंधित धारायें या विषय हों उन तमाम विषयों को को एक जगह यहां पर संकलित कर देते। मैं माननीय मंत्री का इस बारे में शुक्रगुजार हूं कि माननीय मंत्री जी ने राजस्व मंत्री या उनके विभाग की जो असंगतियां हैं उनको समझने की कोशिश की है। मगर उनका समाधान ठीक तरीके से कैसे होगा इसका अच्छे तरीके से यहां पर निरूपण नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अब कमेटी रिपोर्ट के संकेतों के जरिये से यह बात बड़ी बड़ी पुस्तकों में आकर रह जाय तो इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आम जनता की राय लेने के लिये इसको आप भेज दें। १ दिन या २ दिन के अन्दर जो इसके अन्दर असंगतियां हैं वह दूर होने वाली नहीं हैं। इसके अन्दर बहुत सी असंगतियां हैं मैं उनको क्या गिनाऊं। मगर मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि इसके अन्दर बहुत सी असंगतियां हैं। जब गांव पंचायत राज बन गया, जो यूनिट बुनियादी हमारी गांव पंचायत है तो उससे बढ़कर प्रभुता सम्पन्न कोई भी अथारिटी हमारे लिये नहीं होनी चाहिये। उसको पूर्णरूप-

से शक्ति सम्पन्न और प्रभुता सम्पन्न बनाने के लिये क्या यह विधेयक उचित है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये से गांव पंचायतों को कुछ शक्ति देने का संकेत किया है और कमेटी रिपोर्ट में उनके लिये खतरा तक लेना चाहते हैं मगर खतरा-खतरा कहने से खतरा नहीं लिया जाता है। जब ऐक्चुअली खतरा लिया जाय तब खतरा लिया जाता है। कोई बात उस समय तक सिद्ध नहीं होती है जब तक कि उसको कार्य रूप में परिणत करके न दिखा दिया जाय। रास्ते में कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं मगर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये हमें अपने सामने एक आदर्श एक ध्येय रखना पड़ेगा और अगर सिद्धांत विहीन होकर और आदर्श विहीन होकर अगर सामयिक तरीके से इधर-उधर से मिलाकर काम चलाऊ मामला चलाया जायगा तो उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हूंगा कि बहुत से भावों का संकलन जो इस कमेटी रिपोर्ट में किया गया है उसकी तरफ आप ध्यान दें। अभी तक आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। उन भावों को और हमारे भावों को लेकर एक जगह पर मिलाया जा सकता है। इन भावों को सद्भावों को सद्बुद्धि से संकलन करके एक जगह करके बढ़िया पंचायत राज का माडल बने और उसके अन्दर जो पुराने दोष हैं वह इसके अन्दर न आने पायें। कहीं ऐसा न हो कि पुराने दोषों को दूर करने के नाम पर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे पुराने दोष द्रुतगति से और आगे बढ़ें। इतना ही निवेदन करके मैं माननीय मंत्री जी से फिर यह निवेदन करूंगा कि वह मेरी इस बात पर फिर विचार करें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी विषय पर बुद्धि को जुलाब देकर यदि हम वेग जनरलाइजेशन करते जायं और परस्पर विरोधी बातें करें तो हम किसी अच्छे परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। श्रीमन्, सदन के सामने परिणामों को देखने के आधार पर जो विधेयक प्रस्तुत है उसमें दो दृष्टियों से विचार करना चाहिये। एक तो यह कि आया यह विधेयक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय या पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये इसको भेजा जाय। इस विषय पर हमको इन ही दो संबंधित बातों पर सदन के समक्ष प्रकाश डालना चाहिये। हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि लोकमत के जानने के लिये इस विधेयक को भेजा जाय उसमें मुझे कोई तथ्य नहीं दिखायी पड़ता है। उसमें ऐसी परस्पर विरोधी बातें उन्होंने कहीं हैं कि जिससे न तो कोई परिणाम निकलता है और न कोई तथ्य की बात ही कही है। कहीं पर तो वह प्रशंसा करते हैं और कहीं पर अस्तुति करते हैं। केवल साम्राज्यवाद शब्द का नाम लेकर नारा लगाने से या पार्टी का नाम लेकर हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसमें स्पष्ट है कि जो पहला पंचायत राज ऐक्ट हमारे सामने था उसे विस्तृत रूप से देखकर जहां कहीं भी उसमें दोष पाये गये वहां संशोधन लाये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि उसमें त्रुटियां नहीं हैं, उसमें त्रुटियां बहुत हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे हर वर्ष उप-सभापति का चुनाव हो जाने की बात हमारे सामने है। एक सरपंच के सामने कोई अभियोग जाय तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह बिना बेंच के सामने मामला लाये स्वयं ही अभियुक्तों को तलब कर दे। हाई कोर्ट ने भी इस बारे में निर्णय दिये हैं। जैसा प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को अधिकार दिया गया, है, एक बेंच दूसरी को ट्रांसफर कर दे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका लोकमत से कोई सम्बन्ध नहीं है ताकि उनके लिये बिल लोकमत के लिये प्रसारित क्यों किया जाय? ऐसा मालूम होता है कि हमारे विरोधी दल के नेता केवल पारिभाषिक परिशिष्ट को देखकर ही संशोधन करने वाले हैं। बहुत सा समय उन्होंने "न्याय" शब्द पर लिया। मैं सारे सदन को चैलेंज देता हूं कि "न्याय" शब्द के केवल एक ही अर्थ हैं "अच्छा परिणाम"। आप किसी भी तरीके से इसे सोचें। यही अच्छा परिणाम इसके सामने निकलेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो सम्बद्ध दृष्टि से कोई बात सुन भी नहीं सकता हो वह भी इसी नतीजे पर सोचने पर पहुंचेगा। मैं किसी द्वेष की दृष्टि से नहीं कहता। मैंने बहुत सम्मान की दृष्टि से अपने विरोधी दल के नेता का भाषण सुना है। जब पारिभाषिक शब्दों पर आये तो मैंने ऐसा समझा था कि वह और आगे बोलेंगे लेकिन धनुष बीच ही में टूट गया।

[श्री रामलखन मिश्र]

कहीं-कहीं उन्होंने नाम लिया खेर समिति का। आप देखेंगे कि इस समिति में नामीनेशन एक गौणरूप में रखा गया है। यह एक परिवर्तित ज्ञान के आधार पर रखा गया है। तो उसके और कोई दूसरा अर्थ लगाना या समझना उचित नहीं प्रतीत होता। ऐसी दृष्टि से जब हम इस पर सोचा करते हैं तो मालूम होता है कि हमने उन त्रुटियों को जो पहले बिल में या कानून में हैं उन्हें सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा है। सभापति की अवस्था और अन्य बातों के सम्बन्ध में जो आपने कहा है कि वह भी कुछ सोचने की बात है। सभापति का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। सभापतियों के न पढ़ने का कारण और हमारे सेक्रेटरीज को भी ज्ञान न होने की वजह से कहीं उन्होंने सादे काग़ज़ों पर निशान लगवा लिये और मनमाने टैक्स लगाये गये। इस ऐक्ट में कई बातों के संशोधन होने की आवश्यकता है। सभापति की योग्यता का कोई मापदंड होना चाहिये। यहां पर मुख्य प्रश्न यही है कि यह बिल प्रवर समिति को जाय जो इसके ऊपर अच्छी तरह विचार करेगी और निर्णय करेगी। इसका लोकमत से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उन्हें प्रवर समिति ही सोच सकती है अच्छी तरह से। लोकमत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। लोकमत के लये भेजने में बिलम्ब भी होगा। आखिर यह सुझाव क्यों है और क्या चाहते हैं? मैंने इस पर बहुत विचार किया। पंचायत राज के सम्बन्ध में विरोधीदल के नेता के कोष में कुछ ऐसा भी ज्ञान है, कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनसे उनकी पूर्ति की जा सकती है? शायद वह यह अपेक्षा करते हैं कि केवल समालोचना से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं यदि उनको मेरी वाणी कठोर प्रतीत होती हो तो वे उसको केवल उसके सच्चे अर्थ में ही लें, इसी से कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने के पक्ष में हूं और इसका समर्थन करता हूं।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है जहां तक स्वशासन के सिद्धांतों का सवाल है और जहां तक उन इंस्टीट्यूशन्स का सवाल है, मैं उसको बहुत महत्व देता हूं और यह माननीय स्वशासन मंत्री जी को भी मालूम है। मेरा विचार है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस विभाग को भलीभांति चलाये। यह होने के बावजूद भी आपकी आज्ञा से मुझे माननीय स्वशासन मंत्री जी के प्रस्ताव में एक संशोधन उपस्थित करना पड़ रहा है जिसके लिये मैं आप की आज्ञा चाहूंगा। वह इस प्रकार है।

"माननीय स्वशासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ वापस कर दिया जाय और उसके स्थान पर स्थानीय स्वायत्त शासन संबंधी संस्थाओं का एक सर्वांगीण विधेयक उपस्थित किया जाय"।

अध्यक्ष महोदय, जिन विचारों से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है उनके संबंध में मैं आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूं। माननीय स्वशासन मंत्री महोदय ने इस सदन के सामने एक पंचायत राज कानून, जो अभी तक पंचायत राज ऐक्ट के नाम से कहा जाता था, उसमें एक संशोधन पेश कर रक्खा है लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार से एक पीस मील लेजिस्लेशन करना अनुचित बात है। जहां तक पंचायतों का सवाल है यह माना ही जायगा कि पंचायतों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और काफी हद तक म्युनिसिपल बोर्ड्स आदि लोकल संस्थाओं में अटूट संपर्क है। इसलिये आज एक पंचायत राज बिल लाना, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बिल लाना और कुछ दिन के बाद कबाल टाउन्स के सम्बन्ध में तीसरा बिल लाना इस प्रकार से हमारे सामने कभी भी पूरी तस्वीर न आ पायेगी और न सरकार ही इस विषय में सफल हो पायेगी कि किस प्रकार से उनकी जो ओवरलेपिंग होने वाली बातें हैं उनको दूर किया जाय। मैं नहीं समझता हूं कि इस बारे में सरकार क्या कोशिश कर ही है या करने जा रही है। मैं यह सुझाव इसलिये नहीं दे रहा हूं कि मैं इस संशोधन के बारे में बोलना चाहता हूं। जहां तक इसके सिद्धांत का प्रश्न है मैं उससे सहमत हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस तरह के पीस मील लेजिस्लेशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से एक डिसज्वाइंड ऐफर्ट होगा। हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसा करने में समय ज्यादा लगेगा मैं तो कहता हूं कि जितना समय लगे वह ठीक है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि चाहे जितना समय लगे लेकिन सदन के सामने एक ऐसी चीज आप लायें जिसके पढ़ने पर, जिसको सोचने और विचारने पर जनता को यह मालूम हो जाय कि इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के क्या विचार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को अधिक कहने के पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वे अपने विभाग के सम्बन्ध में अनड्यू मोडस्टी दिखाते हैं, ऐसा मेरा विचार है। माननीय मुख्य मंत्री के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग के बाद, जिसका जनता से सीधा ताल्लुक है, माननीय स्वशासन मंत्री जी का ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग है। इसका जनता से अधिक संपर्क रहता है और इसके कारण जनता को सुख और दुख रहता है इसलिये माननीय स्वशासन मंत्री जी अपने पोर्टफोलियों का महत्व भलीभांति समझें। यह न समझें कि उनके हाथ में एक ऐसा ही मिस-लेनियस पोर्टफोलियो सुपुर्द कर दिया गया है। मेरा जहां तक विचार है जब कि सेंट्रल अथारिटी का एक समय १९१९ और १९३५ में आन्दोलन हुआ और प्राविंशियल आटोनामी को खत्म करना आवश्यक समझा गया उसी भांति मेरा विचार है कि कभी न कभी ऐसा समय हो सकता है कि कुछ सिद्धान्तों के द्वारा माननीय मंत्री जी यह समझें कि अभी फरदर डिसेंट्रलाइजेशन का उचित समय नहीं आया है। किन्तु यदि थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि इस समय, समय नहीं ठीक है फिर भी कभी न कभी यह एक आवश्यक और अनिवार्य बात है कि यह डिसेंट्रलाइजेशन होना है। सेंट्रल अथारिटी से प्राविंशियल आटोनामी और प्राविंशियल से डिस्ट्रिक्ट लेविल की आटोनामी यह आवश्यक और अनिवार्य है और यह हो कर ही रहेगा। डेमोक्रेसी में इसका होना अनिवार्य है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह न समझें कि वे केवल एक मिनिस्टर फार कबाल टाउन्स हैं या मिनिस्टर फार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं किन्तु वे याद रखें कि वे लोकल सेल्फ के मिनिस्टर हैं। और इसलिये उनका यह कर्तव्य है क्योंकि मैं जानता हूं कि मंत्रिमंडल में इस सम्बन्ध में कुछ अड़चनें अक्सर पैदा होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के साथ-साथ बहुत सी चीजों का त्याग करना आवश्यक हो जायगा। लखनऊ में इस समय जो अख्तियारात हैं उनका त्याग करना होगा। क्योंकि जब मंत्री महोदय ने इसको अपने हाथ में लिया है तो उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इसके एडवोकेट बने और जब तक कि इस तरह की कोई चीज न हो जाय अपनी लड़ाई न छोड़ें। यहां डिसेंट्रलाइजेशन की चर्चा अक्सर होती है डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिश होती है लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत से सदस्य यह कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन तो पाया जाता है। वास्तव में आया डिसेंट्रलाइजेशन इस प्रदेश में हो या न हो इसके ऊपर अभी चर्चा करना आवश्यक है किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यह शब्द डिसेंट्रलाइजेशन मिसनामर सा है। मोनार्की का सिद्धांत यह है कि राज्य शासन एक व्यक्ति के हाथ में हो और वह अपनी इच्छानुसार किसी को अपना अधिकार सौंप दे तो उसको हम अवश्य डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। यही डेमोक्रेसी है यानी जनता जनार्दन ने अपना अधिकार डेलिमेट किया है। वर्तमान परिस्थिति में यह पाया जाता है कि जनता ने अपना कुछ अधिकार प्राविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में सुपुर्द कर दिया है, कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सुपुर्द किया है लेकिन अब जनता जनार्दन अपने कुछ अधिकारों को प्राविंशियल गवर्नमेंट से लेकर लोअर लेविल पर लाना आवश्यक समझती है। जब मैं यहां डिसेंट्रलाइजेशन की चर्चा करता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि चन्द एक विषयों को या चन्द एक बातों को प्राविंशियल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेविल या म्युनिसिपल बोर्ड लेविल या लोकल सेल्फ की किसी इंस्टीट्यूशंस के मत्थे पर सौंप दें। मेरा मतलब यह है कि जब तक ये लोकल बाडीज जो हैं चाहे वे पंचायतें हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हों, चाहे अन्य संस्थायें हों, जब तक उनकी आर्थिक दशा नहीं सुधारी जाती तब तक उनसे कोई लाभदायक काम पाने की आशा करना भूल होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह अक्सर दौरा करते हैं अगर वास्तव में वह पंचायतों की या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत देखते हैं और सीरियसली अगर वह उनको लेते हैं तो वह हर जगह पंचायतों का या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का मजाक ही होता है। लेकिन फिर भी मैं उनमें से हूं जो उनको तारीफ़ करूंगा और वह शायद इसलिये कि टेहरी-गढ़वाल में यह पंचायतें विलयन से पहले ही स्थापित थीं

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

और मेरा यह विश्वास है कि यह एक ऐसा तरीक़ा है जिसको कार्यान्वित करना आवश्यक है और चाहे वह कितनी ही अशक्त हों और कितनी ही चाहे उनमें बुराइयां पाई जायं लेकिन फिर भी हमारा कर्त्तव्य है कि उनको हम सहायता देते रहें और जब तक वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य न करने लगें तब तक उनकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करके उनको फ़ाइनेन्शियली स्टेबिल बनाना सरकार का कर्त्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि उनको फ़ाइनेन्शियली स्टेबिल होना चाहिये तो यह फ़ाइनेन्शियल स्टेबिलिटी २ तरीक़े से लाई जा सकती है। तो जो वर्तमान तरीक़ा है यानी यह कि सूबे की सरकार ग्रान्ट के रूप में सहायता दें। इस सम्बन्ध में पहले भी मैंने कहा था और इससे अधिक कहने की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन ग्रान्ट द्वारा लोकल बाडीज़ को सहायता देना कोई उनकी समस्या का ठीक तरह से हल करना नहीं है, बल्कि एक मरी हुई या अधमरी संस्था को किसी प्रकार से चलाना है। जब तक कोई तरीक़ा ऐसा नहीं निकाला जायगा कि यह संस्थायें अपनी किसी बंधी हुई मुक़र्रर आमदनी के द्वारा अपना काम चला सकें तब तक यह उम्मेद करना कि इन संस्थाओं द्वारा जनता को सहयोग मिलेगा, मूर्खता होगी। इसलिये मैं आप के द्वारा सरकार से सिफारिश करूंगा कि यह ग्रान्ट देने का तरीक़ा कुछ हद तक ठीक हो सकता है लेकिन मेरा सुझाव है कि जहां तक हो सके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाओं के लिये सरटेन सोर्सेज़ आफ रेवेन्यू ख़ास तौर से ईयरमार्क्ड होने चाहिये यानी आइन्दा से फलां-फलां आमदनी के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के गिने जायंगे। मैंने पहले भी कहा था कि लोकल संस्थाओं को चलाने के लिये सरकार को अपने कुछ अधिकार त्यागने होंगे और पहले उसको इस तरह का फ़ैसला करना आवश्यक है। अगर सरकार अपने कुछ अधिकार त्यागने को तैयार है तभी यह संस्थायें ठीक से चल सकती हैं। यह असम्भव है कि आमदनी के तमाम जरिये प्रादेशिक सरकार अपने हाथ में रखे और बहुत सी जिम्मेदारियां इन संस्थाओं के सुपुर्द रहें। सड़कों की और स्कूलों आदि की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दी गई हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि सरकार ने उन जिम्मेदारियों को ठीक तरह से पूरा करने के लिये उनको कोई जरियां आमदनी का दिया है ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा सकें। तो देखना यह है कि वह अपनी यह तमाम लायबिलिटी कैसे पूरा कर सकती है। मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रान्ट देना सैद्धान्तिक रूप से ग़लत है और मंत्री महोदय की ईमानदारी पर भी लोग आक्षेप कर सकते हैं चाहे वह कितने ही अच्छे ढंग से काम करें लेकिन फिर भी उसमें एक आरबिट्रेरीनेस आ जाता है और वह रक़म भी एक बड़ी रक़म हो जाती है, अगर ५२ जिलों में एक-एक लाख रुपया भी दिया जाय तो भी वह काफ़ी न होगा और ५२ लाख की बड़ी रक़म बजट में दिखाई देगी। किन्तु यह एक प्रकार का जाल हो गया है। यदि सोर्स से ही काट कर ईयरमार्क कर दिया जाय कि फलां चीज की रेवेन्यू लोकलबोर्ड्स की संस्थाओं को चलाने के लिये उनकी आमदनी गिनी जायं, तो मैं समझता हूं इससे उनकी डिग्निटी बढ़ेगी और जैसा आज का ज़माना है कि जिसकी फायनेंशल इस्टेबिलिटी होती है उसकी ही मांग होती है उसके हिसाब से जब जनता जान जायगी कि लोकल बोर्ड्स की संस्थायें फायनेंशली स्टेबिल हैं और जो वह चाहते हैं उनको पूरा करने के साधन हैं और उनके पास अधिकार भी हैं तभी उससे जनता का सहयोग मिलेगा और तभी इन संस्थाओं का भविष्य भी खिलेगा। जब तक यह नहीं होता तब तक चाहे कितनी ही कोशिश की जाय, चाहे इस प्रकार के पीसमील लेजिस्लेशन कितने ही ले आयें जायें लेकिन ये सफलता पूर्वक काम न कर पायेंगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर, जो प्रस्ताव आदरणीय सदस्य अमेंडमेंट के रूप में सदन के सामने लाये हैं मेरा ख्याल यह है कि सदन की नियमावली के नियम ९६ और ९७ को देखते हुये उनको वे नहीं ला सकते। रूल ९७ii (डी) के अधीन माननीय मंत्री ने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव किया है। इससे संशोधन के लिये एक ही प्रस्ताव लाया जा सकता है जनमत को भेजने के लिये लेकिन ऐसा प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस पर विचार कर चुका हूं। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है वह प्रक्रिया नियमावली के नियम ९५ तथा ९७ के अन्तर्गत नियमानुकूल नहीं है क्योंकि जो अधिकारी किसी विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव करता है तो उस पर खास किस्म के प्रस्ताव हो सकते हैं और जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है वह नियमों के अनुसार नहीं है। किन्तु फिर भी मैंने इस विचार से कि माननीय सदस्य एक दल के नेता हैं और उनके विचारों को जानने के लिये हमारा यह सदन सदैव उत्सुक रहता है उनको विचार प्रकट करने का मौक़ा दे दिया है परन्तु मेरी राय तो यही है कि यह नियमानुकूल नहीं है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अपने विचार प्रकट कर लूं, और अगर किसी वैधानिक कारण से प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है तो मैं आशा करता हूं हूं कि मन्त्री महोदय मेरे विचारों पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है उसकी धाराओं पर इस समय मैं समझता हूं बोलना गलत बात है। इस समय हमको विशेषकर उस संशोधन विधेयक के सिद्धांतों पर या किस तरह से संशोधन विधेयक उन सिद्धांतों को पालन करता है, कर पायेगा या नहीं कर पायेगा केवल इस विषय पर चर्चा करना चाहिये इसलिये यह जब ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से वापस आयेगा उसी समय इस विधेयक की धाराओं पर जो कहना होगा कहूंगा। मगर अन्त में समाप्त करने से पहले मैं मन्त्री महोदय से एक बार फिर कहूंगा कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में इन बातों पर भी ध्यान रखें कि किसी न किसी प्रकार से यह आवश्यक है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जितनी संस्थायें हैं उनके आपस के मेल-जोल और उनके बारे में जो अक्सर शिकायतें हुआ करती हैं उनकी पावर्स के ओवरराइडिंग के सम्बन्ध में उनको दूर करने की चेष्टा अवश्य की जाय। इस विधेयक के द्वारा पंचायतों के काम के संबंध में सब जान सकते हैं मगर इस समय हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पायेंगे कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या किसी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकारों के साथ कितनी बाधक हैं। मगर इस पर कुछ हद विचार किया गया होगा और मेरा जो मुख्य सुझाव था उसका मुख्य मतलब यही था कि एक कंसालिडेटेड और कम्प्रहेन्सिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक बिल आना आवश्यक है। मैं मानता हूं इसमें काम बहुत होगा और मैं यह भी मानता हूं कि वह एक बिल नहीं बल्कि एक पोथी सी बन जायगी। इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हमारा संविधान ही एक बहुत बड़ी पोथी सा बन गया है और उसके अतिरिक्त जमींदारी एबिलिशन ऐक्ट भी एक बहुत बड़ी पोथी है। इसलिये ऐसी हालत में मेरे ख्याल में यह कोई एतराज और आपत्तिजनक बात नहीं होगी। इससे जो विशेष सुविधा होगी वह यह कि हमारे सामने, माननीय मंत्री महोदय के सामने और जनता के सामने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक पूरी तस्वीर आ जायगी।

अन्त में मैं समाप्त करने से पहले यही कहूंगा कि मन्त्री महोदय अपना जोर लगायें और इस बात पर कोई फैसला हो जाय कि उसका डिसेन्ट्रलाइजेशन होना डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और जनता का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है या नहीं? केवल मात्र सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की सफ़ाई देखने के लिये ही नहीं किन्तु डेटुडे ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जनता का सहयोग प्राप्त करना उचित है या नहीं? जब तक माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर नहीं पायेंगे तब तक मैं समझता हूं कि उनकी सारी चेष्टा इस सम्बन्ध में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भली भांति चलाने की जो होगी वह असफल ही रहेगी। यही चन्द शब्द कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बड़ा गम्भीर है। जब तक माननीय मन्त्री जी ने इसे प्रस्तुत नहीं किया था, मैं समझता था कि अगर उन्होंने प्रवर समिति के सामने रखा, तो विरोधी दल की ओर से यह प्रस्ताव आयेगा कि इसको ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय लेकिन चूंकि माननीय मन्त्री जी ने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने रखा तो उसके दो कदम और आगे विरोधी दल ने यह रखा कि इसको जनमत के लिए भेजा जाय, इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाय।

[श्री बलबीर सिंह]

मुझे बड़ा ताज्जुब इस बात पर होता है कि माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात को देखने और जानने की कोशिश नहीं की कि जनमत के लिए कौन से विधेयक भेजे जाते हैं। जनमत के लिए आमतौर से वह विधेयक भेजा जाता है जिसके ऊपर विचार करना होता है कि यह पब्लिक के लिए, जनता के लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा, उसको रखा जाय या न रखा जाय, और उस पर कोई कानून बनाया जाय या न बनाया जाय, लेकिन यह पंचायत राज ऐक्ट एक ऐसी चीज है, यह ऐसा विधेयक है जिसे साढ़े चार साल से माननीय नेता विरोधी दल अमल में देख रहे हैं, और सदन के दूसरे माननीय सदस्य भी देख रहे हैं और जिस पर कि विदेश के बड़े-बड़े कानून जानने वाले और नीति के जानने वाले, ऐसे लोगों की टीका टिप्पणी हो चुकी है, और उन्होंने उसकी बड़ी सराहना की है और कहा है कि यह पंचायत राज की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो हिन्दुस्तान में अद्वितीय है और यह एक ऐसी चीज है जिसके पैरेलेल कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। जिसकी यहां तक सराहना हो, उसके लिए आज इस सदन में यह मांग की जाय कि इसको जनमत के लिए भेजा जाय या लोकमत के लिए भेजा जाय, तो मैं इसको यही कहूंगा कि इस पर ज्यादा विचार नहीं किया गया। माननीय नेता विरोधी दल ने कई बार अपने भाषण में इस बात का संकेत किया कि माननीय मन्त्री जी ने सद्बुद्धि से इस पर विचार नहीं किया। मैं तो यह कहूंगा कि उनका प्रस्ताव इस बात को प्रकट करता है, उनका यह कहना कि इसको जनमत के लिए भेजा जाय इस बात को प्रकट करता है कि इस विधेयक को उन्होंने उस सद्बुद्धि से पढ़ा, देखा या समझा नहीं है जिस सद्बुद्धि का संकेत वह माननीय मन्त्री जी को कर रहे हैं।

न्याय के विषय में मैं यही कहूंगा कि जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि डिलेड जस्टिस इज डेनाइड जस्टिस (delayed Justice is denied Justice) मैं इस बात को मानता हूं और यह बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि यह जो न्याय की पंचायत इस विधेयक में रखी गयी है वह एक व्यवस्था ऐसी है जो इस कहावत की शिकायत को दूर करती है, जो इस बात को सुलझाती है, जो इस बात का साल्यूशन (Solution) है कि इसमें जल्दी से जल्दी न्याय हो सकता है। जिन लोगों का न्याय की आवश्यकता है, जिन लोगों में कोई झगड़ा है, किसी तरह का झंझट है, वह जल्दी से जल्दी और कम खर्च में उसी जगह न्याय पा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था इसमें रखी गयी है। कहा यह जाता है कि एलेक्टेड जूडिशियरी ठीक नहीं होती। इसमें दोनों प्रकार की व्यवस्था रखी गयी है कि नामिनेटेड (Nominated) भी हो और एलेक्टेड (Elected) भी हो, और जिन लोगों को न्याय कराना है, वह न्याय खुद ही कर सकेंगे और कम खर्च में कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था को भी माननीय नेता विरोधी दल यह कहें कि यह न्याय की प्रणाली नहीं है, यह जनता के लिए बड़ी एक परेशानी की चीज है, जनता में इससे बड़ा भय उठ रहा है, मैं तो यह समझता हूं कि ऐसी बातें, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर होना, सदन के समय को नष्ट करना है। उनको सुचारुरूप से विचार कर लेना चाहिए था। मैं तो यह समझता था कि वे ऐसे विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी कुछ फायदा उठायेगी और साढ़े चार वर्ष जो पंचायतों का कार्य रहा है उस पर ऐसी दृष्टि डालेंगे जिससे उसमें जो दोष हैं, वह दूर हो सकेंगे और ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी ऐसी रिपोर्ट इस सदन के सामने देगी, जिस से हम ऐसा एक विधेयक बना सकेंगे कि जैसी पंचायत राज की चर्चा विदेशों तक में है, वैसा ही वह हो जायगा। माननीय विरोधी दल के नेता या दूसरे माननीय सदस्य जो विरोध में बोलते हैं, उनसे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बता देना चाहता हूं कि अबकी बार हम इस विधेयक को उस रूप में रखेंगे कि जिससे वह गरीब जनता जिसको ज्यादा न्याय का शरण लेना पड़ता है, वह अपने आप इस ढंग से न्याय कर सके कि जिससे वह यह समझ सके कि यह विधेयक कल्याणकारी विधेयक है और यह जो हमारे यहां न्याय की व्यवस्था रखी गयी है, वह एक ऐसी व्यवस्था है कि वह यह समझ सकेगी कि वह राम राज्य में रह रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि इस सदन के हर एक सदस्य को यह अपना कर्त्तव्य समझ लेना चाहिए कि इस विधेयक

को ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद इसके सफल बनाने में वह अपना कोई कदम पीछे नहीं रखेंगे।

इतना कहने के बाद मैं एक दो बातें इसमें संकेत के द्वारा बताना चाहता हूं कि जो इस विधेयक में कुछ कानून रखे गये हैं, उन में प्रवर समिति को देखने की जरूरत है और वह यह है कि इसमें एक जगह पर यह रखा गया है "कम्पेंसेशन टु दी अक्यूज्ड", जो खंड ५१ में है और सेक्शन ६१ से ताल्लुक रखता है। उसमें मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यही कहूंगा कि इसको मैं ठीक नहीं समझता, इस सेक्शन को बदल देना चाहिए। वहां पर छोटे-छोटे मुकदमे आते हैं। ज्यादा कानून के जानने वाले वहां पर नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, जो ज्यादा विशेष रूप रखती हैं, उनको पंचायत में अभी रखना ज्यादा ठीक नहीं होगा। तो कम्पेंसेशन वहां दिया जाता है, इसमें विधेयक में लिखा है कि जहां बिलकुल ही झूठा और बदनियती से दावा किया गया हो। तो उसमें जब मुलजिम बरी हो तो उसको कुछ न कुछ मुआविजा मिलना चाहिए। तो इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो मामूली व्यवस्था रखनी चाहिए जिस से छोटे छोटे झगड़ों को गांव के लोग आसानी से निपटा सकें। यह व्यवस्था ऐसी है जिसमें देखना पड़ता है कि आया जो दावा किसी ने किया है, वह किस रूप में किया है, झूठा किया है या साधारण ढंग से किया है। तो मेरा सुझाव यह है कि प्रवर समिति को देखना चाहिए कि आया यह धारा रखी जाय या निकाल दी जाय।

एक दूसरी धारा इसमें और रखी गयी है जो खंड ७५ में आती है और जो सेक्शन ९४ (ए) से सम्बन्ध रखती है, और वह है कन्टेम्ट आफ न्याय पंचायत के बारे में। तो इसके लिए मैं यह कहूंगा कि यह अधिकार ऐसा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और आपस की बैर और पार्टीबन्दी को निकालने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं यह नहीं चाहता कि न्याय पंचायत में जो मेम्बर बैठें, उनकी तौहीन हो, लेकिन इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसे इस रूप में नहीं रखना चाहिए बल्कि इस रूप में रखना चाहिए कि अगर कोई कन्टेम्ट करता है, न्याय पंचायत का तो न्याय पंचायत उसको वहीं दण्ड न दे बल्कि एस० डी० एम० या एस० डी० ओ० के यहां नोटिस भेज दे और वे उसका निर्णय कर देंगे क्योंकि न्याय पंचायतें इस ढंग से काम नहीं करेंगी कि जो कानून शहादत अदालतों में लागू होता है वह वहां भी लागू हो। इस लिए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति को इन बातों को अच्छी तरह से देखना चाहिए जिस से कि जो शिकायतें पंचायतों के बारे में आज हैं, वे दूर हो जायं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विरोधी दल के नेता का भाषण सदैव बड़े आदर और सम्मान के साथ सुना करता हूं। मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि कभी भी उस भाषण में मुझे उनके चुने गये कुछ प्रिय शब्दों, वाक्यों और आक्षेपों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। उनका आज का भाषण इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जितना सारहीन रहा उससे अधिक सारहीन भाषण मुझे इस सदन में कभी भी सुनने को नहीं मिला। जो प्रस्तुत विषय आज सदन के सामने है, उसमें केवल इस बात पर विचार करना है कि यह विधेयक जो माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने इस सदन के सामने रखा है, संयुक्त प्रवर समिति के सामने जाय अथवा उसे लोकमत संग्रह के लिए, जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता जी ने प्रस्ताव रखा है, भेजा जाय। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने यदि कोई तर्क दिया होता, कोई विवेक की बात की होती, तो उस पर सदन विचार करता। उन्होंने चुने हुए शब्दों में माननीय मन्त्री जी और सरकार पर उनकी बुद्धि और नियत पर आक्षेप करने के अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर यह सदन विचार कर सके। जब कोई भी व्यक्ति तर्क बुद्धिहीन और तर्क शून्य हो जाता है तो उससे सदैव वही भूल होती है जो माननीय विरोधी दल के नेता ने की है, और यह तर्कशास्त्र की सब से बड़ी भूल है। अगर अपने भाषण में उन्होंने कोई ऐसी बात कही होती, कि क्यों यह विधेयक जनमत संग्रह के लिए जाना चाहिए तो कुछ समझ में आता। उन्होंने यह नहीं कहा। यद्यपि उन्होंने न्याय पंचायत शब्द

और न्याय के बारे में बहुत बातें कहीं, जिस से ऐसा जान पड़ा कि वे न्याय पंचायतें स्थापित करने के विरुद्ध हैं और उस मत के हैं जो मत कि वांचू समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि न्याय पंचायतें नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह यह समझते हैं कि न्याय पंचातों से न्याय नहीं मिलता है और उनके शब्दों में "केवल ऐसा फैसला, निर्णय अथवा जजमेंट मिलता है, जो न्याय पर आधारित नहीं होता" तो उनका मत यह होना चाहिए कि पंचायती अदालतें नहीं रहनी चाहिए। परन्तु उन्होंने ऐसा मत प्रकट नहीं किया। और यदि उनका यह मत हो, कि पंचायती अदालतें रहनी चाहिए तो उनमें जो दोष हैं, वे किस तरह से दूर किये जायं, इसके बारे में अपना मत देते मगर ऐसा कोई सुझाव उन्होंने इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में यदि वह इस मत के नहीं हैं और ऐसा सुझाव नहीं दे सकते हैं तो उन्हें माननीय मन्त्री जी ने जो समन्वय प्रस्तुत किया है, जिस में प्रान्त की, इस प्रदेश की और देश की जागृत जनता के विभिन्न एवं विरोधी मतों का समन्वय है, जिसको यहां सदन में रखा गया है। उसका समर्थन करना चाहिए। यदि उन्हें संशय है कि उनके अस्तित्व के पक्ष में जनमत होगा, तो वह इसको जनमत के लिए भेजकर उसमें विफल होंगे। मैं वांचू समिति की रिपोर्ट के कुछ अंश माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस समिति में प्रयाग विश्वविद्यालय के ला विभाग के डीन श्री के० के० भट्टाचार्य, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जजेज और ऐडवोकेट्स तथा अन्य कई-बड़े बड़े विद्वान थे। उन सबकी यही राय है। मैं आपकी अनुमति से वांचू समिति के कुछ अंश को यहां पर पढ़ देना चाहता हूं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि :—

"At the same time the committee is definitely of opinion that the elective system for constituting these Panchayati Adalats should go at once. It is suggested that in place of the elective system the Panchayati Adalats should consist of *Panches* nominated by the District Magistrate from within the Panchayati Adalat circle after such local enquiry through a gazetted officer as is considered necessary. Steps should be taken to appoint *Panches* to the Panchayati Adalats from all the villages in the circle and the bench for any particular case, may be in the form as provided in section 49 of the Panchayat Raj Act"

इस पर हस्ताक्षर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री के० के० भट्टाचार्य के थे। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे मन्त्री जी ने उनकी बात मानी और दोनों का समन्वय किया तो अनुचित क्या किया।

मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मन्त्री जी से अधिक इन न्याय पंचायतों के अस्तित्व को कायम रखने का कोई दूसरा समर्थक नहीं है। उनकी बुद्धि और नीयत पर हमला करना हीनता की बात है क्योंकि दोनों का समन्वय अत्यन्त ही आवश्यक था। यदि कोई भी बात ऐसी है, जिस पर जनमत की आवश्यकता थी, तो वह इस बात पर है कि इनका अस्तित्व रहे या नहीं, और यदि उनका अस्तित्व रहे तो फिर क्या लाभ हो सकता है, लोकमत संग्रह से। और यदि दोनों विधियों का समन्वय हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। इस लिए इसको जनमत के लिए भेजना अनावश्यक है।

दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन हुए इसी पंचायत राज के सम्बन्ध में पदावधि बढ़ाने का एक विधेयक आया था तो उस समय विरोधी दल के लोगों ने यह शिकायत की थी कि माननीय मन्त्री जी ने चुनाव हटाने के लिए ऐसा किया है और उनकी नीयत पर उस समय भी हमला किया गया था। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते ही हैं कि इसको जनमत संग्रह करने के लिए भेजा जाय तो जरा सोचिये कि इसमें कितना समय लगेगा और उस समय क्या फिर आप माननीय मन्त्री जी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे ?

मैं समझता हूं कि जो संशोधन इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसमें सभी बातों का समन्वय है, जो आज हमारे प्रदेश की जनता चाहती है। जिस उद्देश्य और भावना से इन पंचायती अदालतों का निर्माण हुआ है, उसमें जो न्याय प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण की बात है उसका पांच वर्षों का हमें, अनुभव हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हमारे देश के ही नहीं बल्कि सारे संसार की निगाहें, आज इस तरफ हैं और सभी इस मत के हैं कि संसार में यह हमारा एक नया प्रयोग है।

यह एक क्रांतिकारी कदम था और जनतंत्रात्मक ढंग से क्रांति हो सकती थी उसको हमने पांच वर्ष तक देखा, और आज हम यह कह सकते हैं कि इसमें हम विफल नहीं हुए हैं और जो इसमें कमजोरी और खामियां थीं, उसको दूर करके हम सफल हो सकते हैं। इस बात को देखते हुए जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, इस सदन में वह सभी आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। इसको प्रवर समिति में न भेजकर जनमत संग्रह के लिए भेजने में काफी विलम्ब करना है और इसके लिए शायद हमारे विरोधी दल के नेता तैयार नहीं हैं, अगर वह तैयार हों, तो मैं समझता हूं कि उनकी नीयत पर भी हमला क्यों न किया जाय जब कि वह ऐसे संशोधन को चाहते हैं जिसमें कि विलम्ब हो और जो सारहीन हो।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जायगा, इसमें बहुत सी ऐसी बातें अवश्य हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि मन्त्री जी ने और समिति ने बहुत विचारपूर्वक काम किया है लेकिन फिर भी बहुत सी बातें छूट गयी हैं। जिन पर प्रवर समिति अवश्य ध्यान देगी ऐसा विश्वास है। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा।

*श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय नेता विरोधी विरोधी दल के जनमत संग्रह के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं इस विषय में जाऊं कि यह क्यों जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय, एक माननीय सदस्य जो अभी भाषण कर रहे थे उनको यह ताज्जुब हुआ कि पंचायत राज ऐसा विषय क्यों जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय, जो सर्वमान्य है? जनमत संग्रह के लिए वही प्रस्ताव भेजे जाते हैं जिन में सिद्धान्तों की विभिन्नता होती है, मत-भेद होता है। पंचायत राज के बारे में जो विभिन्न धाराएं हैं, जो विधान रखा गया है, उसमें काफी मतभेद है इसीलिए हमारा प्रस्ताव है कि यह भेजा जाय। दूसरी बात यह है कि जो माननीय महावीर प्रसाद शुक्ल ने कहा कि अगर इस प्रकार से देर होगी, तो हम हमला करेंगे, तो मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि वह १५ दिन में रिपोर्ट पेश कर देगी। तो क्या इस बात की सम्भावना नहीं है कि दो महीने की देर हो जाय। माननीय नेता विरोधी दल ने ३१ मई, १९५४ की तारीख नियत कर दी है, कि उस तारीख तक रिपोर्ट आजानी चाहिए।

अब मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने उन प्रश्नों को रखना चाहता हूं जिनके बारे में मतभेद हो सकता है और जिन में जनमत की आवश्यकता होती है। पंचायत राज का मूल सिद्धान्त सत्ता का विकेन्द्रीयकरण है और इसी सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को लेकर इस पंचायत राज की भावना का सवाल उठा। सभी दल इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किसी भी विधेयक से नहीं होता, या उसके विषय में शंका उत्पन्न हो सकती है, या सत्ता के विकेन्द्रीयकरण में दिक्कत पैदा होती है, तो एक विचारणीय विषय पैदा होता है कि वह जनमत के लिए भेजा जाय। इस विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में हमारी पार्टी और कांग्रेस ने भी माना है कि ४ जगह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो और एक बराबरी का अधिकार बराबर हो, केन्द्र में, प्रान्त के हेडक्वार्टर पर, जिले में और गांवों में तभी वास्तविक विकेन्द्रीयकरण होता है। यह विधेयक काफी समय लेकर आया है और माननीय सदन को मालूम है कि मूल अधिनियम में ११३ धाराएं हैं और इसमें ८९ धाराएं हैं। २०–२५ ऐसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हैं जो कम हो सकती हैं। तो काफी समय लेने के बाद भी क्या इसमें इस बात की गुंजाइश है कि सरकारी कर्मचारियों की इस में प्रधानता नहीं है ? सारे डायरेक्टर आफ पंचायत या माननीय मन्त्री जी या सरकार अपने हाथ में या उनकी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नियत अधिकारी को अपने हाथ में लेने की व्यवस्था इसमें नहीं दी गयी है ? यह भी विचारणीय विषय है। इस विधेयक को अगर आप गौर से देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ इतना ही अधिकार नहीं कि पंचायती अदालतों, जो कि चुनी हुई जनता से हैं, उनका समय बढ़ा दिया जाय, बल्कि जब चाहे राज्य सरकार किसी भी समय एलेक्शन करा सकती है और उनको भंग कर सकती है। यह भी अधिकार लिया गया है। यह क्या सत्ता है कि विकेन्द्रीयकरण की कसौटी पर खरा उतरता है ? चार पांच साल के लिए जब भी राज्य सरकार चाहे उनको भंग करके किसी प्रदेश के एक हिस्से या पूरे प्रदेश में चुनाव करा सकती है, मैं समझता हूं यह सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का तरीका नहीं है।

दूसरी बात यह उठायी जाती है कि जिले की। मैं आशा करता हूं कि काफी बहस हुई। म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट और प्रशासकों की नियुक्ति से लेकर और भी जो छोटे-छोटे पंचायात राज के संशोधन के लिए विधेयक पेश हुए, उसमें हमारे दल की तरफ से और अन्य सदस्यों ने भी जोर दिया कि सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का पूरा अवसर होना चाहिए और सरकार का इन संस्थाओं में कम से कम हाथ होना चाहिए। सिर्फ सुपरवाइजरी और गाइडेंस के लिए होना चाहिए और उनको अपनी तानाशाही इसमें नहीं बढ़ा देनी चाहिए। मुझे तो आशा थी, लेकिन जब मैंने इस दृष्टिकोण से इस विधेयक को देखा, तो मालूम हुआ कि जहां का मसला था वहीं रह गया, जरा सा भी सुधार नहीं हुआ।

तीसरी बात यह है कि इस विधेयक के द्वारा टाइम बढ़ाने का अधिकार लिया गया। जब चाहे, पंचायती अदालतों को भंग करके उनको फिर से नियत करने का अधिकार लिया गया। किसी गांव सभा या पंचायती अदालत को सस्पेंड करने का और उनके किसी इन्डिविजुअल मेम्बर को रिमूव करने का अधिकार लिया गया, यह भी सर्वथा प्रत्यक्ष है और यह दावा नहीं किया जा सकता कि वास्तविक मानों में यह पंचायत राज की भावना के अनुकूल है और विकेंद्रीयकरण की कसौटी पर खरा उतरता है। बार-बार कहा गया है कि किसी को अधिकार नहीं है समय बढ़ाने का और समय के पहले चुनाव करने का और चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर हटाने का अधिकार है, तो मत-दाताओं को है। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें और कानूनों से म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज के कानूनों से आगे एक विशेष धारा इस बात की दी गयी है कि १५ दिन की नोटिस के बाद किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। टूटे-फूटे शब्दों में या टेढ़े-मेढ़े शब्दों में इसको एक तरह से पावर आफ रिकाल कह सकते हैं कि जनता अगर अपने किसी पदाधिकारी से असन्तुष्ट है तो सीधे गांव सभा अपने वोटों से उसको अपनी जगह से अलग कर सकती है। यही व्यवस्था काफी थी इस बात के लिए लेकिन उसमें आगे भी अधिकार दिया गया है कि जनता अगर स्वयं व्यवस्था नहीं करती है तो वहां फिर अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह उसको हटा दें। यह सर्वथा जनतंत्र के उसूलों के प्रतिकूल है। इस लिए इसको जनमत के लिए भेजना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रवर समिति में जब हम किसी विधेयक को भेजते हैं, तो उसका मतलब यह होता है कि हम उसके सिद्धान्तों को मानते हैं। तो प्रवर समिति में भेजने से हमारा मंशा कहां पूरा होता है ?

दूसरी बात मैंने बार-बार इस सदन में कही है कि पंचायत राज की आत्मा कुंठित होती जा रही है और धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों की प्रधानता उसमें होती जा रही है। इसी विधेयक में आप यह देखेंगे कि गांव सभा को जब यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी, पटवारी, पतरौल, कांस्टेबिल, चौकीदार, आदि के खिलाफ शिकायत कर सकती है, और उसकी रिपोर्ट आगे भेज सकती है, तो वहीं पर पंचायत के सेक्रेटरी के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। पंचायत का सेक्रेटरी

तो उसका सीधा नौकर है, उसके खिलाफ वह शिकायत न कर सके, उसकी नियुक्ति में उसका हाथ न हो, मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय मन्त्री जी इसमें यह रखेंगे कि इसमें पंचायत को अधिकार होगा पंचायत सेक्रेटरी की नियुक्ति करने का, लेकिन इसमें तो उसको कुछ भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो नौकर वह रखे, तनख्वाह वह दे, रेवेन्यू बजट से, यह कहा जा सकता है कि तनख्वाह वह सीधे अपने फन्ड से नहीं देती है, लेकिन हमारे देश की जनता ९० फीसदी देहातों में रहती है और हमारे प्रदेश की रेवेन्यू का ७५ फीसदी देहातों से ही आता है, और उसी से उसको तनख्वाह दी जाती है, तो उस सेक्रेटरी के ऊपर उसका कोई अधिकार न हो, यह एक अनुचित बात है और यह काफी महत्व का विषय है। इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

दूसरी एक बात की तरफ मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट के द्वारा दो तीन किस्म के टैक्स लगाने का अधिकार पंचायतों को था लेकिन अब नये किस्म के टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। यह बार-बार कहा जा चुका है कि जनता की टैक्स पेइंग कैपेसिटी सेचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच गयी है और उसके बाद अब उस पर टैक्स लगाना अनुचित होगा। लेकिन इस विधेयक में माननीय सदस्य देखेंगे तो मालूम होगा कि लगान पर टैक्स, मकानों पर टैक्स, व्यवसाय पर टैक्स, मनोरंजन के साधनों पर टैक्स, जानवरों पर टैक्स, गाड़ियों पर टैक्स, बाजार में जानवरों की बिक्री पर टैक्स, जानवरों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स, स्लाटर हाउसेज पर टैक्स, पानी का टैक्स सफाई का टैक्स और साथ ही साथ रोशनी का टैक्स, ये इतने प्रकार के टैक्सों का भार उस जनता पर डाला जा रहा है। तो क्या यह ऐसा विषय नहीं है कि जो जनमत के लिए भेजा जाय जिसमें कि लोग यह सोचकर राय दे सकें कि आया ये टैक्स लगने चाहिये या नहीं लगने चाहिए।

इसके साथ ही साथ एक विषय इसमें ऐसा भी रखा गया है कि किसी भी पंचायत के प्रधान या उप-प्रधान को ३० वर्ष का होना चाहिये। मैं माननीय सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी-अभी हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुये हैं और आप जानते हैं कि सिर्फ ७ फीसदी शिक्षित लोग यहां थे। देहात में तो यह संख्या शिक्षितों की और भी कम थी। सिर्फ जो ऊंचे वर्ग के लोग थे जो कि शोषक रहे हैं, वही पढ़-लिख सके हैं आज अगर हम ३० वर्ष की मियाद रखना चाहते हैं तो एक हरिजन भी ऐसा मिलना मुश्किल हो जायगा। पढ़ा लिखा होना यों जाहिरा बड़ा अच्छा मालूम होता है किन्तु पढ़ा लिखा होने के स्थान पर इसमें यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि जो कोई ऐसा कर सके कि अपने किसी विश्वासपात्र पढ़े-लिखे को ढूंढ ले जो कि उसका काम करा सके, तो वह भी हो सकता है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सम्राट् अकबर की तरफ दिलाना चाहता हूं। हालांकि मैं यह नहीं मानता कि वह पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन एक कुशल राजनैतिक व्यक्ति को जितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उतना वह नहीं था। पर उसने जो शासन और प्रशासन का एक नमूना पेश किया वह किसी से छिपा नहीं है। तो आज जब कि हमारी जनता में ९२ फीसदी अपढ़ लोग हैं, उस समय हम इस बात की व्यवस्था करें, यह एक बड़े महत्व का विषय है। यह व्यवस्था हो सकती है कि जो पढ़े-लिखे न हों वह अपना विश्वासपात्र आदमी रखकर के अपनी कार्यवाही उससे दिखा सकें। उसको भी सरपंच और प्रधान के पद पर आसीन होने का मौका होना चाहिए। मध्य भारत के क़ानून को मैंने देखा उसमें २५ वर्ष की उम्र रखी गयी है। लेकिन मेरी राय तो यह है कि इन पदों के लिए जो उम्र वोटरों के लिए रखी गयी है वही होनी चाहिए उम्र के लिहाज से अक्लमंदी या बुजुर्गी नहीं होती। अगर कोई अद्भुत प्रतिभाशाली २१ वर्ष का वयस्क है तो कोई वजह नहीं है कि उसको दस वर्ष के लिए रोक रखा जाय, छोटे-छोटे काम ऐसे हैं जिन्हें हमको सीखना और समझना है। स्वायत्त शासन को हमें गिर पड़ कर सीखना है। फिर ऐसी आशा करना कि सब लोग बड़े विद्वान् होंगे पहले से माडल बन कर आयेंगे और गांव पंचायतों का काम करेंगे यह बहुत दूर देखना है। अगर आप प्रांतीय मंत्रिमंडल को देखें, अगर आप केन्द्रीय मंत्रिमंडल को देखें तो जिस आदर्श की कांग्रेस पार्टी कल्पना करती है और हम कल्पना

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

करते हैं हमारा यह मंत्रिमंडल भी उन आदर्शों के मुताबिक नहीं चल पाता। आप सेलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट देखते हैं, एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं, गलतियां जो साधारण आदमी भी नहीं करता, हो जाती हैं और कैबिनेट के जरिये होती हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि अभी हम शासन करना सीख रहे हैं। आदमी की गलती ढूंढना तो मुश्किल है। यह भी विवादग्रस्त विषय है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ ही उम्र तीस वर्ष होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए न्याय पंचायतों के सरपंच और प्रधानों के लिए, यह भी ऐसा प्रश्न है जिस पर सदन को विचार करना चाहिए।

(इस समय ४ बजे सायंकाल श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अब पंचों के राजनीति में हिस्सा लेने की बात। यह बात ठीक है कि कोई जुडीशल आफिसर या एस० डी० ओ०, सरकारी कर्मचारी राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता। इसके बारे में हमारी और कांग्रेस पार्टी की दो रायें नहीं हैं। लेकिन जिन पंचों को एक तरफ चुना हुआ मानते हैं दूसरी तरफ उनको राजनीति से वंचित रखते हैं, मैंने इस तरह से हिसाब लगा कर देखा है कि ३ लाख व्यक्तियों को जिनको बहुत तजुर्बा है उन्हें आप वंचित रखना चाहते हैं। क्यों नहीं आशा करते कि हम में इतना सविवेक होगा, मिसालके तौर पर बता देना चाहता हूं कि रोज इस सदन में कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में विरोधीभाषण होते हैं और कभी-कभी गरमागरमी हो जाती है लेकिन जब हम प्रिविलेज कमेटी या इसी प्रकार की कमेटियों में पहुंचते हैं तो हम पार्टी लेविल से ऊपर उठ जाते हैं और हमारा दूसरा व्यक्तित्व परिस्फुटित होता है। तो आप क्यों शक करते हैं पंचायत का आदमी यदि पालिटिकल पार्टी का होगा तो अन्याय करेगा। तो यह भी विवादग्रस्त विषय है यद्यपि मेरी राय तो यही है कि उन्हें इजाजत होनी चाहिए कि राजनीति में हिस्सा ले सकें। लेकिन यह भी विषय जनमत के लिए घुमाया जाय।

पंचायत के चुनाव के लिए फीस और सीक्योरिटी दोनों रखी गयी हैं। विधान सभा के चुनाव में कोई फीस नहीं ली जाती, केवल सीक्योरिटी रखी जाती है। अगर फीस और सीक्योरिटी दोनों रखी जाती है तो हमारे प्रदेश की ९० प्रतिशत गरीब जनता फीस और सीक्योरिटी कहां से लायेगी खासकर बेचारे वह गरीब जिनके पास एक-एक, दो-दो बीघा खेत हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, मैं सीक्योरिटी के पक्ष में तो हूं। अगर कोई खामखा चुनाव में खड़ा हो जाता है और उसको वोट नहीं मिलते तो उसकी सीक्योरिटी जब्त हो जानी चाहिए। लेकिन गरीब लोगों से फीस का लिया जाना यह निहायत अनुचित है मैं समझता था कि माननीय स्वशासन मंत्री कम से कम इस व्यवस्था को दूर करके तब विधेयक प्रस्तुत करेंगे। माननीय मंत्री जी ने एक रास्ता रुपया इकट्ठा करने का निकाला है जिससे इसी से शासन चलाया जाय। हमारी तरफ से बार-बार कहा गया कि किसी भी ग्राम पंचायत को तभी चला सकते हैं जब कि रेवेन्यू का २५ फीसदी उनको दिया जाय। इस तरह से बेगार को श्रमदान का कानूनी रूप दे कर आप तरक्की नहीं कर सकते। एक ही तरीका है कि आप काफी रुपया दीजिये। जब पंचायत राज्य बजट पेश होता है तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्ते के अलावा कभी कोई रुपया नहीं रक्खा जाता। कुछ न कुछ उनके लिये रुपये की व्यवस्था करनी चाहिये। अन्य देशों में जब पंचवर्षीय योजना बनती है तो जनता में वितरित की जाती है और लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। यहां तो लुत्फ यह है कि पंचवर्षीय योजना बन जायगी और विधान सभा में भी उस पर विचार नहीं होता और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ माननीय मंत्री तो यह भी नहीं बतला सकते कि उनके प्रदेश की पंचवर्षीय योजना क्या है। तो इस तरह से कैसे कहा जा सकता है कि सुधार हो सकता है और तरक्की हो सकती है। अगर अपने रेवेन्यू से उनको कुछ देंगे तभी समुचित रूप से तरक्की हो सकती है।

इस विधेयक में रक्खा गया है १०९ और ११० में जो जमानत पर रिहा हैं उनको चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार न हो या जिन्होंने अनैतिक अपराध किया हो उसके लिये प्रादेशिक सरकार चाहे तो दूर कर सकती है। म्युनिसिपैलिटीज और टाऊन एरियाज ऐक्ट्स में आपने रक्खा है कि एसेन्शियल सप्लाई ऐक्ट में, जिनको सजा मिल चुकी है वे चुनाव के लिये अयोग्य हैं, उसी तरह से इसमें इस बात की व्यवस्था कर दी जाय। मैंने चूंकि इस व्यवस्था को इसमें नहीं देखा इसलिये मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से कहूंगा कि वह इसकी भी व्यवस्था कर देंगे।

तीसरी बात यह है कि सिर्फ प्रादेशिक स्तर के शासन में या केन्द्रीय स्तर के शासन में ही नहीं बल्कि पंचायत राज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के शासन में अपने देश में इंसान गल्ती करके ही सीखेगा। कोई भी माननीय सदस्य पंचायत राज्य का विरोधी हो सकता है और कह सकता है कि पंचायत राज्य के लोग घूस ले सकते हैं, पक्षपात होता है लेकिन ये बातें हर जगह समाज में हैं और इसकी वजह से वे कहें कि पंचायतों को तोड़ दिया जाय तो मैं एक कदम आगे रहूंगा यह कहने के लिए कि पंचायतें रहेंगी।

इसमें तीन वर्ष के बजाय ५ वर्ष की मियाद पंचायतों की रख दी गयी है। जो पंचायतें पहले पहल चुनी गयीं उन्होंने काफी अव्यवस्थायें पैदा कर दीं क्योंकि यह उनका पहला तजुर्बा था। हमारे देश में अंग्रेजों ने हमारे मारेल स्तर को गिरा दिया है। गांव से भी वह दूर नहीं रहा। समाज के हर स्थान में वह छाया हुआ है लेकिन तीन तीन वर्ष की मियाद रक्खी जाय और जल्दी जल्दी जनता को अपने प्रतिनिधियों को बदलने का अधिकार होगा तो व्यवस्था जल्दी सुधर सकती है। जब १०,१५ वर्ष के बाद व्यवस्था ठीक हो जाय तो ५ वर्ष की मियाद रख दी जा सकती है जब कि हमारा नैतिक स्तर बहुत ऊंचा हो जायगा और अपने कर्तव्यों को हम अच्छी तरह से समझने लगेंगे। इस वक्त ५ वर्ष की मियाद रक्खी जाय यह भी विवादग्रस्त विषय है इसके लिये जनमत जानना निहायत आवश्यक है।

चौथी बात है चुनाव की प्रणाली क्या हो। चुनाव क्षेत्र बना दिये जांय यह झलक तो इसमें दिखायी दी लेकिन कौन सा तरीका हो, बैलट का या हाथ उठा कर यह इसमें कहीं भी व्यक्त नहीं है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् जो शोषक जातियां रही हैं उनसे आज भी पिछड़े हुए लोग प्रभावित हैं। आज वे पुलिस से मिल कर नाना प्रकार से गरीब लोग जो असहाय हैं, निर्धन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। खुले हाथ उठाने पर सीक्रेसी आफ बैलेट की बात नहीं रहती। जो गरीब और पिछड़े लोग डरते हैं वे अपना मत व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन इस विषय में यह विधेयक चुप है। माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह नियमों में इसकी व्यवस्था कर देंगे। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना था, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट की सीट हो या विधान सभा की सीट हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीट हो पूरी संख्या में चुनाव नहीं हुआ जगह खाली है तो वहां के मतदाताओं से चुनाव होता है। इस विधेयक में यह भी आया है कि मान लीजिये कि नामजदगी की कोई तारीख रखी गयी है और उस पंचायत में २५ जगहें हैं और २५ मेम्बरों में से २० पचें दाखिल हुये हैं तो ५ की नामजदगी नियत अधिकारी करेगा। इस प्रकार से प्रबन्ध करना गलत है। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप एक समय रखते हैं और २० नामजदगियां ही आती हैं और ५ रह जाती हैं तो फिर भी मौका देकर ५ का चुनाव होना चाहिये। यह विवादग्रस्त विषय है।

माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि इंडियन पैनल कोड में से २७९,३३६,३५६ और २८६ धाराओं को हटा लिया है और यह उनके अधिकार में नहीं रह जायंगी। माननीय मंत्री जी इस बात पर रोशनी डालें कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जिससे यह जरूरत पैदा हुयी। मैं तो यह समझता हूं कि ३ साल के तजुर्बे के बाद न्याय पंचायतों को और भी व्यापक अधिकार देने चाहिये। गांव वाले अब नियम कायदे और क़ानून समझ गये हैं। तो बावजूद इस बात के उनके अधिकार से इन धाराओं को निकाल लिया गया है यह समझ में नहीं आया। इसकी तरफ जब माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि पहले तो यह व्यवस्था

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

थी और अब चुने हुये पंच नहीं होने चाहिये और अब वह चुने हुये और नामजद किये हुये दोनों को रखना चाहते हैं। तो इस अवसर पर मुझे एक रामकुदैया की कहानी याद आगयी। एक हिन्दू और एक मुसलमान एक नाला पार कर रहे थे। तो उनमें से हिन्दू तो राम का भक्त था और मुसलमान खुदा का भक्त था। तो हिन्दू ने तो जय राम का नाम लेकर नाला पार कर दिया। उसकी सफलता को वह मुसलमान देखकर सोचने लगा कि मैं राम कहूं या खुदा कहूं। तो जब वह नाला कूदने लगा तो उसने खुदा कहा और राम भी कहने लगा और उसका नतीजा यह हुआ कि वह नाले में बीच में ही गिर गया। पंचायतों में चुने हुये पंच हों और नामजद भी पंच हों तो उनका भी यही हाल होगा जैसा कि इस रामकुदैया का हुआ। या तो आप यह कहिये कि नामजद ही होंगे और या कहिये कि चुने हुये होंगे और उनका अधिकार वाही होना चाहिये और उनके लिये जुडिशियरी पावर होनी चाहिये जिसको देने का अख्तियर हाईकोर्ट को हो। इसलिये मेरा ख्याल यह है कि दोनों तरह से चुनाव करना ठीक नहीं है। आप यह समझें कि अगर कहीं पर ३५ पंच किसी सभा के लिये चुने गये हैं तो उनमें से जिलाधीश या नियत अधिकारी ने उसमें से चुन लिया कि पांच होंगे न्याय पंचायत के तो फिर वह बाकी ३० आदमी यह समझेंगे कि हम ईमानदार नहीं हैं। इस वजह से यह तरीका मुझे उचित नहीं मालूम होता है।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि ९२ फीसदी फैसले को जो पंचायतों के पंचों ने किये उनको बहाल रखा गया। तो फिर उनको यह क्या जरूरत है कि इसको बदला जाय। जो अधिकार उनको अभी तक प्राप्त है और उसके अनुसार जो वह फैसला करते हैं जब उसको मान लिया जाता है तो फिर जनता के ऊपर इस प्रकार से अविश्वास करना और उनके अधिकार कम करना उचित नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि चुने हुए लोगों के द्वारा ही वहां का काम होना चाहिये। मेरी समझ से यह उचित व्यवस्था है। मेरी समझ में यह बात आती है और मुझे यह आशंका लगती है कि कांग्रेस पार्टी का आजकल देहात में प्रभाव कम होता जाता है। उसमें ३ लाख पंच नामजदगी के जरिये से बनाये जायेंगे। तो वह पंच सब यह समझेंगे कि माननीय मंत्री जी की कृपा दृष्टि से हमको यह मौका मिला है या जिलाधीश या नियत अधिकारी ने ही उनको नियुक्त किया है। इस प्रकार से यह ३ लाख आदमी उनकी सहायता के लिये उनको मिल जायेंगे जो वालन्टियर का काम करेंगे और वह अगले चुनाव के समय काम में आ सकते हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा है कि यद्यपि उनके लिये मनाही थी लेकिन फिर भी कांग्रेस का पक्ष उन्होंने खुल्लमखुल्ला लिया है और अधिकारी इस बात को देखकर अपनी आंख मूंद लेते थे। मेरे सामने ऐसी मिसाल आयी है कि गवर्नमेंट कालेज के प्रिंसिपल और मास्टरों ने आचार्य नरेन्द्रदेव और बाबा राघव दास के चुनाव में बाबाजी की मदद की थी और भाषण भी दिया था। वहां पर सब मंत्री गये और उनको बतलाया गया लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और आंख मूंद लिया। तो यह ३ लाख की सुसज्जित सेना है जिसका उपयोग कांग्रेसी पार्टी के लोग कर सकते हैं। मुझे यह आशंका होती है। मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था न करें कि मंत्रिमंडल के बारे में और उसके शासन के बारे में किसी एक व्यक्ति को भी आशंका हो। यह बहुत विवादग्रस्त विषय है जिसके ऊपर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार की कुछ दूसरी बातें हैं जो इसमें रखी गयी हैं और जो मेरी समझ में नहीं आयी हैं। इस विधेयक में यह है कि जो राज्य के कर्मचारी होंगे उनके मुकदमे वहां पर नहीं हो सकेंगे। न्याय पंचायतों को अगर आप ज्यादा अधिकार देते हैं चाहे वह किसी सेक्शन के हों अगर राज्य सरकार का कोई अपराधी ऐसा कार्य करता है तो व्यक्तिगत हैसियत से उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों न हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। न्याय पंचायतों को जिन दफाओं के उन्हें अधिकार दिये गये हैं उनके मुताबिक ऐसे व्यक्तियों के मामलों की भी सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिये। लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के ३४ ३५ के मुकदमे तहसील में भी होते थे और तहसीलदार उनको वहां भेज दिया करते थे।

लेकिन इस विधेयक में यह भी अधिकार वापस लिया जा रहा है। एक बात मैंने और देखी कि कुछ धाराओं को न्याय पंचायतों को दिया गया फैसला करने के लिये, सिविल और क्रिमिनल दोनों, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि अगर दोनों पार्टीज इस बात पर रजामंद हो जावें कि उनका मुकदमा जिसका कि न्याय पंचायत को अधिकार नहीं है, न्याय पंचायत करे तो वह हो जाता था। लेकिन अब इसमें यह अधिकार छीना जा रहा है। इसकी कोई वजह होगी। इसमें कचहरी की और वकीलों के पास दौड़धूप से जनता बच जाती थी और खर्चा भी बचता था। एक व्यवस्था यह भी की जा रही है कि वकील न्याय पंचायतों में नहीं पेश हो सकते। माननीय हाई कोर्ट ने इस बात की रूलिंग दी है कि विधान के विरूद्ध यह बात है। लेकिन इस रूलिंग के बाद भी इसमें वकीलों के पेश होने की बात निकाली जा रही है। यह मुझे विरोधाभास मालूम हुआ और मैं इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले यह था कि गांव में सुरक्षा के लिये न्याय पंचायत जमानत या मुचलका ले सकती थीं। अब वह धारा इसमें से हटाई जा रही है मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। अगर पुलिस का थाना दूर है या पुलिस को मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है जिसमें समय लगता है तो ये पंचायतें इस कार्य को आसानी से कर सकती थीं। एक तरफ तो उनको सर्टीफिकेट दिया जाता है कि ९२ फीसदी उनके मुकदमे ठीक रहे और दूसरी ओर यह अधिकार छीना जा रहा है। जहां तक आर्थिक अवस्था का सवाल है, जमींदारी उन्मूलन के बाद भी हमारी सरकार ने कुछ मेलों का अधिकार और बाजारों का अधिकार जमींदारों को दे रखा है जोर मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुचित है। मुझे तो आशा थी कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी अपने विभाग के लिये, चूंकि उनका कैबीनेट में बहुत असर है, माननीय राजस्व मंत्री जी से लड़ेंगे और कहेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के बाद हमें अधिकार मिलना चाहिये क्योंकि हमारी पंचायतें ग़रीब हैं और यह उनका अधिकार है। अब भी समय है कि माननीय मंत्री जी इस ओर क़दम उठावें। यह भी विवादग्रस्त विषय है कि टैक्स वसूल करने की कितनी एजेंसियां हों। इसमें पहले लगानवसूली के बारे में फीस या कुछ कमीशन लेकर व्यवस्था की गयी है। लोकल अथारिटीज का टैक्स भी पंचायत वसूल करेंगी। जिस बात की हम इतनी देर से उम्मीद कर रहे थे वह विधेयक काफी देर में आया है। हम समझते थे कि माननीय मंत्री जी ने कोई ऐजेन्सी टैक्सों को वसूल करने की निकाली होगी लेकिन आपने लोकल अथारिटीज के बजाय पंचायतों को ही वह काम दे दिया। आज पंचायतें वैसे ही बदनाम हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स वसूल करने का काम दे दिया गया तो अभी तक जितनी सद्भावना और पाप्यूलेरिटी उनको प्राप्त है उसको भी खतरा पैदा हो गया है। इसलिये पंचायतों से यह टैक्स वसूल न कराया जाय तो अच्छा होगा। दूसरी एक बात और है। गाड़ियों पर टैक्स लगाने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को है और इधर भी वेहिकिल्स शब्द रख दिया गया है। इस प्रकार से गाड़ी रखने वालों पर दुहरा टैक्स पड़ जायगा। इसलिये इस दुहरे टैक्स के बारे में सरकार को गौर से देख लेना चाहिये। इन परिस्थितियों में आप ही समझ सकते हैं कि यह विधेयक आगे बढ़ा है या पीछे हटा है।

इस में बाईलाज का भी जिक्र आया कि पंचायतें अपने बाईलाज बना सकती हैं। माननीय मंत्री जी हमारे अनुरोध कर देने पर भी हमारी मांग से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसमें रख दिया कि जिस बाईलाज को चाहेगा उसको न्याय अधिकारी खत्म कर देगा। यह नहीं होना चाहिये था। हमारी मांग थी कि पंचायतों के चुनाव जल्दी हों इसलिये सरकार डर गयी और उसने आखिरी धारा में व्यापक अधिकार ले लिया। इधर तो दो वर्ष की अवधि बढ़ा दी गयी और उसके बाद इसमें यह भी लिख दिया कि वह किसी भी पंच अथवा सरपंच का कार्यकाल दो वर्ष और बढ़ा सकती है अथवा घटा सकती है। मेरे खयाल में किसी भी चुने हुए पदाधिकारी के लिये इस प्रकार के अधिकार लेना एक निहायत ही अनुचित सी बात है। इसलिये अन्तिम धारा को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाय तो अच्छा है।

अब रह गयी श्रमदान की बात। जहां तक श्रमदान का प्रश्न है वह स्वेच्छा से होता है। चाहे वह पंचवर्षीय योजना हो अथवा ग्राम पंचायत की योजना हो श्रमदान सर्वदा स्वेच्छा से

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

होना चाहिये । लेकिन यह कांग्रेस सरकार अपनी प्रेस्टिज को खो चुकी है । चीन और रूस में जो जनता के हृदय में स्फूर्ति पायी जाती है वह यहां बिल्कुल भी नहीं रही है । होली के अवसर पर माननीय चरणसिंह जी को उपाधि इसीलिये मिली है "मूंदहु आंख कतहु कोउ नाहीं" । तजुर्बा यह कहता है कि गांवों में सरकार की पापूलेरिटी समाप्त हो गयी है इसलिये वह लोगों को कानून के द्वारा मजबूर कर रही है । जब कानून के द्वारा मजबूर कर दिया गया तो फिर वह श्रमदान कहां रह गया । यह आप कैसे आशा कर सकते हैं कि कोई लैंड-लेस किसान चार चार दिन तक श्रमदान करता रहे । घर में दो कमाने वाले हों और दस खाने वाले हों तो वह चार दिन तक कैसे श्रमदान कर सकता है । इसमें गरीबों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । उनसे श्रमदान के नाम पर टैक्स लिया जाता है । ऐसे कामों में तो लोगों को लगन की स्पिरिट होनी चाहिये । चीन में लोग ऐसे समय पर लाखों की संख्या में जमा हो जाते हैं और नदियों के प्रवाह को मोड़ते हुए देखे जाते हैं । आचार्य नरेन्द्र देव ने चीन के एक किसान परिवार का किस्सा बताया जिसको माओ से दो एकड़ जमीन मिली थी । वह स्त्री उनका हाथ पकड़ कर ले गयी और कहा कि हमारे इस खेत पर माओ आया था । ऐसी भावना से सरकार की साख बढ़ती है और जनता श्रमदान के लिये उत्साहित होती है । तो माननीय सदस्यों के सामने २६, २७ बातें ऐसी रखीं कि इसको क्यों जनमत के लिये घुमाया जाय । मैं समझता हूं कि अब इसके बाद तो इसका कम से कम कोई विरोध नहीं करेगा कि जनमत के लिये इसका घुमाना क्यों आवश्यक है । इस मौजूदा विधेयक को पिछले ऐक्ट से आगे बढ़ना चाहिये, प्रगतिशील होना चाहिये लेकिन कई माने में यह उससे पीछे ही हटा है । बहुत सी समस्याएं उलझ गयी हैं, जनता के उपर ज्यादा टैक्स लगाये गये हैं और इससे एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है । मैं समझता हूं कि इन सब पर गौर करने के बाद सभी एक मत से जनमत के लिये इसे घुमाने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फर नगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है । जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है यह तो अपने आरम्भकाल से ही सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के पक्ष में रही है । सन् ३७ में जब कांग्रेस को सत्ता मिली तभी से उसने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि हमारी जो स्वशासन की इकाइयां हैं उनको किस प्रकार से संगठित किया जाय कि उनको ज्यादा शक्ति मिले । उसके सम्बन्ध में एक कमेटी भी उस वक्त बैठायी गयी थी लेकिन वह काम अधूरा रह गया । सन् ४६ में जब कांग्रेस शासन आया तब इस बात पर फिर विचार किया गया और पंचायत राज विधेयक उस समय जो भवन था उसके सामने प्रस्तुत किया गया । उस समय जिस वातावरण में और जिन परिस्थितियों में वह ऐक्ट की शक्ल में हमारे सामने आया उसका इतिहास तो सब को मालूम है कि उसमें कठिनाइयां हुईं और असेम्बली को पूरा समय उसके हर सेक्शन पर विचार करने का नहीं मिल सका । बहुत से सेक्शन गिलोटिन कर दिये गये जिससे उसमें बहुत सी त्रुटियां रह गयीं और उन त्रुटियों के रहने के कारण बहुत सी दिक्कतें सामने पड़ीं । एक तो यह भी कारण था कि इस ऐक्ट में संशोधन की जरूरत थी दूसरे चार वर्ष के जो नतीजे हैं, जो समय इस बीच में बीता उसने इसने बात की जरूरत महसूस करायी कि इस समय जो मौजूदा पंचायत राज ऐक्ट है उसमें भारी परिवर्तन की जरूरत है । चुनान्चे जो विधेयक हमारे सामने आया है उसमें काफी संशोधन किये गये हैं और चूंकि यह विषय प्रवर समिति के सामने जा रहा है, ब्योरेवार तो वही इस पर विचार करेगी और इस समय भवन में उनको बहस में लाना उचित नहीं मालूम होता है । मैं तो दो चार बातें सैद्धान्तिक रूप में आपके सामने और भवन के सामने रखना चाहता हूं । जो संशोधन विधेयक आया है उसमें बहुत ज्यादा जोर न्याय पंचायतों के ऊपर दिया गया है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्याय चाहे न्याय पंचायतों द्वारा हो, चाहे मैजिस्ट्रेटों द्वारा हो या किसी तरह से हो यहां तो होगा ही मगर मुकदमों का कम होना बहुत कुछ यह गांव समाज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है । जब तक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती तब तक मुकदमों की संख्या गांवों के अन्दर कम नहीं होगी । यदि हम तीन चार साल पीछे के समय को देखें कि पंचायतों ने कैसा काम किया है, ग्राम पंचायतों ने कैसा काम किया है और अपने-अपने क्षेत्रों के अन्दर वहां की आर्थिक दशा में कितना सुधार किया है, उस तजुर्बे के आधार पर इसमें संशोधन करना ज्यादा आवश्यक था । यह जो टैक्स आदि है उस पर इस संशोधन विधेयक में ज्यादा जोर नहीं डाला गया है इसलिये मैं चाहता हूं कि उस पर भी माननीय स्वाशासन मंत्री को ध्यान देना चाहिये । रेप्रेजेंटेशन आफ पिपुल्स ऐक्ट के आधार पर इस पर ज्यादा जोर डाला गया है कि ट्रिब्यूनल कैसे बनेगा, कैसे एलेक्शन ट्रिब्यूनल होगा, गर्चे कि गांव वालों के लिये न्याय पंचायत पर ज्यादा जोर दिया गया है जिससे उन्हें सही न्याय मिल सके । इसके आगे जब मैं पढ़ता हूं तो यह दिखलाई देता है कि रेप्रेजेंटेशन आफ पिपुल्स ऐक्ट की पूरी की पूरी धारा यहां उठाकर रख दी गयी है जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन्स होते हैं । उनमें पार्टिकुलर कारण होने चाहिये । अगर आप गौर से देखेंगे और उसकी धाराओं पर ध्यान देगें तो आप समझेंगे कि उसमें उठाकर तमाम रिप्रिजेंन्टेशन आफ प्यूपिल्स ऐक्ट की धाराओं को रख दिया गया है । इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है । देहातों को देखने के बाद मेरा तजुर्बा यह है कि जहां तक ग्राम पंचायतों का सम्बन्ध है यह ठीक है कि उन्होंने बहुत से गलत काम किये उनसे भूलें भी हुईं उन्होंने न्याय की जगह अन्याय भी किया और चूंकि यह उनका शुरू का तजुर्बा था इसलिये यह सब क्षम्य भी हो सकता है । लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ेंगी वह भूलें और गलतियां कम होती जायेंगी । अगर आप ग्राम पंचायतों को गौर से देखें तो मैं तो यह कह सकता हूं कि मुझे तो बहुत ही निराशा होती है कि उनमें कोई क़दम सही मानों में नहीं उठाया गया है । आप देखें कि कहीं पर किसी ग्राम में भी किसी गांव पंचायत ने अपने एक्सपेंडिचर और इनकम का बजट आज तक ठीक तौर से बनाया है और क्या कभी कोई इस तरह का बजट ग्राम सभा के सामने रखा गया है और पास हुआ है । एक परसेंट भी मिसाल ऐसी नहीं है कि कहीं पर वह बनाया गया हो और बकायदा वह ग्रामसभाओं के सामने आया हो और खर्च व्यय का ब्यौरा बाकायदा रखा गया हो और मंजूर कराया गया हो । मैं तो समझता हूं कि कहीं भी ऐसा नहीं किया गया है । यही देखने में आता है कि कहीं पर तो प्रधान साहब ही सब कुछ दस्तखत करके करते रहते हैं या एक सेक्रेटरी साहब या इंस्पेक्टर साहब सब कुछ करते रहते हैं और वह चाहे जितना टैक्स जिस पर लगाते और वसूल करते रहते हैं और जरूरत होती है तो कहीं-कहीं प्रधान के भी दस्तखत करा दिया करते हैं और वही जो चाहे जैसा हिसाब रखते हैं । जहां तक ग्राम पंचायतों की कार्यशैली का सम्बन्ध है वह तो शून्य के बराबर ही रही है और कोई भी ग्राम पंचायत सूबे में ऐसी नहीं होगी जिसने ठीक से कार्य किया हो । आपने कहीं कहीं दिखला दिया कि उन्होंने अपने कच्चे पक्के पंचायतघर बना लिए हैं लेकिन इससे ही काम नहीं चलता मैं केवल इन घरों के बना लेने से ही ग्रामपंचायतों की उन्नति को नहीं नापता । यह बनते या न बनते यह कोई उन्नति के द्योतक नहीं हैं । ग्राम पंचायतों को तो अच्छे संगठन की आवश्यकता है । वह अपने यहां के कामों को ठीक से चलावें अपने यहां के स्तर को ऊंचा कर रहे हों । पंचायत राज का काम तो खुले में या पेड़ों के नीचे भी चल सकता है । इससे कोई उनकी उन्नति को नहीं नापा जा सकता है । जरूरत तो इस बात की है कि सैद्धान्तिक रूप से ग्राम सभायें अपने काम को सम्भालें और खास बात यह है जैसा कि श्री बालेन्दुशाह ने कहा कि उन का आर्थिक ढांचा बहुत कमजोर है और उनके पास पैसा नहीं है और उनके पास कोई टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है और अगर वह कोई टैक्स लगाते हैं तो ग्रामीण जनता पर एक तरह से दुहरा टैक्स हो जाता है । एक ही विषय पर उसी जनता पर ग्राम पंचायतें टैक्स लगाती हैं और वहीं जिला बोर्ड टैक्स लगाते हैं और इस तरह से लोग दुहरे टैक्स में पिसते हैं । यह वहां के लोगों पर भी अन्याय होता है । यहां म्युनिसिपल बोर्ड में एक टैक्स लगता है तो दूसरा नहीं लगता, इनकम टैक्स तो सब जगह एक सा ही लगता है । हम तो सोचते थे कि बहुत विस्तृत रूप में इस विधेयक में कुछ आर्थिक आमदनी के तरीके इन संस्थाओं के खर्च के लिये निकाले जायेंगे लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के क्या अधिकार होंगे और ग्राम पंचायतों का क्षेत्र कहां तक होगा । लेकिन कोई चीज साफ तौर से इस तरह की हमारे सामने

[श्री केशव गुप्त]

नहीं आई और पता नहीं लगता कि क्या रूप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और पंचायतों का आगे होगा और कैसे उनका आर्थिक दृष्टिकोण से काम आगे बढ़ेगा । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी साथ लेकर चलते तो इन दोनों का अच्छा सामंजस्य हो जाता और उनका स्वरूप भी अच्छा बन जाता ।

दूसरी बात यह है कि उनके पास अर्थ नहीं है । आप उनको दान के रूप में कुछ देते हैं और फिर आप उनसे आशा करते हैं कि उनका स्तर ऊंचा हो, उनमें स्वाभिमान हो । मैं यह आशा नहीं करता क्योंकि मैं तो यह समझता हूं कि जो दान देता है और जो दान लेता है दोनों का स्तर नीचा है और मैं दान लेने और देने दोनों का हमेशा से विरोधी रहा हूं । जैसा कि बालेन्दु शाह जी ने कहा था कि आज हमें आवश्यकता है कि हम कोई परसेंटेज अपनी रेवेन्यू का जैसे सेन्टर प्राविंशियल गवर्नमेंट के लिये टैक्सेशन के सोर्सेज अलग कर देती है इसी प्रकार अगर उनके सोर्सेज अलग नहीं करते तो कम से कम यह व्यवस्था तो कर सकते थे कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में, या इरीगेशन रेट्स में या लैंड रेवेन्यू में इतना इतना परसेंट ग्रामों को अपने कामों के करने के लिये मिलेगा और उसको वह अपने कामों में खर्च कर सकेंगे । लेकिन यह आपने किया नहीं उनको टैक्स के लगाने के और अधिकार दे दिये और वह टैक्स भी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी लगाते हैं और दोनों का टैक्स एक बहुत बड़ा बोझा हो जाता है । एक दिक्कत तो यह है और दूसरी दिक्कत ग्राम सभाओं के सामने यह असेम्बली का चुनाव आप कराते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्ज यहां बैठकर सालभर के लिये अपने देश या प्रदेश के लिये बजट बनाते हैं या कानून बनाते हैं लेकिन उस बजट को जनता के सामने नहीं रखते । इसी तरह से म्युनिसिपल बोर्ड्स के मेम्बर चुने जाते हैं आप उनको एक कारपोरेट बाडी बना देते हैं । उसके मेम्बर बजट को बनाते हैं लेकिन वह लाखों या हजारों वोटरों के सामने उस बजट को नहीं रखते हैं । इसी तरह से और स्थानीय संस्थाओं में है । लेकिन ग्राम सभाओं के लिये यह दिक्कत है कि उनके लिये यह है कि जब बजट पास हो तो जनता के सामने रखें यह बिलकुल असंगत और गलत सी बात है । हमारे पश्चिमी जिलों में ऐसे ग्राम मिलते हैं जिनकी आबादी १४ और १६ हजार तक है और आज दशा यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के कारण उनकी ग्राम सभाओं के चुनाव नहीं हो सके हैं और उनको पांच वर्ष तक हो चुके हैं । इसलिये यह आशा करना कि हजार दो हजार आदमी एक जगह जुमा हो कर बजट एक्सपेंडीचर पर अपनी राय देंगे और उस पर अपनी व्यवस्था देंगे केवल स्वप्न मात्र है । यह भी होनेवाला नहीं है और ट्राइबल सिस्टम की तरफ पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं ।

दूसरी बात जो मुझे सैद्धान्तिक कहनी है कि इसमें व्यवस्था नहीं की जाती है कि चुनाव का तरीका क्या होगा । आपने पहले चुनाव का जो तरीका रखा था वह हाथ उठाकर रखा था । लेकिन अब आपने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर छोड़ दिया है कि वह जैसा मुनासिब समझे करे । यह हाथ उठाने का तरीका बहुत ही पुराना तरीका है, ट्राइबल टाइम्स का तरीका है । आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, वह पानी बहुत उतर चुका है और अब उस पर जोर देना कि हाथ उठाकर चुनाव करायेंगे या हाथ उठाकर इतनी बड़ी समस्याएं उनसे हल करवा लेंगे यह पढ़े लिखे समाज में किसी प्रकार से भी शोभा नहीं देता । मैं समझता हूं कि हमें इस पर बहुत सफाई से अपनी बात को रखना चाहिये । आप सोवियट रूस को देखिये । हमने बहुत बुराई की कि उसने अपनी जनता को बैलट का राइट नहीं दिया । इसके लिये तमाम डिमोक्रेटिक कन्ट्रीज के अन्दर हाय-हाय मच गई कि वहां पर बैलट का तरीका नहीं है । लेकिन आखिर में जनता की पुकार पर प्रजातंत्र के दबाव को मानकर उन्होंने इस बात को माना कि बैलट का तरीका ही सबसे बेहतर तरीका है । उन्होंने सन् १९३६ के बाद अपने कांस्टीट्यूशन के अन्दर बैलट के तरीके को अपनाया इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बात को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर आप न छोड़ें बल्कि सफाई के साथ इसको रख दें कि चुनाव का तरीका बैलट का तरीका होगा । आज के सभ्य समाज में चुनाव का तरीका बैलट के सिवाय दूसरा समझ में नहीं आता । एक तरफ तो आप रिप्रेजेंटेशन तरीके को रखते हैं और पेटीशंस के तरीके को रखते हैं लेकिन चुनाव का तरीका जो इसमें रखा

गया है वह पिछले जमाने का तरीका है । मैं समझता हूं कि यह दोनों चीजें मेल नहीं खाती और इसमें चेंज की जरूरत है । तीसरे वहां का जो मुख्य कर्मचारी सेक्रेटरी है उसको भी आपने बिल्कुल समाज से अलग कर दिया, ग्राम पंचायत से और ग्राम सभा से कोई भी अधिकार ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का उसके ऊपर नहीं रक्खा, यह भी मुझे ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के साथ अन्याय प्रतीत होता है । आप कहेंगे कि आपने उसको इस लिये अलग कर दिया क्योंकि आप उसे तनख्वाह देते हैं इसलिये जब कि गवर्नमेंट उसका खर्चा बरदाश्त करती है उसको गवर्नमेंट के ही अन्डर में रहना चाहिये । मैं कहता हूं कि उसे जो रुपया आप देते हैं वह वहीं से आता है, उन्हीं का रुपया है, हमारा रुपया नहीं है और हम तो केवल यहां पर उसके ट्रस्टी हैं, जो उसका इंतजाम करते हैं । इसलिये चूंकि उन्हें हम तनख्वाह देते हैं उनसे पंचायतों के अधिकार ले लेना किसी प्रकार भी उचित प्रतीत नहीं होता ।

पुराना जो ऐक्ट था उसमें कुछ गुन्जायश प्रतीत होती थी जिसके जरिये सेक्रेटरियों पर पंचायतें कुछ अख्तियार रख सकती थीं मगर वह भी अब इस ऐक्ट में साफ होगया है कि सेक्रेटरी के ऊपर कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा । मतलब यह होगा कि काम करने वाला तो वह होगा और जिम्मेवार होगी न्याय पंचायत इसलिये मैं कहूंगा आपसे कि एक आदमी जहां पर काम करे, जिसके पास, उसी के पास उसके डिसमिसल और एप्वाइंमेंट की पावर होनी चाहिये । हां यह हो सकता है कि अपील की शक्ति आप अपने पास रख लें । अगर ग्राम पंचायत अनुचित तौर से डिसमिस करे या अनुचित आदमी को वहां पर मुकर्रर करे तो आप उसकी अपील या रिवीजन पावर अपने पास रख सकते हैं, यह मुनासिब है लेकिन आप सारी शक्ति अपने पास ही रख लें इसे मैं कभी भी मुनासिब नहीं समझता हूं ।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरपंच और ग्राम प्रधान जो हैं उनकी शक्ति चुने जाने के बाद ऐसी हो जाती है जो कि इस डिमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को भी नहीं मिलती । मुझे माफ करेंगे, अगर मैं कहूं कि न तो स्पीकर को और न कैबिनेट के मिनिस्टर को ही वह पावर मिलती है । जबतक कि ग्राम पंचायत के दो तिहाई वोटर तैयार न हो जायं तबतक सरपंच को हटाया ही नहीं जा सकता इसलिये एक मर्तबा जो सरपंच चुन गया वह फिर हट नहीं सकता । इसी तरह से ग्राम सभा के दो तिहाई सदस्य प्रधान को निकाल सकेंगे । इसका नतीजा यह होगा कि एक मर्तबा जो प्रधान चुन लिया गया उसको हटाया नहीं जा सकता । जो कुछ भी बुरा भला वह करे, उसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी । इसलिये मैं कहूंगा कि आप तजुर्बे से फायदा उठाकर ऐसा करें की गांव सभा का प्रधान आधे से ज्यादा वोट उसके खिलाफ होने पर हटाया जा सके अगर वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है । इस प्रकार का अधिकार ग्राम सभाओं को अपने प्रधान या उप प्रधान को हटाने का देना चाहिए । लेकिन यह कि ग्राम सभा के दो तिहाई वोटों से हटाया जायगा, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा है । इसलिये इसके अन्दर इस बात का संशोधन करने की जरूरत है कि ग्राम सभा के जो प्रधान या उप प्रधान हों, उनको आधे से ज्यादा वोटों से हटाया जा सके । ग्राम सभा को यह अधिकार हो कि वह अपने प्रधान को या फुल कमेटी को रिकाल कर सके। मैंने अभी आप से कहा कि आप बजट को पास करने या न पास करने और रबी और खरीफ की मीटिंग को काल करने या न काल करने के प्रश्न को इसमें से हटा दें । यह सब अधिकार ग्राम पंचायत को दिये जायं और ग्राम सभा को यह अधिकार दिया जाय कि अगर वह यह देखे कि उसके नुमाइन्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जो उनको अधिकार दिये गये हैं उनका वह दुरुपयोग करते हैं, तो उसको राइट आफ रिकाल होना चाहिये कि वह प्रधान को या फुल कमेटी को आधे से ज्यादा मत से रिकाल कर सके । ऐसा बहुत से प्रजातंत्र देशों के संविधान के अन्दर दिया हुआ है । सोवियट रूस में साफ तौर से यह दिया हुआ है कि जहां वह चुनाव करते हैं वहां वह अपने रेप्रिजेंटेटिव्ज को रिकाल करने का राइट रखते हैं । इसलिये अगर आप यह राइट दे दें कि ग्राम सभा को आप सिर्फ चुनने वाली बाडी मान लें, वह एलेक्शन करने के बाद अपने तमाम कामों को ग्राम पंचायत पर छोड़ दे और ग्राम पंचायत एक कारपोरेट बाडी हो

[श्री केशव गुप्त]

और ग्राम सभा को यह अधिकार हो कि वह अपने नुमाइन्दों को, अगर वह खराब काम करें या उनकी मर्जी के मुताबिक़ काम न करें, तो उनको रिकाल करले, तो मैं समझता हूं कि यह अधिकार बहुत ठीक होगा। अगर आप ग्राम सभा को बजट में लायेंगे या और कामों में लायेंगे, तो दो-दो तीन-तीन हजार सदस्यों के बीच में, जो हर ग्राम सभा में होंगे, बजट का तय होना या और मसलों का तय होना कभी भी ठीक नहीं होगा और न आज तक ठीक हुआ है और न आगे होगा। यह चीजें सिर्फ पेपर में रह जायंगी।

आपने न्याय पंचायत का ढांचा ही बिलकुल बदल दिया है। पहले जो बिल बना था, उसमें जो हमारा आदर्श था वह कुछ दूसरा ही था। उसमें हमने यह रखा था कि जो बेंच बनेगी उसमें एक पंच उस गांव का होगा जहां का मुद्दई रहने वाला हो, और एक पंच उस गांव का होगा जहां का मुद्दाअले रहने वाला हो और एक पंच वहां का होगा जहां ऐक्शन हुआ हो। लेकिन आप ने उस ढांचे को बिलकुल बदल दिया है और यह रख दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं रही कि मुद्दई या मुद्दाअले के गांव के रहने वाले पंच हों, कोई भी पांच पंच बेंच बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। जब हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और दूसरे रूलों को बीच में से निकाला था, वकीलों को बीच में से निकाला था तो हमने इस बात की जरूरत को महसूस किया था कि कुछ ऐसे पंच होने चाहिये जिनको कुछ हालात मालूम हों, जो स्वयं वहां के हालात को जानते हों। लेकिन उस परिपाटी को बदल देना और सेक्शन ४९ जो पहले था उसकी स्प्रिट को किल कर देना मैं समझता हूं कि वह किसी हालत में उचित प्रतीत नहीं होता और इसमें संशोधन की जरूरत है और जैसी धारा पहले थी, उसी रूप में उस धारा का रखा जाना उचित होगा।

आपने एक शक्ति और भी अपने हाथ में ले ली है कि आप जब चाहें तब इन पंचायतों का जनरल एलेक्शन करा सकते हैं। पांच वर्ष की अवधि रखने के बाद आपने यह शक्ति अपने हाथ में लेली है कि आप बीच में जब चाहें जनरल एलेक्शन करा दें। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी शक्ति है जो कि गवर्नमेंट को अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिये। जब आप ने एक ऐक्ट बनाया और उसके रू से बाकायदा एलेक्शन कराया, पांच वर्ष की अवधि रखी, फिर वह कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी बिना पर आप उनका अजसरेनौ एलेक्शन करा सकते हैं। यह मुझे किसी हालत में भी ठीक नहीं मालूम होता है और यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपुल्स के खिलाफ मालूम होता है और इस शक्ति को अपने पास रखना गवर्नमेंट के लिये उचित नहीं है।

अब मुझे यह अर्ज करना है कि इसी तरह से आपने एक शक्ति अपने हाथ में लेली है और वह यह है कि अगर किसी पंच का पब्लिक इंट्रेस्ट में रखा जाना मुनासिब न हो, तो वह हटाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि वह इंट्रेस्ट कौन सा होगा। या तो यह हो सकता है कि वह जन हित में काम न कर रहा हो या यह हो सकता है कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा हो, लेकिन इस सम्बन्ध में तो आप ने साफ तौर पर रख दिया है कि अगर वह ऐसा करे तो वह हटाया जा सकता है। तो फिर वह कौन सा कारण हो सकता है? जितने कारण हो सकते थे वह आप ने साफ तौर पर लिख दिये हैं। लेकिन इसके बावजूद यह रखना कि अगर पब्लिक इंट्रेस्ट में उसका रखा जाना नामुनासिब है तो स्टेट कभी भी किसी पंच को हटा सकती है, मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकार को लेना एक प्रजातंत्र राज्य में मुनासिब नहीं है। जब कि हम शक्ति का विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं, जब कि शक्ति को हम ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं, जब कि जनता की शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी दशा में धीरे-धीरे उन शक्तियों को कम करना या लेना यह किसी हालत में भी मैं मुनासिब नहीं समझता। पंच हो या सरपंच, जो चुना गया है वह उसी हालत में हटना चाहिये जब कि उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया हो और कोई दूसरे प्रकार की अड़चनें उनके हटाने में लगाना मैं समझता हूं कि किसी प्रकार भी उचित नहीं मालूम होता है।

इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी मोटी बातें हैं। मुझे खुशी इस बात की जरूर हुई कि आपने संशोधन में इसके विस्तार को बढ़ाया, जहां जौनसार बावर और मिर्जापुर में यह ऐक्ट लागू नहीं था वहां भी आपने इसको लागू किया। आपने गांव सभा के मेम्बर के वोटिंग राइट को जो बेक़ायदा तरीक़े से छीना गया था वह भी आपने दिया। यह भी ठीक किया और भी बहुत से संशोधन ठीक हैं। लेकिन जो कमी मुझे मालूम हुई वह मैंने आप के सामने अर्ज करने की कोशिश की।

इसके अलावा पहले इसमें एक सेक्शन मुचल्का लेने का था जिसके अनुसार न्याय पंचायत को आपने यह अधिकार दे रखा था कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका विहेवियर ठीक नहीं है या जो गांव के लिये मुसीबत बन रहा हो उसका १५ रोज के लिये एक बहुत जरूरी कार्यवाही कर के न्याय पंचायत मुचल्का ले सकती थी। वह सेक्शन एक अच्छा सेक्शन था। उसको निकाल देना किसी भी हालत में ठीक नहीं मालूम होता। आज गांवों में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो गांवों के जीवन को ख़राब बनाते हैं। उनको रोकने के लिये न्याय पंचायत के हाथ में एक हथियार था। उसको किसी हालत में भी उनसे नहीं लेना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि जिस वक्त यह विधेयक प्रवर समिति के सामने होगा वह इन बातों पर ध्यान देगी।

और भी कई दफ़ात आपने निकाली हैं। २८६ कैटिल ट्रेसपास का सेक्शन है और जैसा कि रामनारायण त्रिपाठी जी ने भी आप का कुछ ध्यान दिलाया, आप ने रेवेन्यू के जो दाख़िल ख़ारिज के मुक़दमात थे उनको उनसे ले लिया है। तो जहां आप ने दो एक सेक्शन बढ़ाये हैं वहां आपने बहुत से सेक्शन्स को निकालने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आपको उनकी शक्ति को अधिक बढ़ाना चाहिये बजाय इसके कि उनकी शक्ति को और कम कीजिये। जब कि आप खुद यह बात मानते हैं कि उन्होंने जो भी मुक़दमें किये उसमें ९९ फीसदी के क़रीब ऐसे मुक़दमें रहे जिनकी कोई अपील वग़ैरह नहीं हुई और आप ने यह भी माना कि अगर निगरानी वग़ैरह कराई भी गयी तो बहुत कम ऐसे मुक़दमें थे जिनकी निगरानी स्वीकृत हुई। तो आप यह मानते हैं कि न्याय पंचायतों का काम इतना सफल रहा कि स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट भी शायद अपने कार्य को उतनी सफलता से नहीं कर सके। तो यह मानते हुये उनकी शक्तियों को कम करना यह मैं समझता हूं कि किसी हालत में भी उचित नहीं मालूम होता और मैं आशा करूंगा कि प्रवर समिति इस पर ध्यान देगी और उनको दोबारा रेस्टोर करने की कोशिश करेगी।

इसके अलावा एक बात और आप से कह देना चाहता हूं कि आज एक और दिक्क़त पैदा हो गई है। पहले एक मुखिया गांव के अन्दर हुआ करता था। उसकी वजह से वहां के जीवन में दिक्क़त होती थी और वह गांव के लिये एक आफ़त रहता था। आज भी वह मुखिया बना हुआ है जब कि प्रधान भी मौजूद हैं और जिस तरह से ग्राम का जीवन आज ख़राब हो रहा है और जिस तरह से गांव वाले मुखिया के ऊपर लुटते हैं यह सब गांव में जो लोग रहते हैं वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं यह समझता था कि जब हमारे ग्राम में प्रधान बनेगा तो उसको जो स्वाभिमान होगा वह उतना ही होगा जितनी कि इंगलैंड के अन्दर मेयर को होता है। मैं इसी आशा को लेकर सन् १९४६ में जब कि यह कानून पास हुआ जब मैं अपने गांव में गया था तो मैंने गांव वालों से कहा था कि अब आपकी दशा सुधरेगी, आप की आर्थिक दशा सुधरेगी और आप की समाजिक दशा सुधरेगी, आज आपकी पोजीशन बहुत ऊंची हो गई है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि गांव का प्रधान और सरपंच बावजूद इसके कि वह चुन कर आता है वह आप के अधिकारी वर्ग के सामने खड़ा हो कर बात करता है। आज गांव में दस-दस मुखिया पैदा हो गये हैं जो लोगों की चुगलखोरी करते हैं। मामूली से मामूली थानेदार, कानूनगो और तहसीलदार वग़ैरह उनको बुलाते हैं और उनको सामने खड़ा रखते हैं मेरी आंखों में खून उतर आता है जब मैं देखता हूं कि वह मामूली से तहसीलदार के सामने खड़ा होता है। मैंने इस पर उनसे कहा कि तुम्हें मर जाना चाहिए और बराबर कुर्सी पर बैठा करो। सरपंच जिसको आप बनाते हैं उसको आप मामूली से थानेदार तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर बुलाते हैं और खींचते हैं, धमकाते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं।

[श्री केशव गुप्त]

जो स्वप्न मैंने गांवों के सम्बन्ध में देखा था और जो मैंने अपने मन में बना रखा था वह सब काफूर हो गया जब मैंने इसकी असली शकल देखी। इसलिये मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप को इसे सफल बनाना है तो आप को न्याय सभा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। चाहे वहां वकील की जरूरत हो या न हो लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मुक़द्दमें कम नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप का आर्थिक और सामाजिक ढांचा ठीक नहीं हो सकता है। आप चाहे मैजिस्ट्रेट से करायें चाहे पंच से। मुझे कुछ लेना देना नहीं है और न इस पर ज्यादा जोर ही देता हूं लेकिन इतना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों का ढांचा ऐसा हो जिस पर हम आशा करते हैं कि उससे आर्थिक और सामाजिक सुधार होगा, उनका स्तर ऊंचा होगा। वह शक्ति जो उनके हाथ में होगी उससे वह गांव को ऊपर उठा सकेंगे और गांव को अच्छा बना सकेंगे। जहां हम उनसे यह आशा करते हैं वहां पर पंचायतों का ढांचा ठीक बनाये रखने में उनको शक्ति दें और शक्ति देने में हमें अपनी पूरी शक्ति लगाने का प्रयत्न करना चाहिये और ऐसा करना चाहिये जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक ढांचा ठीक बने।

मैं श्री बालेन्दुशाह जी की बात का समर्थन करता हूं कि उनकी समस्याओं को हल करना चाहिये और उनको दान के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा कि मैं दान उसको मानता हूं जैसे कि हमने कोई खास चीज किसी को दे दी जैसे इतना रुपया तुम्हें देते हैं इससे तुम अपने सेक्रेटरी की तनख्वाह वगैरा दे दो। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता हूं। दान देना और दान लेना दोनों को मैं सामाजिक कुरीति मानता हूं और मानता रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि उनको इस पर न छोड़ें। उनकी आर्थिक समस्या को हल करने के लिये इर्रीगेशन रेट्स से और एग्रीकल्चरल टैक्स से उनका कोई हिस्सा मुक़र्रर कर दिया जाय जिससे वह अपनी आर्थिक अवस्था को ठीक तरह से चला सकें और सामाजिक अवस्था में सुधार कर सकें। इसके साथ ही साथ आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट को भी जल्द से जल्द लाने का प्रयत्न करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्पीच में बतलायें कि आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं और पंचायतों का क्या स्वरूप होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आप के दिमाग के अन्दर क्या शक्ल है उसको रखने का आप प्रयत्न करेंगे। इन शब्दों के साथ आपने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री जयपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री जी को बधाई इस बात के लिये देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को ला कर जो पंचायत राज ऐक्ट में कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की है। मैंने यह देखा कि उन्होंने मुझे स्वयं इंस्पायर किया इसके लिये कि गांव के समाज के लिये और विशेष तौर से उन लोगों के लिये जो समाज में पिछड़े हुये हैं, उनको आर्थिक सामाजिक और दूसरे प्रकार से कैसे ऊंचा किया जा सके उसके लिये उन्होंने मुझे स्वयं इंस्पायर किया था। आपस में बातचीत करने के पश्चात्। ऐसी सूरत में मैं आप से यह बहुत ही उम्मीद और आशा रखता था कि यह संशोधन जो आयेगा वह बहुत ही अच्छा होगा और कम से कम समाज में जो पिछड़ा हुआ तबका है उसकी सारी दिक़्क़तों का हल निकालेगा, एक इस प्रकार का नक्शा हमारे सामने आयेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक गांव समाज के प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट के चुनाव का सम्बन्ध है, उनकी इस बात के लिये योग्यता का सम्बन्ध है कि ३० साल की अवधि प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट की रख दी जाय यह नामनासिब नहीं है। जब कि हमने यह देखा कि असेम्बली के सदस्यों के लिये जो क्वालिफ़िकेशन है वह पीपुल्स रेप्रेजेंटेटिव ऐक्ट के अनुसार ऐसा है, और हमारे विधान के अनुसार भी पार्लियामेंट के सदस्यों के लिये भी जो क्वालिफ़िकेशन्स हैं वह भी ऐसे हैं कि हम अपने सदस्य बगैर पढ़े लिखे की योग्यता रखते हुये या ३० साल की योग्यता रखते हुये चुनाव मे ला सकते हैं और हमारे यहां के उत्तर प्रदेश के सदस्य चुनकर के अपने बहुमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की पार्टी को बना कर के एक अपना लीडर चुनें और वह अपने यहां का मुख्य मंत्री कहलाये, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे योग्यता रखने वाला हो, ३० साल से कम, २५ साल का ही हो। लेकिन हमारे यहां के सदस्य जो बहुमत वाली पार्टी के हैं यह तय करेंगे कि हमारा लीडर यह है और गवर्नर उन्हीं को अपना मुख्य बनाने के लिये इनवाइट करेगा। इसी तरह से देश के प्राइमिनिस्टर, जवाहर लाल जी की जगह भी एक आदमी अनपढ़ हो सकता है, ३० साल से कम उम्र वाला, २५ साल का हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा जिम्मेदार आदमी गांव का प्रधान हो जायगा और भारतवर्ष की जिम्मेदारी से अधिक गांव के प्रधान की जिम्मेदारी होगी। वह तो एक छोटा सा सर्किल होता है। दो सौ, चार सौ, हजार-दो हजार की संख्या गांव में रहती है। तो ऐसी अवस्था में क्या हम एक सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? जिस कल्याणकारी राज्य की या प्रजातंत्र प्रणाली की हम रोज चर्चा करते हैं उसकी हम बराबर अवहेलना करते जा रहे हैं और जिस रिपब्लिक का हम नक्शा गांव में देखना चाहते हैं, एक तो बड़ी रिपब्लिक यह भारत की है और दूसरी गांव का जो छोटा यूनिट है, वह उसके विपरीत दिखलायी देती है। तो इस तरीके से मैं यह देखता हूं कि इस प्रकार आप संविधान की भी अवहेलना करते हैं और जनता को भी उसको दिये हुये अधिकारों से वंचित रखते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर ऐसे लोग रहते हों कि १३ फीसदी पढ़े लिखे हों और ८७ फीसदी अनपढ़ हों, तो १३ फीसदी आदमियों के लिये ही संपूर्ण अधिकार देना कि ८७ आदमी अपने में से न चुन सकें और १३ फीसदी लोगों को ही चुन सकें, तो यह न्यायसंगत नहीं मालूम होता है। मैं एक उदाहरण रखता हूं। एक समय जब कि एक गांव में मुखिया के चुनाव पर झगड़ा हो गया और काफी लोगों ने यह तय किया कि हम फलां आदमी को चुनेंगे तो दूसरा जो उम्मीदवार था उसने यह इल्जाम लगाया कि वह डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं इसलिये वे अपना मुखिया नहीं बना सकते हैं। तो उनकी तरफ से यह बात पैदा हुई कि चोरों का मुखिया चोर ही होगा। चोरों का सरदार भी चोर ही होगा।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२९ मार्च, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी जी के प्रश्न संख्या ४ में उल्लिखित सूची। तराई भावर स्टेट्स में १९४५-४६ से लेकर १९५२-५३ तक जिन व्यक्तियों को जितनी भूमि एलाट की गयी उसकी सूची।

वर्ष	संख्या उन व्यक्तियों की जिनको भूमि एलाट की गयी	कितनी भूमि दी गयी (एकड़ में)
१९४५-४६	..	..
१९४६-४७	७	४८९
१९४७-४८	३६	२००९
१९४८-४९	१९१	५,४५८·५०
१९४९-५०	४१९	३५,५२३·५०
१९५०-५१	९०९	३९,९८९·२०
१९५१-५२	५८३	१७,३१०
१९५२-५३	२००	४,९९९
	२,३४५	१,०५,७६८·२५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

प्रश्न संख्या ४६ से सम्बन्धित सूची

क्र. सं.	नाम जिला		प्रभावित गांवों में हानि की मात्रा	
			आठ आने या उससे अधिक	आठ आने से कम
१	हमीरपुर	..	१० गांवों में	५५ गांवों में
२	पीलीभीत	..	४५ ,,	९३ ,,
३	बनारस	..	२१७ ,,	२१२ ,,
४	झांसी	..	७७ ,,	४४ ,,
५	अलीगढ़	..	२० ,,	३६९ ,,
६	बरेली	..	४६ ,,	३६४ ,,
७	रामपुर	..	१२९ ,,	१२४ ,,
८	बिजनौर	..	३४१ ,,	१५ ,,
९	नैनीताल	..	६५ ,,	४० ,,
१०	मिर्जापुर	..	९०९ ,,	८ ,,
११	एटा	..	२३ ,,	४३९ ,,
१२	फर्रुखाबाद	..	३ ,,	१३७ ,,
१३	बाराबंकी	..	२ ,,	३ ,,
१४	बदायूं	..	७ ,,	१४५ ,,
१५	आगरा	..	..	२०९ ,,
१६	इटावा	..	..	४३ ,,
१७	मैनपुरी	..	..	५२ ,,
१८	मथुरा	..	..	१०१ ,,
१९	सीतापुर	..	..	४८ ,,
२०	जालौन	..	..	२७३ ,,
२१	खेरी	..	..	४५ ,,
२२	बांदा	..	..	२ ,,
२३	जौनपुर	..	..	११ ,,
२४	सहारनपुर	..	..	४९ ,,
२५	हरदोई	..	..	४९ ,,
२६	उन्नाव	..	..	२४ ,,
२७	कानपुर	..	..	५ ,,
२८	फतेहपुर	..	..	३ ,,
२९	प्रतापगढ़	..	..	३८ ,,

नोटः—जिला मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, इलाहाबाद और गढ़वाल से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

पी० ए० यू० पी० ए० पी०—३ एल० ए०—१९५४—८५० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा